राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 2 चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का 12 वां दिवस संख्या 7

सोमवार

दिनांक 29-1-1968.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.07 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(समाज कल्याण, अकाल सहायता, वन, देवस्थान, राजकीय उपक्रम, खाद्य, सिंचाई, राजस्व, पंचायत व वित्त विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री रावतराम !

संस्कार केन्द्रों पर व्यय

146. श्री रावतराम (छापर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्कार केन्द्रों पर राजस्थान में सन् 1966-67 में कुल कितना खर्च हुआ ?

(2) उक्त संस्कार केन्द्र कहां कहां चल रहे हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चूरू जिले में कितने संस्कार केन्द्र चल रहे हैं और प्रत्येक पर सालाना कितना खर्च होता है और किसके द्वारा और इससे कितने लोगों के संस्कार बन गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त संस्कार केन्द्रों में विशेष तौर से क्या गतिविधियां चालू हैं और उनके परिणाम क्या रहे ?

समाज-कल्याण मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्कार केन्द्रों पर सन् 1966-67 में कुल 75977 रुपये खर्चा हुआ।

(2) सूची 'अ' सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(3) चूरू जिले में एक संस्कार केन्द्र सरदार शहर में चल रहा है। चूंकि पहले चूरू व बीकानेर जिलों के एक ही समाज कल्याण अधिकारी थे अतएव उनके अधीनस्थ चल रहे केन्द्रों का सन् 1966-67 का खर्चा कुल 7178 रुपये था। संस्कार कुछ महीनों में नहीं बनते और न इसका कोई नाप तोल होता है जिससे यह बताया जा सके कि इससे कितने व्यक्तियों के संस्कार बने।

(4) इन केन्द्रों में सामान्य शैक्षणिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, गृह विज्ञान, सांस्कृतिक एवं नैतिक जीवन की शिक्षा सिलाई आदि की शिक्षा दी जाती है। अस्पृश्यता निवारण हरिजनों में हेय की भावना कम करने एवं उनके मनोरंजन के उद्देश्य पूर्ति में संस्कार

Page No. 2

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
केन्द्र का योग रहा है। मनोरंजन के लिये खेल कूद की भी व्यवस्था है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रावत राम: क्या इसमें भाग लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कोई सर्टीफिकेट दिया जाता है?

श्री नारायणसिंह मसूदा: इसमें कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्त्री होती हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): इन संस्कार केन्द्रों से कितना लाभ हुआ है, इसकी क्या प्रक्रिया समाज में हुई है इसका मूल्यांकन सरकार ने करवाया है?

श्री नारायणसिंह मसूदा: इन केन्द्रों से लाभ तो जरूर हुआ है और जैसा कि मैंने निवेदन किया वह लाभ इस प्रकार से कितना हुआ है इसका कोई स्पष्ट मापदंड तो हो नहीं सकता लेकिन यह जरूर माना जाना चाहिये कि कुछ लाभ जरूर हुआ है। अब प्रश्न यह आता है कि संस्कार केन्द्रों से जितना लाभ होना चाहिये उतना हुआ या नहीं, इसको मैं भी महसूस करता हूं कि जांच होनी चाहिये और इसका जिक्र कमिश्नर फार शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सामने भी आना चाहिये इसका भी विचार है, ताकि इनको और भी अच्छा किया जा सके और इनकी उपयोगिता और भी बढ़ाई जा सके।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): इसके बारे में जो योजना थी और उसमें जो उपलब्धियां थीं वे पूरी हुई या नहीं?

श्री नारायणसिंह मसूदा: कई प्रकार के आदर्श लगाये हुए हैं, सफाई के बारे में, सामाजिक ज्ञान भी दिया जाता है, गृह विज्ञान, सिलाई आदि ये सब सिखाये जाते हैं और इनसे जितनी भी प्रेरणा उनको मिल सकती है वह मिलती है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या यह सही है कि संस्कार मां के पेट से ही आते हैं?

श्री अध्यक्ष: पूर्व जन्म से भी आते हैं। कुछ मां के पेट से भी आते हैं।

श्री लालचन्द वैद (सुजानगढ़): सरदार शहर में ये संस्कार केन्द्र कितने अर्से से चल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण: अलग से तो नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य: अलग से नहीं है।

श्री अध्यक्ष: Allowed.

श्री नारायणसिंह मसूदा: इसकी जानकारी मैं दे दूंगा।

श्री दौलतराम सारण: क्या इन संस्कार केन्द्रों को बन्द करने के बारे में सरकार कोई विचार कर रही है?

श्री नारायणसिंह मसूदा: बन्द करने का तो विचार नहीं है।

श्री दौलतराम सारण: ये संस्कार केन्द्र किसके माध्यम से चलाये जा रहे हैं?

श्री नारायणसिंह मसूदा: समाज-कल्याण विभाग के माध्यम से।

श्री दौलतराम सारण: संस्कार अधिकारी डालते हैं क्या वहां के?

Page No. 3

श्री नारायणसिंह मसूदा : वहां के आफिसर्स होते हैं वह कार्य करते हैं।

श्री दलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, उनका कोई मूल्यांकन नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई रीति नीति नहीं है और अधिकारी अपने संस्कार डालने का कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं यह बिलकुल मिस यूज है........

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या आप यह महसूस करते हैं कि अच्छे संस्कार डालने के लिए इन संस्कार केन्द्रों को बन्द करना आवश्यक है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता

श्री विजयसिंह (मकराना) : जो मिनिस्टर छोड़कर चले गये उनके अन्दर संस्कार डाल रहे हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर !

श्री लाभचन्द वैद: एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब मंत्री महोदय को पता ही नहीं है कि कितने अर्से से केन्द्र चालू हैं तो कैसे कह रहे हैं कि थोड़े अर्से में इनका मूल्यांकन हो जायगा तो इसका मापदण्ड कैसे किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष: कितने अर्से से चालू हैं यह मंत्री महोदय को मालूम है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैंने निवेदन किया कि इस समय नहीं कह सकता।

श्री लाभचन्द वैद : तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि थोड़े ही अर्से में मापदण्ड का मालूम हो जायगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सूरजमल !

जिला झुंझुनूं के ग्रामों में अकाल राहत कार्य

147. श्री सूरजमल (सूरजगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला झुंझुनूं में इस वर्ष किन्हीं ग्रामों में अकाल रहा है ? यदि हां, तो कौन कौन सी तहसीलों में कौन से ग्राम अकालग्रस्त रहे हैं और अकालग्रस्त घोषित कर दिये गये हैं ?

(2) क्या अकालग्रस्त ग्रामों में सरकार की ओर से कोई सहायता दी जा रही है ? यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता कब से दी जा रही है ?

(3) क्या उक्त अकालग्रस्त घोषित ग्रामों में कोई अकाल राहत कार्य चालू किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो किस किस्म के और कहां ?

उपमंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां, जिला झुंझुनूं में इस वर्ष 57 गांव अभाव ग्रस्त घोषित किये गये हैं। तहसीलवार गांवों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) फिलहाल कोई सहायता नहीं दी जा रही है ।

(3) फिलहाल कोई सहायता कार्य चालू नहीं किये जा रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : क्यों ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : अकाल की पहली किश्त एम. एल. ए. साहब के खुद के वहां पधारने से मिली ?

अकाल राहत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : आप कोई ठीक सप्लीमेन्टरी पूछिये उसका जवाब दिया जायेगा।

श्री विजयसिंह : आपको नाराज होने की बात नहीं है। बिलकुल ठीक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : असंगत।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : जब वहां के कुछ गांव अकाल में आ गये हैं तो वहां पर सहायता कार्य क्यों नहीं शुरू किये जा रहे हैं और अब कब तक शुरू कर दिये जायेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : झुंझुनूं जिले में बहुत थोड़े गांव हैं और राज्य सरकार ने उपयुक्त समझा कि पूरे जिले में 57 गांवों को छोड़कर बाकी जगह अच्छी फसल है और रोजगारी की सुविधायें उपलब्ध हैं और डेवलपमेन्ट के काम चल रहे हैं और मजदूर काम करते हैं। जब राज्य सरकार महसूस करेगी कि वहां कार्य खोले जाने चाहिए तो जरूर खोले जायेंगे और ऐसी स्थिति है कि दूसरी जगह रोजगार नहीं मिल रहा है तो राज्य सरकार जरूर सहायता कार्य खोलेगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : बहुत से गांव जो अकाल में आ चुके हैं और बहुत से स्थान ऐसे हैं कि जहां कि गड्ढे भी पड़े हैं तो ऐसी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार को चाहिए कि ऐसे गांवों में कुछ न कुछ राहत कार्य अवश्य खोले जायें।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार के पास जो इन्फर्मेशन है उसके अनुसार आफिशियल रिपोर्ट आई है और खरीफ की फसल में जो हानि हुई है उसके लिए आई है और गड्ढे पडने से कितनी हानि हुई इसकी कोई रिपोर्ट प्रिलिमिनेरी भी अभी तक नहीं आई है इसलिए कुछ नहीं कह सकते।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सरकार इस रिपोर्ट को कब तक मंगवा लेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट श्री हरलाल मीणा

देवगढ़ रेन्ज में कत्थे का ठेका

148. **श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ में रेन्ज देवगढ़ के ब्लाक नालवा 25 हांडी व नकोर टीला 50 हांडी के कत्थे का ठेका दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों ब्लाकों में ठेकेदार ने सैकड़ों अधिक हांडियों द्वारा कत्था तैयार किया ? अगर हां, तो नालवा में कितनी और नकोर टीला में कितनी ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश चित्तौड़गढ़ ने उक्त दोनों ब्लाकों में तीन सौ हांडी द्वारा कत्था निकालने एवं राजस्व विभाग के वन में कत्थे के वृक्ष काटने की जांच करने के बाद चीफ कन्जर्वेटर को सूचना दी ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि ठेकेदार के पिता एवं दोनों भाई वन विभाग की ब्लेक सूची में हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से व ठेका किसके नाम दिया गया ?

(श्री हरलाल मीणा)

(5) क्या डी. एफ. ओ. चित्तौड़गढ़ ने किसी व्यक्ति की शिकायत पर कलेक्टर की जांच के दो दिन पूर्व यह रिपोर्ट दी थी कि उक्त जंगलों में ठेके पर दी गई हांडियों से अधिक हांडियों द्वारा कत्था तैयार नहीं किया जा रहा है ?

(6) क्या यह भी सही है कि चीफ कन्जर्वेटर ने इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी द्वारा इसकी जांच करवाई थी ? यदि हां, तो जांच के बाद क्या रिपोर्ट दी ?

वन मन्त्री (श्री नारायण सिंह मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके स्थगन के लिए प्रार्थना करता हू क्योंकि इसमें अभी पूरे तथ्य नहीं आये हैं और वह अभी इकट्ठे करने हैं..

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री हरलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न स्थगित करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर !

श्री कुम्भारसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या सूचना नहीं आई ? प्रश्न की सारी सूचना प्रश्न में ही दी हुई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जब राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ था तब भी जिक्र हुआ था और कई बार यह प्रश्न आ चुका है और मंत्री महोदय जानबूझ कर जवाब नहीं देना चाहते हैं। यह बात दूसरी है। इसमें लाखों का घोटाला है।

श्री अध्यक्ष : मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या कारण है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसमें और तथ्य जो मैं चाहता था वह नहीं आ पाये हैं। समें एक्शन भी लिया गया लेकिन जानकारी अपूर्ण रहेगी इसलिए मैंने प्रार्थना की है कि सको स्थगित किया जाये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जितनी जानकारी है उतनी ही दे दें।

श्री अध्यक्ष : फिर भी स्थगित करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

मैंने स्थगित किया है।

नैक्स्ट, श्री गिरधारीलाल व्यास !

चावड़जी के मन्दिर की भूमि का बेचान

149. श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आसीन्द ग्राम (जिला भीलवाड़ा) में चावडीजी का बड़ा मन्दिर स्थित है जिसको देवस्थान विभाग द्वारा सारा खर्चा दिया जाता है व सारी व्यवस्था विभाग की देखरेख में है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मन्दिर के साथ कुछ जमीन व मकानात भी चले आ रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जमीन के साथ कुछ खेती की जमीन थी उसके प्लाट्स बनाकर बेचे जा रहे हैं ?

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्लाट्स की बिक्री से जो रकम प्राप्त हो रही है वह विभाग या मन्दिर के खाते में जमा नहीं हो रही है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त मन्दिर की जमीन को गैरकानूनी तरीके से बेचकर अन्य व्यक्ति फायदा उठा रहा है और विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है ?

(6) यदि नहीं, तो उक्त विषय में विभाग ने क्या कार्यवाही की और भविष्य में क्या कार्यवाही करने का इरादा है तथा बिक्री से प्राप्त रकम को वसूल करने की क्या कार्यवाही की जायेगी ?

देवस्थान मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) जी हां, यह सही है कि आसीन्द ग्राम में चावड़ीजी का बड़ा मन्दिर है जो देवस्थान विभाग के अधीनस्थ है।

(2) जी हां, यह ठीक है कि मन्दिर के पास कुछ जमीन है। मकानात मन्दिर के बाउन्ड्री में हैं।

(3) जी हां, यह सही है।

(4) जी हां, यह सही है।

(5) जी हां यह सही है कि जमीन को गैरकानूनी तरीके से श्री प्रतापसिंह पुत्र माजी साहिवा चावड़ी जी बेच कर फायदा उठा रहे हैं जमीन बिक्री की विभाग को समय पर जानकारी नहीं होने से कार्यवाही नहीं की जा सकी थी।

(6) विभाग इस संबंध में विधि सलाहकार से सहमति प्राप्त कर कानूनी कार्यवाही कर रकम वसूली की कार्यवाही करेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक जो बिक्री से रकम प्राप्त हुई है वह कितनी है और कितने आदमियों को यह प्लाट्स बेचे गये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष जी, दरअसल इस सारे ट्रान्जेक्शन की सूचना आपके इस प्रश्न के पूछे जाने से ही हुई है इसलिए हमने देवस्थान कमिश्नर को डिटेल में इन्क्वायरी करने के आदेश दिये हैं और उन्होंने यह सुझाव दिया है कि इस संबंध में कलेक्टर को इन्क्वायरी करने के आदेश प्रदान किये जायें ताकि वह सारे मामले की इन्क्वायरी करे कि कितनी जमीन बिकी और किस ने बेची, किस को बेची और क्या कार्यवाही की जा सकती है और इसके लिए कौन दोषी है ? इन सारी बातों की इन्क्वायरी करने के लिए कलेक्टर को लिखा जायेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक सवाल है। क्या राज्य सरकार के सामने यह स्थिति सही तरीके से आ जाये कि जितने भी घोटाले हुए हैं वह बिलकुल गैरकानूनी हुए हैं तो क्या राज्य सरकार जिस आदमी ने गलत तरीके से· · ·

श्री अध्यक्ष : हाईपोथेटीकल।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत तरीके से प्लाट्स दिये हैं उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : हाईपोथेटीकल।

श्री गिरधारीलाल व्यास : लोगों को धोखा देकर प्लाट्स बेचे हैं वह देवस्थान की प्रोपर्टी है तो क्या उसके संबंध में कोई क्रिमिनल एक्शन लिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : सूचना प्राप्त होने पर इसका निर्णय लिया जा सकेगा कि क्या एक्शन लिया जाये।

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 150

श्री मुकुटबिहारीलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : बाद में ले लेंगे।

प्रश्न संख्या 151

श्री नाथूलाल करोल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम आगरी !

सेलीनाल बांध का निर्माण कार्य

152. **श्री दौलतराम आगरी (देसूरी)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि देसूरी, जिला पाली के सेलीनाल बांध को बंधवाने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कब हुई ?

(2) क्या बांध का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों-?

(3) यह योजना कितने लाख की है ?

(4) योजना का काम विभाग द्वारा हो रहा है अथवा ठेके पर ? ठेके का टेन्डर किसके नाम पर खुला ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त बांध का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री ने किया ? क्या यह भी सही है कि बांध का काम अब बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या इस बांध का काम अब शुरू कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब से ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) जी हां, दिसम्बर 1966 में।

(2) जी हां।

(3) 8,62,313 रुपये की।

(4) योजना का कार्य ठेके पर हो रहा है। ठेके का टेन्डर मेसर्स ज्ञानसिंह प्रेमसिंह के नाम खुला है।

(5) जी हां, बांध का कार्य वर्षा के कारण बन्द रहा।

(6) कार्य पुनः करवा दिया गया है।

प्रश्न संख्या 153

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट, श्री जुझारसिंह !

कोटा डिवीजन के शूटिंग ब्लाक्स तथा उनसे आमदनी

154. **श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री जुझारसिंह)

(1) कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में शिकार के कितने ब्लाक्स किन किन स्थानों पर कायम किये हुए हैं और उनमें से अलग स्थान पर कितने कितने जानवर शिकार किये जाने की व्यवस्था की हुई है ?

(2) किसी स्थान पर ब्लाक कायम करने व शिकार की संख्या निर्धारित करने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है ?

(3) कोटा डिविजन में पिछले तीन साल में कितने शूटिंग लाइसेन्स किन किन को जारी किये गये और उनसे क्या आमदनी हुई ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) सूची संलग्न है।

(2) उस क्षेत्र में उपलब्ध वन्य पशुओं की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखा जाता है।

(3) कोटा डिविजन में पिछले तीन वर्षों में निम्नानुसार शूटिंग लाइसेन्स जारी किये गये जिससे कुल 635) रु. आय हुई:–

1964-65 में	रु.
1. श्री ए. के. दास	20.00
2. श्री राजसिंह	20.00
3. प्रोफेसर बी. सीमोनेटा	235.00
4. श्री जयेन्द्रसिंह उनियारा	20.00
1965-66 में	
1. मेजर श्री लक्ष्मणसिंह	30.00
2. श्री मोहम्मद खां टोंक	20.00
3. श्री जयेन्द्रसिंह	20.00
4. श्री रिपुदमनसिंह, उदयपुर	20.00
1966-67 में	**रु.**
1. प्रोफेसर श्री बी. सीमोनेटा	200.00
2. श्री महमूद खां	50.00
	635.00

(सरकार से सूची प्राप्त नहीं हुई)

श्री जुझारसिंह : यह जो आपने सूची के लिए फर्माया कि संलग्न है वह मेरे पास नहीं पहुंची है। उसको पढ़कर सुना दें तो थोड़ा बहुत मालूम हो जायगा कि कितने ब्लॉक्स हैं और किन-किन स्थानों पर हैं। यह सूची मुझे नहीं मिली है हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि सूची संलग्न है।

श्री अध्यक्ष : सूची का क्या हुआ ? भेजी गई तो कहां गई ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है...

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर नहीं रखी गई है। आपकी मेज पर है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसको पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष : हमेशा यह कहा जाता है कि सूची सदन की मेज पर रखदी गई है लेकिन वे समय पर आती नहीं हैं। आप जुझारसिंह, ब्लॉक की संख्या पूछ लें या सारा पढ़ें ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, कम से कम संख्या तो मालूम हो जायगी। क्वेश्चन सारा उसी पर आधारित है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : कोटा वन खण्ड, धुलेह, बएडी..

श्री जुझारसिंह : टोटल बता दें।

Page No. 9

श्री नारायणसिंह मसूदा : कुल योग इन सब का 17 ब्लॉक्स हैं अलग अलग हैं कोटा में 5, बूंदी में 5, झालावाड़ में 3 कुल 13 झालावाड में 7 हैं इस तरह से कुल 17 हैं।

श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का चश्मा उतर गया है।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : वह आपका लगा लेंगे।

श्री जुझारसिंह : 17 ब्लॉक्स के लिए आपने जो फर्माया है तो उनमें जानवरों की संख्या का क्या अनुमान है अलग अलग ब्लॉक में ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : जानवरों की संख्या जो शूटिंग के लिए हैं उसकी अर्ज करूं।

श्री अध्यक्ष : शूटिंग के लायक।

श्री नारायणसिंह मसूदा : शेर...

एक माननीय सदस्य : सुखाडिया जी के कबूतरखाने में...

श्री नारायणसिंह मसूदा : आखेट हेतु विभिन्न पशुओं की संख्या इस प्रकार है 9 शेर, बघेरे 13, भालू 5, सांमर 6, चीतल 11....

श्री अध्यक्ष : ये मारे गये या जिन्दा हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : आखेट हेतु। नील गाय 12, सूअर 20।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय...

श्री भैरोंसिंह : कुल मिलाकर 36 हुए कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : शेर तो 9 ही आये।

श्री विजयसिंह (मकराना) : इसमें सवा सेर कितने हैं ?

श्री जुझारसिंह : इस संख्या से तो ब्लॉक्स में एक एक का भी एवरेज नहीं आया। क्या मंत्री महोदय वाइल्ड गेम्स के शूटिंग के मैनेजमेन्ट के लिए इसको सेटिस्फेक्ट्री मानते हैं ? औसत एक भी नहीं आता है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : अध्यक्ष महोदय, वाइल्ड गैम्स प्रिजर्वेशन कमेटी भी बनी हुई है। और सब प्रयत्न इस प्रकार से किये जा रहे हैं। मेरी बडी इच्छा है कि यहां पर जानवर बढ़ें, परन्तु खेद है कि मनुष्य ज्यादा बढ़ रहे हैं और मनुष्यों के बढ़ने के कारण जानवर घटते जा रहे हैं। जानवरों के घटने के लिए कई बातें हैं। मैं चाहता हूं कि हम इनके भी फार्म खोलें, लेकिन हमें आर्थिक साधन दिये जायं तो जानवर बढ़ सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : जानवर नहीं बढ़ रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, प्रश्नकर्ता !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : परिवार नियोजन की स्कीम लागू मत करिये।

श्री जुझारसिंह : फारेस्ट एक्ट और वाइल्ड गेम्स प्रिजर्वेशन एक्ट अलग अलग हैं, लेकिन जो जानवर फारेस्ट की बाउन्ड्री के बाहर मारे जाते हैं तो वे फारेस्ट एक्ट और वाइल्ड गेम्स प्रिजर्वेशन एक्ट की तारीफ में नहीं आते हैं तो उनका प्रोटेक्शन करने के लिए कौनसा कानून है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : तीन कानून हैं, एक तो फारेस्ट एक्ट, एक प्रिजर्वेशन ऑफ

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
सर्टेन एनीमल्स एक्ट, 1950 और एक राजस्थान वाइल्ड एनीमल्स एण्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1951। फारेस्ट एक्ट में फारेस्ट में एनीमल्स मारने की और प्रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन एनीमल्स के अन्दर कुछ एनीमल्स को मारने की मुमानियत है और कुछ का वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट के अन्दर उनके विनाश को बचाने के लिए है जिससे उनके विनाश को करीब करीब रोक दिया गया है थ्रू आउट दी इयर ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जंगलों में परमिट दिये जाते हैं। जंगलों के बाहर खेतों पर मार दिये जाते हैं तो उसके लिए क्या ऐसी तैयारी की जाय कि खेतों पर गार्ड खड़ा रहे तो सारी चीज हल हो सकती है। राजस्व क्षेत्र में जानवर मारा जाता है तो....

श्री अध्यक्ष : वह विभाग असहयोग करता है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : वन मंत्री के साथ राजस्व मंत्री सहयोग करें तो काम हो सकता है।

श्री जुझारसिंह : मंत्री महोदय यह बतायें कि जो जानवर खेतों में फारेस्ट में नहीं फ़ारेस्ट के बाहर मारे जाते हैं और प्रोटेक्टेड एनीमल्स की लिस्ट में नहीं हैं और अनप्रोटेक्टेड एनीमल्स की लिस्ट में हैं वे अगर फारेस्ट के बाहर मारे जाते हैं तो कोई कानून नहीं है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। इसकी वजह से जानवर बहुत ज्यादा तादाद में मारे जाते हैं। वैसे तो आपने तीन वर्ष में 10 आदमियों को लाइसेन्स दिये हैं और उनसे 635 रु. की कुल आमदनी हुई है, लेकिन जितनी तादाद में शूटिंग हो रहा है तो डेफिनिशन को करेक्ट करके उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य और भी सुझाव देंगे। मैं बाहर जाने वाले जानवरों का नहीं कह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : जो जानवर आपके फारेस्ट के बाहर निकल जाते हैं और दूसरी जगह मारे जाते हैं तो क्या वे ट्रेसपासर्स की तारीफ में आते हैं इसलिए मार दिये जाते हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : वे ट्रेसपास नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : कानून की बन्दिश है मारने वालों पर।

श्री नारायणसिंह मसूदा : वाइल्ड लाइफ को थ्रू आउट दी इयर रोक दिया गया है उन पर बंदिश है। उसकी कॉग्नीजेन्स लेने वाले ऑफिसर भी हैं। वह फारेस्ट ऑफिसर व वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑफिसर भी हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, प्रश्न यह है कि बाहर जो चले जाते हैं उनको शूट कर दिया जाता है वह पनिशेबल है या नहीं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : गिरदावर और रेवेन्यू ऑफिसर ये सारे हैं ये कॉग्नीजेन्स ले सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अगर गिरदावर अगर सहयोग दें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री लक्ष्मण तानीवाल !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : राज्य सरकार जानवरों को पसन्द करती है या आदमियों को ?

श्री अध्यक्ष : अभी जानवरों का प्रश्न है।

श्री झुझारसिंह : एक प्रश्न और है शिकार के सिलसिले में कि फारेन टूरिस्ट्स का भी आपने रखा है कि उनको प्रोत्साहन देने के लिए ब्लॉक्स वगैरह बनाये हैं तो उस दिशा में क्या स्पष्ट प्रयत्न किये हैं कि जिससे फारेन टूरिस्ट्स को एनकरेजमेंट मिले क्योंकि सेन्चुअरी में शिकार होता नहीं है और जो ब्लॉक्स बनाये हैं उनमें इन टूरिस्ट्स को बाहर से एट्रेक्ट किया जाता है, लेकिन इनमें आपने इनको एन्करेज करने के लिए क्या किया, जैसा कि आपके नियमों में दिया हुआ है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन बोर्ड इज वन आफ दी बिगेस्ट बोर्ड वह जिस प्रकार की राय दे उस प्रकार से स्टेप्स लेने को तैयार हैं। एक तो इसमें पूर्ण पाबन्दी है, और ये प्राइवेट कम्पनीज जो इस प्रकार से जानवरों को मरवाती हैं और इनके ऊपर किसी प्रकार की पाबन्दी लगा दी जाय, इनके ऊपर भी किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाय। मैं माननीय सदस्य की राय से पूर्ण लाभ उठाने की कोशिश करूंगा किस प्रकार से और ज्यादा इनके प्रतिबन्ध को बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण तानीवाल !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : माननीय अध्यक्ष-महोदय, एक प्रश्न...

श्री गिरधारी लाल व्यास : इससे बडी गड़बड़ हो जायगी अगर प्रतिबन्ध लगा दिया जायगा तो यह हमारे सारे खेतों को खा जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री लक्ष्मण तानीवाल !

ग्राम खोकरियां कलां में भूमि का एलाटमेंट

155. **श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डग निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम खोकरियां कलां में गत तीन वर्षों में कितने लोगों को जमीन एलाट करने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र आये और इनमें से कितने लोगों की दरख्वास्त मन्जूर कर उन्हें जमीन दी गई?

(2) जिन व्यक्तियों को जमीन नहीं दी गई उनकी संख्या कितनी है और किन कारणों से उन्हें जमीन नहीं दी गई ?

(3) सरकार जिन व्यक्तियों को जमीन देती है उनके विषय में क्या क्या जानकारी जमीन देने से पूर्व करती है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) ग्राम खोकरियां कलां में जमीन एलॉट कराने हेतु गत 3 वर्षों में 71 व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र तहसील पचपहाड़ में प्राप्त हुए जिनमें से 20 व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र भूमि आवंटन एडवाइजरी कमेटी की राय से स्वीकृत किये गये।

(2) 51 व्यक्तियों को ग्राम खोकरियां कलां में जमीन नहीं दी गई जिसका कारण था कि चाही गई भूमि आवंटन योग्य नहीं थी अथवा प्रार्थी भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आता था।

(3) आवंटन हेतु यह जानकारी की जाती है जो भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1957 के अन्तर्गत आवश्यक होती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 156 । इसकी सूची कहां है ?

श्री गंगाराम चौधरी : आपको प्राप्त नहीं हुई ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी नहीं ।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं अभी बोल देता हूं ।

अमीनों की नियुक्ति

156. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर द्वारा मई जून सन् 1967 में कुछ नाबालिग बच्चों को अस्थाई अमीन के पदों पर नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो ऐसे लोगों की सूची मय उनकी उम्र के, उनकी वल्दियत के और उनके पिता इस समय किस पद पर इस विभाग में काम कर रहे हैं, का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि नियमानुसार काम दिलाऊ दफ्तर की सिफारिश के बिना कोई भी नियुक्ति नहीं हो सकती ? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति कैसे हो गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त लड़कों में 18 वर्ष से कम आयु के भी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकारी नियमों के अनुसार इनकी नियुक्ति हो सकती थी ?

(4) क्या यह सही है कि इन बच्चों को मकान किराया एवं शहरी भत्ता भी दिया गया ? यदि हां, तो मकान किराये की रसीद किस व्यक्ति की पेश की और क्या वो व्यक्ति वो ही नहीं है जिसके साथ कि वो साधारणतया रहते हैं ?

(5) क्या इन बच्चों को पहले किसी प्रकार का भी प्रशिक्षण अमीनगिरी का प्राप्त था ? यदि नहीं तो फिर प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को इन जगहों पर नियुक्त क्यों नहीं किया गया है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) यह सही नहीं है । अतः सूची प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) यह सही नहीं है । राजस्थान सेवा नियम 35 के अधीन अस्थायी व अवकाश काल के रिक्त स्थानों पर काम दिलाऊ कार्यालय की सिफारिश के बिना भी अस्थायी नियुक्ति कुछ काल के लिये की जा सकती है ।

(3) यह सही नहीं है ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बता दूंगा सूची, ला दूंगा नाम ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री फतेहसिंह ! सिंचाई मंत्री !

सारोठ तथा सुरह घाटा फीडरों पर व्यय,

157. **श्री फतेहसिंह** (ब्यावर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 13

(श्री. फतेहसिंह)

(1) क्या यह बात सही है कि इस वर्ष दुर्भिक्ष सहायता कार्य के अन्तर्गत सारोठ फीडर और सुरह घाटा फीडर की खुदवाई का कार्य प्रारम्भ किया गया ? यदि हां, तो इन कार्यों पर अलग अलग कितना रुपया खर्च किया गया ?

(2) ये कार्य कब बन्द किये गये ?

(3) इन कार्यों को प्रारम्भ करने की सरकार द्वारा स्वीकृति कब दी गई और इन कार्यों को पूरा कराने में कितना रुपया खर्च होने की सम्भावना है ?

(4) ये कार्य पुनः कब चालू किये जायेंगे ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) जी, खर्च निम्न प्रकार है :

(क) सारोठ फीडर 20,000 ।

(ख) सुरह घाटा फीडर 23,000 ।

(2) अ. सारोठ फीडर दिनांक 21-7-67

ब. सुरह घाटा फीडर दिनांक 20-7-67

(3) यह कार्य जिलाधीश अजमेर के आदेश दिनांक 11-5-67 के अनुसार प्रारम्भ किये गये तथा इन कार्यों को पूरा करने में अनुमानतः निम्न लागत होगी :

(क) सारोठ फीडर 1,14,400 ।

(ख) सुरह घाटा फीडर 2,03,000 ।

(4) अभी पुनः चालू करने की कोई योजना नहीं है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : श्री फतेहसिंह ! बस !

श्री फतेहसिंह : अजमेर जिले में फेमिन राहत कार्य कब बन्द किये गये थे और यह काम पहले बन्द क्यों कर दिये गये ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : अजमेर जिले में फेमिन राहत कार्य कब बन्द किये गये थे-मुझे पता नहीं लेकिन यह काम इन तारीखों को इसलिए बन्द किये गये कि कुछ लोगों के एतराज इसमें आये कि जिस केचमेंट को हम इन फीडर्स के जरिये डाइवर्ट करना चाहते हैं वह कैचमेंट पाटन तालाब के कैचमेंट हैं । वह काफी बड़ा तालाब है और खाली रहता है इसलिए नया कन्स्ट्रक्शन उसकी कोस्ट पर नहीं होना चाहिए । इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र आने की वजह से इस काम को स्थगित रखा गया ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय.....

श्री फतेहसिंह : यह प्रार्थना-पत्र किनकी तरफ से आये थे ? क्या यह काम राजनैतिक आधार पर, दलगत राजनीति के आधार पर बन्द किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इससे राजनीति का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री फतेहसिंह : इसका राजनीति से सम्बन्ध है । दूसरी विधान सभा के माननीय सदस्य ने इस प्रकार का एतराज किया था कि पाटन तालाब में पानी कम हो जायगा इसलिए इनको बन्द किया गया । क्या यह

Page No. 14

(श्री फतेहसिंह)
सही है? (मंत्री महोदय के खड़े होने पर) मेरी बात सुन लीजिये, कृपा करके मेरी बात सुनिये। क्या यह सरकार की नीति है कि हमेशा जहां पानी का उद्गम होता है वहां आसपास में कोई कैचमेंट नहीं बनाया जाय? क्या इस नीति पर सरकार हमेशा चलती रहेगी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न इतना आसान नहीं है। आज जितने मीडियम इर्रीगेशन प्रोजेक्ट बने हैं, उनमें काफी ऊपर से पानी आता है और यदि जहां से पानी आता है उसके लिए सब यह कहना शुरू कर दें कि यहां पर हम पानी को रोक लें और नीचे नहीं जाने दें और इस प्रकार लाखों करोड़ों रुपये की लागत जिन पर लग चुकी है उनको बेकार कर दें—यह सम्भव नहीं है। पाटन तालाब काफी समय से वर्षों से बना हुआ है, उसके कैचमेंट को डाइवर्ट करके पाटन के तालाब को खाली रखें—यह सम्भव नहीं है।

श्री फतेहसिंह : क्या आपको मालूम है कि यह मेवाड़ का पानी है, यह मारवाड़ की जनता को इस पानी का उपयोग करने का अधिकार है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह राजस्थान का पानी है और राजस्थान का ही नहीं पानी के विषय में यह कहा जाता है कि जो पानी है वह राष्ट्र का पानी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री गिरधारी लाल व्यास : एक प्रश्न...

श्री फतेहसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मगरे के लिए पानी लाने का प्रश्न है। क्या आर्थिक दृष्टिकोण से इस काम को बन्द नहीं कर रहे हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यह निवेदन किया, पहले ही यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि इसमें कोई राजनैतिक कारण नहीं है बल्कि टेक्निकल रीजन्स हैं, एक दूसरे के कैचमेंट को इन्टरसेप्ट करना और जो लागत इसमें लग गई है उसको बेकार न जाने देने की दृष्टि से किया गया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि पाटन का आव सारोठ और दूसरी फीडर है उसकी वजह से बन्द होने के कारण पाटन का बांध खाली रहा है और काश्तकारों को पानी नहीं मिल सका है? जिनको पानी नहीं मिल सका है क्या सरकार उनको मुआवजा देकर क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करेगी?

श्री फतेहसिंह : पिछले 20 वर्षों में पाटन कैचमेंट में तालाब कितनी बार भरा है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर आने दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें मुआवजा देने का प्रश्न नहीं है लेकिन इन्टरसेप्ट करते हैं इस वजह से उस काम को बन्द किया है ताकि पाटन के कैचमेंट में इन्टरसेप्शन इस कारण से नहीं हो। चूंकि ऐसा कर दिया है इसलिए मेरे खयाल में इन्टरसेप्शन का प्रश्न खड़ा नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शुरू क्यों किया?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मैं जानकारी चाहता हूं......

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ! बाद में जानकारी कर लीजिये !

श्री फतेहसिंह : क्या यह सही है कि यह काम राज्य सरकार की मंजूरी से शुरू किया गया था, चुनाव से पहले शुरू किया गया था और इसकी स्वीकृति चुनाव से पहले मिल गई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बात इस प्रकार है, फेमिन विभाग के अन्तर्गत फेमिन के बजट से कई काम उन दिनों शुरू हुए थे उनमें से यह भी एक काम है जिसके इन्टर-सेप्शन का ज्ञान होने पर बन्द कर दिया गया।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह काम जो है, यह तीन चार मर्तबा बन्द हुआ और आसीन्द तहसील के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर यह तीन चार मतवा बन्द किया गया। इस पाटन बांध की आव इन दो इन्टरसेप्शन से बन्द होती है और तालाब खाली रहता है जिसकी वजह से काश्तकारों को बहुत नुकसान होता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बात सही है कि इससे पूर्व भी दो तीन बार इस काम को बन्द करने के आदेश जारी हुए थे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री फतेहसिंह : क्या यह सही है कि मगरे का पानी मारवाड़ में जाता है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरे सवाल का पहले उत्तर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके प्रश्न का जवाब दिला देता हूं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत (भीम) : मैं जानना चाहती हूं कि पाटन के तालाब में कितनी बार ओवर फ्लड हुआ है और यह जो तालाब बनाये जा रहे हैं इनमें कितना पानी भरता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि पाटन के तालाब में कितनी बार ओवर फ्लड हुआ : यह सेपरेट क्वेश्चन है— इसकी जानकारी नहीं दे सकता।

एक माननीय सदस्य : इस पाटन के तालाब से कितनी पिलाई होती है·····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत : सवाल यह है·····

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय यह काम तीन चार बार बन्द हुआ क्योंकि पाटन के तालाब की आव में पूरा पानी नहीं आता था·····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री दौलत राम सारण : मैं एक जानकारी चाहता हूं और वह यह है। क्या यह सही है कि अभावग्रस्त क्षेत्र में कार्य अकाल विभाग करता है, वह सिंचाई का हो या किसी और का हो ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत : यह हमारे क्षेत्र का प्रश्न है। इनसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हम प्रश्न पूछेंगे।

श्री दौलतराम सारण : मुझे जानकारी लेने दीजिये। एक और प्रश्न सुन लीजिये।

(श्री दौलतराम सारण)

क्या अकाल सहायता विभाग टेक्निकल राय के बाद सिंचाई विभाग के कार्य शुरू करता है ? दूसरा यह कि जब राज्य सरकार को मालूम था कि दूसरे तालाब का कैचमेंट इस एरिया में आता है तो यह काम क्यों शुरू किया गया ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह गलती हुई है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह राज्य सरकार द्वारा शुरू करने का सवाल नहीं है इसमें फेमिन रिलीफ के अन्तर्गत काम शुरू किया गया और मेरा ख्याल है कि फेमिन के अन्तर्गत जो नियम बने हुए हैं वे पूरे किये गये होंगे लेकिन दूसरे जिले में स्थित टैंक है उसके इन्टरसेप्शन का सवाल था जिसको इसे शुरू करते समय अधिकारी नहीं देख पाये होंगे इसलिये काम को शुरू कर दिया पर जब बाद में दूसरे जिले के टैंक के इन्टरसेप्शन का सवाल सामने आया तो इसको तो स्थगित कर दिया गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस तरह के कार्यों को शुरू करने का काम अकाल सहायता विभाग का कार्य है या सम्बन्धित विभाग का कार्य है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिये एक कमेटी बनी हुई है जो अकाल राहत कार्यों को लेती है वह कमेटी ही स्क्रूटिनाइज करती है, सुपरवाइज करती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं केवल टेक्निकल सवाल पूछता हूं कि इस तरह के कार्यों को शुरू करने की किस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें जिन विभागों के काम होते हैं उनके इन्जीनियर्स भी होते हैं । मैंने यह भी निवेदन कर दिया कि उन्होंने अपने जिले में काम करना है उस दृष्टि से सूची दी है इस दृष्टि से नहीं सोचा कि दूसरे जिले में टैंक हैं, उनका इन्टरसेप्शन होता है, उनके पानी को कैच करता है । जब यह ध्यान में आया तो इसको स्थगित कर दिया ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: क्या मंत्री महोदय ....

श्री फतेहसिंह: प्रश्न मेरा है ।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको भी स्वीकृति दे दूंगा ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मेरे इलाके का भी उतना ही सम्बन्ध है इस प्रश्न से ।

श्री फतेहसिंह: मैं आपकी कद्र करता हूं ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : क्या मंत्री महोदय इस बात की जांच करेंगे कि पाटन का बांध कितनी बार ओवरफ्लो हुआ है, अगर यह तालाब भर जाता है, तो सीरोल फीडर क्यों नहीं बनाई जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर पाटन का तालाब भर जाता है तो हम अवश्य ही इसको बनायेंगे ?

श्री फतेहसिंह : क्या सरकार को यह जानकारी है कि इन कार्यों को शुरू करने से पूर्व सारी टेक्निकल स्वीकृति चीफ इन्जीनियर इरींगेशन द्वारा दी जा चुकी थी ?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, एक साथ ही जवाब दे दें, एक दो प्रश्न और हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कैचमेंट एरिया को देख कर ही बांध बनाया गया था, सीरोल फीडर और दो और फीडर बनाई जा रही हैं । जब पाटन बांध के कैचमेंट एरिया को रोका गया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने ये दोनों फीडर बनाई, उससे वहां के काश्तकारों को नुकसान हुआ, उसका मुआवजा देने को तैयार हैं ?

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : पाटन तालाब कब से नहीं भरा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पाटन का तालाब कब से नहीं भरा है, इसके लिये मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि किस साल ओवर फ्लो हुआ, किस साल ओवर फ्लो नहीं हुआ यह अलग से प्रश्न है, इसकी जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है ।

दूसरा सवाल है, एक माननीय सदस्य के आरोप प्रत्यारोपों पर मैं नहीं जाना चाहता मैं तो मामले के मेरिट्स पर जाना चाहता हूं । हो सकता है इन्जीनियर इरिगेशन के विभाग ने फेमिन कार्य के अन्तर्गत स्वीकृति दे दी हो पर क्योंकि दूसरे जिले के तालाब का इन्टरसेप्शन होता है कैचमेंट इन्टरसेप्ट होता है इसलिये बाद में बन्द किया गया है ।

श्री फतेहसिंह : यह मगरे की जनता के साथ अन्याय हो रहा है इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ भी बड़ा अन्याय हो रहा है इसलिये मैं भी घोर विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

पंचायत समिति, बिलाड़ा में ज्वार के बीज की खरीद

158. श्री कानूराम आर्य (बिलाड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 66 में पंचायत समिति, बिलाड़ा में ज्वार के बीज खरीदने के लिये 5000 व 10000 रु. की राशि दी गई ? यदि हां, तो किस-किस को ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रकम से अभी तक न तो बीज खरीदा गया और न रकम ही वसूल की गई ?

(3) यदि बीज की खरीद की गई तो बीज कब खरीदा गया व किस किस को कब कब बांटा गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति व स्थाई समिति का प्रस्ताव समिति क्षेत्र से बाहर से ज्वार खरीदने का था ? यदि हां, तो फिर उक्त राशि क्यों दी गई थी ?

(5) उक्त रकम का अब तक दुरुपयोग किये जाने के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? तथा क्या सरकार इस रकम का ब्याज भी वसूल करने का विचार रखती है ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां । श्री प्रेम स्वरूप माथुर

(श्री परसराम मदेरणा)
कृषि प्रसार अधिकारी को 15000) रु दिये गये ।

(2) जी नहीं ।

(3) बीज दिनांक 22-6-66 से दिनांक 10-7-66 तक की अवधि में खरीदा गया । बीज ग्राम सेवक बुचकला व भावी को दिनांक 23-6-66 को तथा ग्राम सेवक खारिया मीठापुर को दिनांक 1-7-66 को वितरण के लिये दिया गया ।

(4) जी हां, राशि पंचायत समिति के निर्णय के अनुसार एडवान्स के तौर पर दी गई ।

(5) रकम का बीज की खरीद में उपयोग किया गया है इसलिये किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री कालूराम आर्य : 15,000 रु० के अलावा उक्त अधिकारी को अलग से पैसा दिया गया है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : काहे के लिये ?

श्री कालूराम आर्य : बीज के लिये ।

श्री परसराम मदेरणा : आपने 15,000 का पूछा है, उसका उत्तर दे दिया और के लिये पूछते तो उसके सम्बन्ध में भी बता देता ।

श्री अध्यक्ष : श्री शेखावत !

गंगानगर शुगर मिल्स

159. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर शुगर मिल्स को जो 15 फरवरी को बन्द हो जाती है, वर्ष, 1967 में 15 मार्च तक चालू रखा गया ?

(2) इस महीने में कितना गन्ना पेला गया और उसमें शुगर पर्सेन्टेज कितना पाया गया ?

(3) सीजन शुरू होने से लेकर (नवम्बर से लेकर) जनवरी तक किस किस महीने में कितना कितना गन्ना पेला गया और उसमें शुगर पर्सेंटेज कितना कितना पाया गया ?

(4) पिछले 10 वर्षों में 15 फरवरी से 15 मार्च तक क्या पहले भी कभी मिल चलाई गई ? यदि हां, तो कब कब, कितने कितने समय के लिये ?

(5) क्या यह सही है कि इस वर्ष मिल को इस एक माह में चालू रखने के कारण लगभग दो तीन लाख रुपये का घाटा हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन है ?

उपमंत्री, राजकीय उपक्रम (श्री प्रद्युम्नसिंह): गंगानगर शुगर मिल्स सदैव 15 फरवरी को ही बन्द होती रही है । पिछले दस वर्षों में केवल दो वर्षों में ही गन्ने की कमी के कारण मिल 15 फरवरी से पहले बन्द हो गई । हां यह सही है कि सन् 1967 में शुगर मिल 15 फरवरी से 15 मार्च तक चली है ।

(2) 16 फरवरी से 15 मार्च 1967 तक 1,86,362 क्विन्टल गन्ना पेला

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
गया तथा इस महीने में जो गन्ना पेला गया उसमें खांड युक्त पदार्थ 9.47 प्रतिशत पाये गये एवं उसमें से 6.67 प्रतिशत रिकवरी निकली।

(3) नवम्बर 66 में 31,600 क्विन्टल गन्ना पेला गया, उसमें खांड युक्त पदार्थ 10.74 प्रतिशत थे, रिकवरी 8.00 प्रतिशत थी। दिसम्बर 66 में 2,28,600 क्विन्टल गन्ना पेला गया उसमें खांड युक्त पदार्थ 10.52 प्रतिशत, रिकवरी 8.05 प्रतिशत थी।

जनवरी 67 में 2,60,800 टन गन्ना पेला गया उसमें खांड युक्त पदार्थ 10.47 पर्सेंट और रिकवरी 8.13 पर्सेंट थी।

फरवरी 65 में 2,21,800 टन गन्ना पेला गया, खांड युक्त पदार्थ 9.87 पर्सेंट और रिकवरी 7.18 प्रतिशत।

(4) 1956-57 में 11-4-57 तक मिल चलाई गई

1957-58 में 29-3-58 तक

1958-59 में 23-2-59 तक

1959-60 में 1-5-60 तक

1960-61 में 21-4-61 तक

1961-62 में 16-3-62 तक चली

1962-63 में 17-3-63 तक चली

1963-64 में 6-2-64 तक चली

1964-65 में 1-2-65 तक चली

1965-66 में 23-4-66 तक चली

1966-67 में 15-3-67 तक चली।

उपरोक्त आंकड़ों से यह विदित होता है कि पहले दस वर्षों में यानी 1956-57 से लेकर 1965-66 तक आठ वर्षों में मिल केवल फरवरी मार्च तक ही चली जब कि कुछ वर्षों में मिल अप्रेल मई के महीने में भी चली लेकिन दो वर्षों में 63-64 व 64-65 में गन्ने की कमी व न मिलने के कारण मिल को फरवरी के प्रथम सप्ताह के बाद नहीं चलाया जा सका।

(5) यह सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि गंगानगर शुगर मिल इस आधार पर चलाई जाती है कि उसको जो गन्ना मिल रहा है उसका शुगर पर्सेन्टेज पहले के पर्सेन्टेज से कम नहीं आता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह सवाल फिर से पूछिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि गंगानगर शुगर मिल में जो गन्ना पेला जाता है उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि गन्ने में शुगर पर्सेन्टेज जो गुजरे महीने में आया है उससे कम शुगर पर्सेन्टेज अगले महीने में नहीं आना चाहिये यानी फरवरी से पहले जो शुगर का पर्सेन्टेज उसमें आया है उससे कम पर्सेन्टेज फरवरी में नहीं रहना चाहिये?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हां इस बात का ध्यान रखा जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि 59 के फरवरी और इसके पहले के पीरियड में जो गन्ने का शुगर पर्सेन्टेज आया वह पर्सेन्टेज उससे पहले के पर्सेन्टेज से कम था ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हां यह सही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रश्न पर डायरेक्टर्स में मतभेद था कि इतना कम पर्सेन्टेज आ रहा है इसलिये शुगर की कम क्वान्टिटी वाले गन्ने के खरीदने और मिल को चलाने का काम हमें अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये और मिल को बन्द कर देना चाहिये ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : डायरेक्टर्स में मतभेद था लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में तय हो जाने के बाद चलाया गया। जिन्होंने मतभेद जाहिर किया था उन्होंने उस निर्णय पर किसी प्रकार का नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में निर्णय लिया गया तब तक गंगानगर शुगर मिल बन्द कर दी गई थी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : डेट बता दीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : 6 मार्च को।

श्री भैरोंसिंह : 25 फरवरी से चालू करने का प्रश्न आता है। फरवरी में मिल को चालू करने के प्रश्न पर डायरेक्टर में मतभेद हो गया और फैक्ट्री बन्द हो गई फिर गलत काम कर लिया था उसको एप्रूव कराने के लिये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में निर्णय लिया गया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : फैक्ट्री बन्द नहीं हुई 15 मार्च तक चली है, उसके चालू रहने के दौरान ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निर्णय ले लिया था चालू रखने का।

श्री भैरोंसिंह : 15 फरवरी तक चलनी चाहिये थी, उससे आगे नहीं चलाई जाय, इसके बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मतभेद हो गया, उसके बाद 6 मार्च को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में तय किया कि 15 फरवरी से चलाया जाय, यह रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से चलाने का अधिकार डायरेक्टर्स को किसने दे दिया था ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं आपसे निवेदन करूं कि फैक्ट्री की जो बात थी, गन्ने की फसल जो खड़ी थी, वहां पर गंगानगर के अन्दर हम काश्तकारों से अपील निकालते हैं कि गन्ना दिया जाय और उसके बाद इस बात को वे लिखित रूप में देते हैं कि इतना गन्ना देने की स्थिति में हैं पिछले वर्ष शीत लहर के कारण और पाले के कारण फसल को नुकसान हुआ। आपको मालूम है कि गन्ने की कितनी कमी है, अगर हम उनसे गन्ना नहीं लेते तो उसका एडवर्स इफैक्ट होता है। गंगानगर के अन्दर कार्मशियल क्राप्स पैदा हो सकते हैं। अगर हम उनका गन्ना नहीं लेते तो कार्मशियल क्राप्स की ओर किसान जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो यह माना जाय कि फैक्ट्री को नुकसान हो या लाभ हो, यह प्रश्न नहीं था, फैक्ट्री को चालू रखा जाय या नहीं यह प्रश्न नहीं था। प्रश्न यह था कि जिन

Page No. 21

(श्री भैरोंसिंह)
किसानों ने गन्ना बोया है और पाले के कारण जिनकी खेती खराब हुई है, उनको राहत पहुंचाने के लिये फैक्ट्री को चालू रखा गया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : किसान को ही नहीं बल्कि फैक्ट्री को भी लाभ पहुंचाने की जरूरत थी। गंगानगर शुगर मिल को करीब 6।। लाख का लाभ हुआ है, नुकसान की कोई बात नहीं।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (इकलेरा) : क्या यह सही है कि 1962-63 में इस फैक्ट्री को 1,60,000) का घाटा रहा और 1964-65 में 6 लाख का घाटा रहा ?

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

तहसील भदेसर के ग्राम की चरनोट की जमीन

160. **श्री शंकरलाल** (कपासन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या देवड़ा पीपली, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ में पशुओं के चरने के लिये महफूज चरनोट है? यदि हां, तो कितनी आराजी और किस नम्बर की है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांव की चरागाह में से करीब आठ नौ किसानों को भूमि आवन्टित की गई है? यदि हां, तो किस किस किसान को कितनी कितनी भूमि आवन्टित की गई और क्यों?

(3) क्या चरागाह की भूमि का आवन्टन करने का अधिकार तहसीलदार, सरपंच या आवन्टन करने वाली समिति को है? यदि नहीं तो जिन व्यक्तियों को भूमि आवन्टन की गई उनसे भूमि छुड़वाने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी?

(4) इस तरह से भूमि आवन्टित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी):
(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। आगे प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

प्रश्न संख्या 161.
श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशन!
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण!

भूमिहीन कृषि मजदूर

162. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितने भूमिहीन कृषि मजदूर हैं? क्या इसकी कोई सर्वे की गई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यदि की गई तो कब? किसके द्वारा? कृपया सब रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री दौलतराम सारण)

(2) इन भूमिहीन कृषि मजदूरों को रोजगार देने की क्या योजना है?

(3) कब तक सबको रोजगार दे दिया जायगा और किस प्रकार?

(4) क्या कृषि मजदूरों की मजदूरी छुट्टी, कल्याण, विवाद, निपटारा आदि के लिए औद्योगिक मजदूरों की भांति ही कानूनी व्यवस्थायें हैं? यदि है, तो क्या क्या? और नहीं, तो क्यों नहीं? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूर्णतया सूचना नहीं प्राप्त हुई है, इसलिये इसे स्थगित किया जाय।

श्री दौलतराम सारण : यह तो बुनियादी प्रश्न है, इसमें सूचना प्राप्त करने का तो सवाल ही नहीं है। अगर इसकी सूचना नहीं है तो उत्पादन कैसे होगा और योजना कैसे बनेगी?

श्री गंगाराम चौधरी : पहले यह प्रश्न योजना विभाग में चला गया, अब राजस्व विभाग में आया है।

श्री दौलतराम सारण : कब तक दिया जायगा?

श्री अध्यक्ष : जब विधान सभा फिर मीट करेगी तब।

श्री विजयसिंह रावत !

कृषि योग्य भूमि तथा उससे आय

163. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कृषि योग्य भूमि कितनी है?

(2) यह राज्य की कुल भूमि का कितना कितना प्रतिशत है?

(3) कुल काश्त योग्य भूमि में से कितनी भूमि में काश्त होती है?

(4) काश्त योग्य भूमि में से कितनी भूमि में सिंचाई होती है?

(5) सन् 1957 में काश्त योग्य भूमि कितनी थी?

(6) 1957 में भू-राजस्व की कुल कितनी आय सरकार को हुई थी और आज कितनी है?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : इसकी सूचना भी अभी तक एकत्रित नहीं हुई है।

श्री विजयसिंह रावत : तो बाकी सूचना आपके पास किस बात की है, दाल आटे की है कि वह घर के अन्दर पर्याप्त है?

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक कृपया शांत रहें।

श्रीमती शिव कुमारी !

कोटा व झालावाड़ जिलों में ट्रेसपासर्स के विरुद्ध कार्यवाही

164. **श्रीमती शिवकुमारी** (खानपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा व झालावाड़ जिलों में सरकारी, पंचायती व सार्वजनिक भूमि पर सन् 1961 से लेकर अब तक अतिक्रमण रोकने के क्या क्या प्रयास सरकार द्वारा किये गये हैं और उनके तहत हर साल कितनी कितनी जमीन से ट्रेसपासर्स को उनके नाजायज कब्जों से हटाया गया है या उन पर मुकद्दमें चलाये गये हैं ? तहसीलवार लिस्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे।

(2) सरकार द्वारा वर्ष 1967 में झालावाड़ व कोटा जिलों में कुल कितने व्यक्तियों की फसलें जब्त की गईं, चराई गईं व जुर्माने की गई ? यह भी बतावें कि यह कार्यवाही करीबन कितने प्रतिशत ट्रेसपासर्स के खिलाफ हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसे स्थानों पर भी जिन पर ट्रेसपासर्स का कब्जा हो जाने से लोगों व मवेशियों के आने जाने में दिक्कत आने लगी है, नई रियायत के तहत अलग नहीं किया गया है ? कृपया कोटढ़ा घाटा, खेरखेढ़ा तहसील झालरापाटन व मियाडा दुखारी, सूमर, जरगा, तहसील खानपुर से प्राप्त इस प्रकार की शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न के सम्बन्ध में भी सूचना एकत्रित नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी इन्कारी से थक रहा हूं।

श्री विजय सिंह (मकराना) : ऐसी निकम्मी सरकार को यहां पर बैठना नहीं चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

प्रश्न संख्या 165।

श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य !

ग्राम बुद्धपालिया तहसील नोहर में जमीन का अलॉटमेन्ट

166. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नौहर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बुद्धपालिया, तहसील नोहर में खसरा नम्बर 80, 82, 83 व 113 रिकार्ड में जोहड़ ताल दर्ज है ? यदि हां तो इसका एलॉटमेन्ट विभाग ने पं. जयनारायण, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य के नाम क्यों किया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांव में कुओं का पानी खारा है और पीने के पानी के लिये साधन यह तालाब है जिसका यह पायतन है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस तालाब को भरने के लिये जो इस जमीन से पानी आता है उसके नष्ट होने से पानी का विकट संकट पैदा हो गया है ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) जी हां। सेटलमेन्ट विभाग

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

द्वारा जो पैमाइश सम्वत् 2003 में ग्राम बुद्धपालिया की हुई उसमें कुल 444।)2 बीघा में से खसरा नं. 83 में 415) 2 बीघा पायतन और 5।) 1 बीघा गैर मुमकिन तथा अन्य खसरा नं. 80, 82, 113 में गैर मुमकिन दर्ज थी। परन्तु राजस्थान नहर निर्माण के बाद ग्राम बुद्धपालिया में ग्राम बुद्धपालिया नाम से 5 चक बने हैं और अब कुल चक नं. 1 और 2 में 8 बीघा जोहड दर्ज है। बाकी रकबा सरकारी भूमि दर्ज है जो कि नियमानुसार भूमि आवन्टन के लिए दी जा सकती है। पं. जयनारायण को उक्त सरकारी भूमि में से ही आवन्टन किया गया है।

(2) जी नहीं। पानी खारा अवश्य है पर राजस्थान नहर निर्माण के बाद पानी का कोई संकट पैदा नहीं हुआ है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल के किसी भी गांव को आज तक जोहड की भूमि एलाट नहीं हुई है और खारे पानी के द्वारा ही इन लोगों का निर्वाह होता है, जान बूझकर उपनिवेशन विभाग ने भूतपूर्व विधान सभा सदस्य के नाम से दूसरे जगह से तब्दीली करके दी गई है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बचत रकबे के बीच में नहर निकली। नहर निकलने से यह रकबा अपने आप दो भागों में विभक्त हो गया। यह भूमि आवन्टन के लिये अवेलेबिल थी रेकार्ड के आधार पर, इस लिये जोहड का प्रश्न नहीं उठता। दूसरी बात, जिस रकबे के लिये आप कहते हैं कि श्री जयनारायण को एलॉट किया गया तो वह नहर के दोनों दिशाओं में 12 रकबे में। इनमें से 2 रकबे उनके पास हैं, बाकी मुरब्बे आराजी काश्तकारों के पास हैं। माननीय सदस्य को केवल इस व्यक्ति के सम्बन्ध में एतराज है, दूसरे भी कहीं ऐसा कर रहे हैं, किसी की कोई शिकायत नहीं है। पानी अगर भरता है तो आवश्यकतानुसार काम आता है, नहर से पानी दे देते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि खारे के नीचे मोगे रखे हुए हैं और उसी पानी से जोडे भरते हैं और उस गांव की जिन्दगी इसी तालाब पर निर्भर है और इस जमीन को जानबूझकर उपनिवेशन विभाग ने रिश्वतें खाकर इस जमीन को फिट किया है?

श्री अध्यक्ष : (मन्त्री महोदय से) क्या यह सही है कि गांव का निर्वाह इसी से होता है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नाजायज तौर पर गांव वालों ने कुछ नलके लगाए थे, उनको हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामचन्द्र आर्य : जमीन दूसरी तहसील से तबदीली करके ...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सवाल ही नहीं उठता।

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : क्या यह सही है कि श्री जयनारायण को उखाड़ने के लिये गांव वाले उनसे लड़ रहे हैं?

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि इस बात को जान बूझकर दबाया जा रहा है?

Page No. 25

(श्री रामचन्द्र आर्य)
यह जमीन पदमपुर तहसील से काश्त की गई थी। इस गांव को उजाडने के लिये मिली-भगत से जमीन यहां पर आई है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई दबाव नहीं है। भूतपूर्व जागीरदार की हैसियत से जमीन एलॉट हुई है। आप कहते हैं कि किसी और जगह एलॉट हुई और यहां तब्दीली में दी गई है। इसकी पूरी जानकारी मुझे इस समय नहीं है, लेकिन ऐसा सम्भव हो सकता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं जानना चाहूंगा कि यदि यह जमीन तब्दील होकर आई है तो सरकार उसे खारिज करेगी?

श्री अध्यक्ष : हाईपोथेटिकल ! श्री गंगा सहाय।

श्री रामचन्द्र आर्य: लोगों को पानी पीने के लिये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक हजार आदमी आबादा हैं और पानी नहीं मिले.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री रामचन्द्र आर्य : लोगों की जानें खतरे में हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आदमियों की जानें....

श्री अध्यक्ष : बैठे हुए मत बोलिये! वन मन्त्री।

(12 मध्यान्ह)

आबू पर्वत के वनों को कटाई।

167. **श्री गंगासहाय** (कठूमर): क्या वन विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है आबू पर्वत श्रृंखलाओं से सम्बद्ध 1100 एकड़ भूमि के वनों को अवैध रूप से काट दिया गया है।

(2) क्या यह सही है कि सिरोही के निकट माता पहाडियों से कटकर अवैध रूप से जाते हुए लकडियों के ट्रकों को आम्बेश्वर जी के निकट पुलिस द्वारा पकड़ा गया?

वन मन्त्री (श्री नारायण सिंह मसूदा): (1) जी नहीं। आबू पर्वत श्रृंखलाओं से सम्बन्धित वन विभाग की 1100 एकड भूमि में अवैध कटाई नहीं हुई।

(2) जी नहीं।

श्री गंगा सहाय : क्या यह सच है कि पकडी गई लकडियों की सामाचार-पत्रों में लिखा-पढ़ी हुई है और उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई?

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है?

श्री नारायण सिंह मसूदा : इसमें कुछ लोगों को जिनको अलॉट की गई थी जमीन टोकरा के आस पास, उनकी ऐसी शिकायत आई थी कि उन्होंने आबू पर्वत श्रृंखलाओं से अवैधानिक रूप से कुछ कटाई की थी। 1530 रु. मुकम्मिल वसूल किये गये हैं और उसके अलावा नाका अनादरा की एक

Page No. 26

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
अपराध सम्बन्धी उनकी रिपोर्ट 30-12-67 की है जिसकी जांच वन अधिकारी द्वारा की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री मूलचन्द डागा।

हेमावास के बान्ध के कमान्ड एरिया की जमीन

168. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हेमावास बान्ध के कमान्ड एरिया में कितनी जमीन किस किस की किस 2 बीघे में ऐसी हैं जहां कोई पैदावार नहीं होती ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त जमीन पर काश्त जमीन के खारस होने के कारण नहीं होती ?

(3) क्या यह सत्य है कि इन लोगों को जिनके पास खारस भूमि होते हुए भी पानी हेमावास बान्ध से बराबर सिंचाई के लिये दिया जाता है ? यदि हां, तो फिर वे पानी का क्या करते हैं ?

(4) क्या यह सत्य है कि वे बराबर पानी को बेच कर बिना काश्त किये हुए लाभ उठाते हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) हेमावास बान्ध के कमान्ड एरिया में 1079।। बीघा भूमि पथरीली एवं खारच है। सूची संलग्न है।

(2) जी हां, यह सत्य है कि उक्त जमीन में पथरीली एवं खारच होने से काश्त नहीं होती है।

(3) बान्ध में उपलब्ध जल की मात्रा के अनुसार ऐसे क्षेत्र में भी अन्य खातेदारों की भांति जल-वितरण किया जाता है। खातेदार अपने हिस्से का पानी अन्य अच्छी भूमि में सिंचाई के लिये रद्दोबदल कर लेते हैं या यह भी ज्ञात हुआ है कि कृषकगण अपने इस हिस्से के पानी की धनराशि लेकर बेच देते हैं। इस वर्ष जल वितरण के साथ यह निर्णय लिया गया कि कोई भी काश्तकार अपने हिस्से का पानी न तो बेच सकेगा न किसी को स्थानान्तरित भी कर सकेगा। समय के अभाव से सम्पूर्ण कृषक इससे अवगत न हो सके जिससे यह आदेश इस वर्ष पूर्णतया प्रभाव में न आ सका।

(4) पानी का स्थानान्तर बन्द कर देने के बाद इस प्रकार के कृषक लाभ नहीं उठा सकेंगे।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा : आपने जो पानी का स्थानान्तरण बन्द किया है वह किसका बन्द करना चाहते हैं जिनके पास खारच जमीन है उनका या जिनके पास काश्त योग्य भूमि है उनका ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक स्थानान्तरण का सवाल है जिस किस्म की भूमि आपने अपने प्रश्न में उठाई है पथरीली

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
एवं खारच जमीन उनके तबादले को बन्द कर दिया, यह सिस्टम ठीक नहीं है। पानी को तबादला करने का कृषि भूमि पर पानी का तबादला करने का, इस सम्बन्ध में रिवाज चल रहा है उसके बारे में विचार करके निर्णय लेंगे।

एक माननीय सदस्य: क्या यह सही है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता!

श्री मूलचन्द डागा : आपने जो यह जवाब दिया है कि खारच जमीन है वह खारच जमीन कब हुई? आपने जो यह बताया है कि खारच होने के कारण हैं, वह कब हुई? इस साल हो गई या कई वर्षों से खारच है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खारच तो पहले से है।

श्री अध्यक्ष : आप बता दीजिये कब हुई?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 270 बीघा बेकार जरूर है। लेकिन जो जमीन यूजफुल है, कृषि नहीं होती है उस भूमि को पानी न दिया जाय और अपने हिस्से के पानी का तबादला दूसरे को कर दिया जाता है अब ऐसा कोई नहीं कर सकेंगे, ऐसे आदेश हम जल्दी ही प्रसारित कर देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो कमान्ड एरिया में जमीनें आई हैं उनमें बेटरमेन्ट लेवी नहीं लगाई जायगी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बिलकुल अलग प्रश्न है।

श्री मूलचन्द डागा : अलग नहीं है।

प्रश्न संख्या 169

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। श्री नत्थी सिंह!

(अनुपस्थिति, कृपया आगे देखिये)

श्री हरजी राम बुरड़क!

ग्राम पंचायत ढींगसरी के सरपंच का निर्वाचन तथा पद का चार्ज

170. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री पूर्णाराम, सरपंच, ग्राम पंचायत ढींगसरी ने पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर को सरपंच निर्वाचित हुए करीब ढाई वर्ष होने जा रहे हैं पर अभी तक उन्हें पंचायत चार्ज नहीं मिला है? यदि हां, तो वो चार्ज किसके पास है और अनधिकृत रूप से चार्ज को रखने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

(2) पूर्व पंचायत का सामान, रकम आदि जिस व्यक्ति के पास है उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी नहीं। चालू चार्ज दिनांक 1-12-66 से मिल गया है।

(श्री परसराम मदेरणा)

(2) इस मामले में आवश्यक जांच करवाई जा रही है।

प्रश्न संख्या 171

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री जयनारायण दिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवण लाल !

ग्राम पंचायत जुगराजपुरा में भूमि का एलॉटमेन्ट।

172. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम पंचायत जुगराजपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर में भूमि एलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा 16-7-66 की बैठक में किन-किन भूमिहीन किसानों को भूमि एलॉट की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि भूमि उन व्यक्तियों को भी एलॉट करदी गई जिनके पास पहले से ही भूमि थी ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के पास कितनी-कितनी भूमि थी और उनके क्या नाम हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सम्बन्धित एस. डी. एम. के पास इस एलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में यह शिकायत की गई है कि पहले जिन व्यक्तियों को उक्त बैठक में भूमि दी गई थी उनके प्रार्थना–पत्र ही बाद में गायब कर दिये गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में एस. डी. एम. ने क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसे स्थगित करने की कृपा करें।

श्री श्रवणलाल : प्रश्न जिनके लिये हम पूछते हैं, उनका उत्तर ही इनके पास नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, इनको हिदायत दी जाय की ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मंगवायें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न सं. 173

श्री देवीदत्त गाड़िया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

तहसीलदार, किशनगंज के विरुद्ध शिकायत

174. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–—

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार किशनगंज की रिपोर्ट पर बंगाली कॉलोनी घट्टा–घट्टी में रहने वाले 2 बंगाली विस्थापितों के विरुद्ध कुछ माह पूर्व पुलिस में कोई रिपोर्ट अंकित हुई है ? यदि हां, तो किस तारीख को एफ. आई. आर. लिखी गई और उसमें क्या रिपोर्ट अंकित हुई ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस ने एक दो बंगाली विस्थापितों को गिरफ्तार करके बारां सब-जेल में बन्द कर दिया था ? यदि हां, तो किस तारीख को किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया ?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार, किशनगंज न उक्त बंगाली विस्थापितों को डंडों से बुरी तरह से पीटा था और उसकी शिकायत हुई थी? यदि हां, तो तहसीलदार के विरुद्ध क्या शिकायत हुई?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी नहीं। हां, मुन्नालाल चपरासी, घट्टा-घट्टी की रिपोर्ट पर दिनांक 27-4-67 को छः बंगालियों के विरुद्ध धारा 363 तरमीम 332, भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत थाना नाहरगढ़ में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। प्रथम सूचना की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जी नहीं, केस काबिल जमानत होने से 1000-1000 की जमानत ली गई है।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि बंगाली विस्थापितों को थाने में ले जाकर पिटाई करने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट अंकित करवाई है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गृह-मंत्री जी से यह सवाल पूछ लिया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह जो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और माल कुर्क किया है वह किस अपराध में किया है?

एक माननीय सदस्य : आपने जवाब ही क्यों दिया? होम मिनिस्टर साहब को भेज देना चाहिये था।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपने पूछा है कि तहसीलदार ने पीटा, तो पिटाई के बारे में गृह मंत्री जी से पूछें।

श्री दौलतराम सारण (डुंगरगढ़) : किसी ने भी पिटाई की हो, गृह विभाग से सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : गृह विभाग को रेफर किया है।

श्री केशरी सिंह हाड़ा !

बून्दी शहर के आस-पास की पहाड़ियों के जंगल की कटाई

175. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बूंदी शहर के आस-पास की पहाड़ियों में जो जंगल आज से 20 साल पहले था, कब कटा और ठेका किसको दिया गया था?

(2) क्या यह सच है कि बूंदी शहर के आस-पास का जंगल रेन्जर व लकातियों की लापरवाही के कारण अभी भी कटता जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि जंगलों के अन्धा धुन्ध कटने से वर्षा में भारी कमी आ गई है?

(4) बूंदी रेन्ज का रेन्जर कौन है और यहां पर कितने सालों से नियुक्त है?

वन मंत्री (राव श्री नारायणसिंह मसूदा) :

(1) बूंदी शहर के आस-पास की पहाड़ियों के जंगलों को काटने का कोई ठेका नहीं दिया गया है।

(राव श्री नारायणसिंह)

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) बूंदी रेन्ज के रेन्जर श्री शक्तिमोहन सिंह हैं जो माह मई, 1967 से नियुक्त हैं।

श्री केशरीसिंह हाड़ा: यह प्रश्न पूछा जिस वक्त के लिये पूछा गया है, उस वक्त कौन रेन्जर था ? जिस वक्त यह प्रश्न प्रस्तुत किया गया था उस वक्त रेन्जर कौन था ? यह प्रश्न नहीं है कि अभी कौन है।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : उस वक्त कौन रेन्जर था, यह अभी पता नहीं है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : आपने कहा ठेका नहीं दिया गया तो पहाड़ियां किस प्रकार काटी गईं, कृपा करके इसके लिये बतलावें।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : बूंदी के आस पास की धरती पथरीली है और जंगल है, वहां सरगोजा वालों की तादाद ज्यादा है। उनको ही अधिकांश लकड़ी काटने के लिये दिया जाता है। करीब हजार-आठ सौ व्यक्तियों को रोका गया है लेकिन उसके ऊपर काफी हुल्लड़बाजी हुई। इस वर्ष भी रोका गया है और इस बार भी काफी हुल्लड़बाजी हुई है। बाकी का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : क्या यह सत्य नहीं है कि राजनैतिक दृष्टिकोण से ये जंगल कटवाये जाते हैं और जिसमें राजस्व मंत्री जी सहयोग देते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बिलकुल गलत है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा: इनके कहने से क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नाट एट आल। बिलकुल गलत है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : अर्डर प्लीज ! ऐसे एलीगेशन्स अगर आधारयुक्त हैं तो उनको सब्स्टेन्शियेट करने के पहले प्रावधान हैं। आरोप लगाते हैं, यह उचित नहीं है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा: यह शिकायत नहीं है यह सही स्थिति है कि यहां के रेन्जर श्री बिहारीलाल जो राजस्व मंत्री का खास मरजीदान था उसका तबादला सी. सी. एफ. द्वारा हो गया था लेकिन वह तबादले पर नहीं गया फिर से उसको पाटन के अन्दर मुकर्रर किया गया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री जयनारायण सालोदिया !

टोंक के छात्रावास की सिलेक्शन कमेटी की बैठक

171. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार का यह आदेश है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के छात्रावासों में छात्रों की भरती करते समय उस क्षेत्र के विधायक को भी सिलेक्शन कमेटी में बुलाना आवश्यक है ? यदि हां, तो टोंक में चल रहे छात्रावास के सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग कब बुलाई गई और वहां के विधायक को सूचना दी या नहीं ? यदि हां, तो कब दी गई और नहीं दी, तो क्यों ?

Page No. 31

समाज-कल्याण मंत्री (राव श्री नारायण सिंह मसूदा) : राज्य सरकार के आदेश के अनुसार समाज-कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में छात्रों के प्रवेश के समय स्थानीय किसी अनुसूचित जन जाति अथवा अनुसूचित जाति के विधान सभा के सदस्य को छात्रावास सलाहकार समिति में बुलाये जाने का प्रावधान है। यदि अनुसूचित जन जाति अथवा जाति का कोई स्थानीय विधान सभा सदस्य न हो तो उस अवस्था में वहां के किसी भी स्थानीय समाज सेवक को बुलाया जाना चाहिये।

उक्त नियमों के अनुपालन में टोंक में संचालित छात्रावास की सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 23-7-1967 को छात्रों के चयन हेतु बुलाई गई। टोंक में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का कोई स्थानीय विधान सभा सदस्य न होने की अवस्था में स्थानीय समाज सेवक जो कि अनुसूचित जाति के ही हैं उन्हें बैठक में बुलाया जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय मंत्री महोदय को क्या पता नहीं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र टोंक भी है। मैं टोंक पंचायत समिति का व जिला परिषद् का सदस्य भी हूं।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : आप तो निवाई से हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : उसमें कुछ हिस्सा टोंक का भी आता है वह भी मेरा निर्वाचन क्षेत्र है।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : यह मैंने निवेदन किया ही है अगर वहां का स्थानीय शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई सदस्य न हो तो दूसरों को बुलाया जाता है। अगर आपका निर्वाचन क्षेत्र भी वहीं है तो यह हिदायत कर दी जायगी कि आपको ही बुलाया करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या मंत्री महोदय की जानकारी में नहीं है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में टोंक का भी हिस्सा पड़ता है?

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में ये क्या कह सकते हैं।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील हाई टेक ग्लास प्रेसीजन लि., धौलपुर

150. **श्री मुकटबिहारी लाल गोयल** (बयाना) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) हाई टेक ग्लास प्रेसीजन लि०, धौलपुर में सरकार का कितना रुपया अब तक लग चुका है या कर्ज के रूप में दिया गया या कर्ज के तौर पर देने की गारंटी सरकार द्वारा दी गई है?

(ख) उक्त उद्योग का वार्षिक उत्पादन क्या है तथा उसका वार्षिक व्यय क्या है तथा कुल कितना लाभ हुआ है?

(ग) इस समय उक्त उद्योग की कुल पूंजी क्या है, तथा भवन, तैयारशुदा माल आदि का मूल्य क्या है, तथा बैंक आदि की देनदारी आदि क्या है?

उत्तर

(क) हाई टेक प्रेसीजन ग्लास लि., धौलपुर में सरकार के 7,60,000 रु. के शेयर हैं।

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

(ख) सरकार द्वारा अब तक 9,50,000 4,67,988 = 14,17,988 रु. का कर्ज दिया जा चुका है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा इस कम्पनी को 6 लाख रु. तक कर्ज दिये जाने की गारंटी हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक को दी गई थी जो राज्य सरकार द्वारा वापिस ली जा रही है। कम्पनी ने उक्त बैंक का कर्ज चुका दिया है। इस उद्योग का वार्षिक उत्पादन खर्चा व नुकसान निम्नलिखित है :—

आंकड़े रुपयों में

	63-64	64-65	65-66
	3,96,000	7,79,000	7,50,000
अन्य	6,77,000	11,22,000	11,54,000
	2,80,655	3,42,535	4,04,106

इस समय उक्त उद्योग की कुल पूंजी तैयार माल के रूप में 3,84,000 रु. तथा अन्य एसेट के रूप में 6,68,000 रु. कुल 9,62,000 रु. के लगभग है। इसी रकम में भवन व तैयारशुदा माल का मूल्य शामिल है। भवन का मूल्य 2,04,675 रु. है और तैयारशुदा माल का मूल्य 3,82,220 रु. है। बैंकों की कोई देनदारी नहीं है। हिन्दुस्ताम कॉमर्शियल बैंक को 4,84,000 का ऋण चुकाया जा चुका है।

तहसील जमवा—रामगढ़ में चीनी का एलाटमेन्ट

151. श्री नाथूराम फरोल (जमवा—रामगढ़) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील जमवा-रामगढ़, जिला जयपुर में माह मार्च सन् 1967 से लेकर दिसम्बर, 67 तक कितनी—कितनी चीनी किस—किस डीलर को किस-किस पंचायत की व कौन कौन सी तारीख को दी गई ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

तहसीलदार, झुन्झुनूं द्वारा शादी के लिए चीनी के परमिट

153. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसीलदार, झुन्झुनूं द्वारा देहात के लोगों को शादी के लिये 5 किलो चीनी दी जाती रही है जबकि उन्हीं दिनों झुन्झुनूं कस्बे के लोगों को 30 किलो से लेकर 1 बोरी तक के परमिट दिये गये हैं? यदि हां, तो यह फर्क क्यों रखा गया है ?

(सरकार द्वारा स्थगित करने के लिये प्रार्थना की गई)

राज्य सरकार द्वारा ऋणों का भुगतान

161. श्री रामकिशन (वैर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान सरकार को विभिन्न प्रकार के कितने—कितने ऋण (मूलधन व ब्याज) किस-किस प्रकार से 1966-1967 व 1967-1968 के लिए चुकाने हैं व उनमें से कितने चुकाये जा चुके हैं व कितने शेष हैं? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

केन्द्रीय सरकार व स्वायत्त निकायों से आये हुये ऋणों के पेटे मूलधन व ब्याज के रूप में वर्ष 1966–67 व 1967–68 में आज दिन तक देय राशि पूरी की पूरी चुकाई जा चुकी है कोई देय रकम बाकी नहीं है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

सार्वजनिक ऋणों के पेटे मूलधन की अभी तक कोई राशि देय नहीं हुई है। ब्याज की राशि ऋण-पत्र धारक जैसे जैसे लेने के लिये आते हैं नियमानुसार चुकादी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

मकान किराया देने के आधार

165. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कर्मचारी महा संघ, जिला अलवर ने अपने एक मांग-पत्र द्वारा अलवर शहर में रहने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिये जिनका वेतन 500) रु. मासिक से कम है मकान किराया भत्ता दिये जाने की मांग की हुई है ?

(2) राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने के आधार क्या–क्या हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने गंगानगर शहर में काम करने वाले राज्य कर्मचारियों को 1-8-65 से मकान किराया भत्ता देना स्वीकार कर लिया है ?

(4) क्या यह सही है कि अलवर शहर की जनसंख्या गंगानगर से अधिक है ?

(5) क्या यह सही है कि अलवर शहर राजस्थान सरकार द्वारा घोषित शहरों की सूची में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा के बाद सातवें नम्बर पर आता है ?

(6) क्या यह सही है कि अलवर शहर में मकान के किराये बहुत ऊंचे हैं ?

(7) क्या राज्य सरकार अलवर शहर में रहने वाले राज्य कर्मचारियों को भी गंगानगर की तरह 1-8-65 से मकान किराया भत्ता देना स्वीकार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) किराये के मकानों में रहने वाले कर्मचारियों की संख्या, मकानों की उपलब्धि, किराए की दरों इत्यादि को ध्यान में रख कर निर्णय लिया जाता है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) मकान किराया भत्ता के लिये राज्य सरकार ने कोई शहरों की सूची प्रकाशित नहीं की है । सन् 1961 की गणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से अलवर का सातवां नम्बर है ।

(6) इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(7) जी नहीं।

दुगने लगान की वसूली

169. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर):—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में सन् 1955 से राजस्थान टेनेन्सी एक्ट लागू होने के बाद राज्य लगान से दुगना लगान लिए जाने की प्रथा समाप्त हो गई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में भरतपुर जिले में किसानों से स्वयं राज्य सरकार द्वारा दुगना राज्य लगान वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो सन् 1955 से अब तक किस-किस तहसील में कितना-कितना राज्य लगान दुगने रूप में किसानों से वसूल किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार उक्त रूप से अनुचित तौर पर वसूल किए गये राज्य लगान को किसानों को वापिस करने की कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट सन् 1955 के लागू होने के बाद राज्य लगान से दुगना लगान लिये जाने की प्रथा समाप्त हो गई है। किन्तु राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन एक्ट, 1959 की धारा 30 के अन्तर्गत अलबत्ता उन काश्तकारान से राज्य लगान से दुगना लगान वसूल किया जाता है जो जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन के पूर्व अपने जमींदारी बिस्वेदारी को राज्य लगान के देने से ज्यादा अदा करते थे।

(2) जी नहीं। भरतपुर जिले में उक्त कानून के प्रावधान के उल्लंघन में किसानों से राज्य सरकार द्वारा राज्य लगान से दूना लगान अलावा उक्त पैरा नं. 1 में वर्णित काश्तकारों से और कोई राजपड़ता से दूना लगान वसूल नहीं किया जा रहा है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

'वाई' माइनर के हैड

173. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या यह सही है कि 'वाई' माइनर का हैड जो पहले था और बाद में तब्दील कर दिया गया उस ओरिजिनल को 1967 के आम चुनाव के दौरान मुख्य मंत्री ने खोले जाने का आदेश दे दिया था ?

(ख) क्या यह सच है कि ओरिजिनल पहले वाला नाका खोलकर कई माह तक चलता रहा ?

(ग) "वाई" माइनर का हैड शिवपुर न कर साधूवाली करने का आधार क्या है ?

उत्तर

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) 'वाई' माइनर का हैड पहले भी साधूवाली हैड के पास था अतः शिवपुर पर हैड बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम पंचायत चन्द्राई में निर्माण कार्यों की जांच

45. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सरपंच ग्राम पंचायत चन्द्राई, तहसील लाडनूं, जिला नागौर को 1-2-65 से

Page No. 35

(श्री हरजीराम बुरडक):

31-5-67 तक पंचायत समिति लाडनूं से किन-किन कार्यों के कितने-कितने रुपये दिये गये? और उनमें से सार्वजनिक टांकों के लिए कितने रुपये दिये गये? जिससे कहां 2 पर कितने टांके बनवाये गये?

(2) क्या उन सब टांकों का कम्पलीशन सर्टिफिकेट दे दिया गया और क्या नक्शे व एस्टीमेट के टांके बने हैं?

(3) क्या इसकी जांच किसी इंजीनियर द्वारा करवाई गई है? क्या इनमें से नक्शे के माफिक नहीं बने उनका भी कम्पलीशन सर्टिफिकेट मिल गया है?

(4) एक ही ग्राम में एक से अधिक टाँके बनने के क्या कारण हैं जबकि कई गांवों में एक भी नहीं बना है?

(5) क्या इस पंचायत को पंचायत समिति लाडनूं की सभी पंचायतों से ज्यादा रुपये दिये गये हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

(6) क्या मासिक इकरारनामे के पंचायत ने सब कार्य पूरे किये हैं? यदि नहीं, तो सरपंच के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

(7) क्या यह सही है कि कई टांके गांवों में न बना कर खेतों में बनाये है? यदि हां, तो कैसे? क्या ऐसा प्रावधान है?

(8) इस पंचायत के पूरे निर्माण कार्यों की जांच किसी इन्जीनियर ने की है? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब जांच करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) तीन गांवों में एक से अधिक हौंज सार्वजनिक व स्कूल के लिए अलग 2 आवश्यकता होने से बनवाये गये। कई गांवों में आवश्यकता और मांग नहीं होने से टांके नहीं बनवाये गये हैं?

(5) जी हां, इस पंचायत क्षेत्र की मांग व कार्य कराने की क्षमता सबसे अधिक होने से।

(6) कुछ कार्य निर्धारित अवधि में पूरे नहीं किये गये थे अन्यथा कार्य सब ही माफिक इकरारनामा पूरे करा दिये गये। अतः सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं थी।

(7) जी नहीं।

(8) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

शू-मेकर सेन्टर

46. श्री जयनारायण तालोडिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य के हर जिले में विभाग द्वारा शू-मेकर सेन्टर चलाये जाते हैं? यदि हां, तो टोंक जिले में क्यों नहीं चलाया जाता है? क्या विभाग जिले में शू-मेकर सेन्टर खोलने

(श्री जयनारायण सालोदिया)
का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं।

छात्राओं के लिए छात्रावास भवन

47. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर में लड़कियों के छात्रावास के भवन बनवाने के लिये रुपयों की स्वीकृति हो गई है? यदि हां, तो किस साल के बजट में और कितनी?

(2) भवन के लिये जमीन कहां ली है और निर्माण कार्य कब से चालू किया जावेगा और कब तक पूर्ण होने की उम्मीद है? उसमें कितनी लड़कियों के रहने की व्यवस्था होगी?

उत्तर

(1) जी हां, इस वर्ष सन् 1967-68 में 60,000 रुपयों की स्वीकृति हुई है।

(2) भवन के लिये जमीन अभी तक उपलब्ध नहीं है। जमीन उपलब्ध होते ही कार्य चालू कर दिया जावेगा। उसमें 40 लड़कियों के रहने की व्यवस्था होगी।

ग्राम ललासरी के तालाब की खुदाई व मरम्मत पर व्यय

48. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत व विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, डीडवाना ने व ब्लोक डवलपमेन्ट ऑफिसर, डीडवाना ने कभी ग्राम ललासरी, तहसील डीडवाना के पक्के तालाब की मरम्मत व खुदाई आदि के लिए कोई आर्थिक सहायता दी थी? यदि हां, तो कब कितने रुपये किस व्यक्ति को किस कार्य के लिए दिये थे?

(2) क्या राज्य सरकार को यह विश्वास हो गया है कि उपरोक्त रकम सही उपयोग में आयी है? यदि हां, तो उपयोगिता का प्रमाण-पत्र किस अधिकारी ने दिया और कार्य की समाप्ति व प्रगति के समय किस-किस अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण की रिपोर्ट में क्या लिखा था? पूरा विवरण बताने की कृपा करें।

(3) क्या यह सच है कि उपरोक्त रकम से तालाब पर कोई कार्य नहीं हुई और फर्जी हिसाब पेश कर दिया गया है?

(4) क्या राज्य सरकार इस केस की पूर्ण जांच करवाने के लिए तैयार है?

उत्तर

(1) जी हां, तालाब को पक्का बंधाने के लिए जून, 1960 में सरपंच ललासरी को 4000) रु. दिये गये थे।

(2) सरपंच द्वारा कुल 4921) रु. का कार्य कराना पाया गया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया। हिसाब प्रस्तुत करने पर पंचायत समिति के अधिदर्शक द्वारा कार्य का निरीक्षण कर रिपोर्ट दी गई

(पंचायत मंत्री)

कि नियमानुसार 6000) रु. की रकम खर्च की जाती थी किन्तु सरपंच द्वारा कराया गया कार्य 4124 रु. का है व काम कमजोर है अत: वसूली के लिए लिख दिया जावे।

(3) इस कार्य का सहायक अभियन्ता सामुदायिक विकास द्वारा निरीक्षण कर यह रिपोर्ट दी गई है कि कुल 4921 रु. का कार्य हुआ है।

(4) काम की जांच सहायक अभियन्ता ने करली है।

ग्राम रोल में पीरजी का मेला

49. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रोल, तहसील जायल, जिला नागौर में पीरजी का मेला ग्राम के बीच ऐसी जगह भरता है, जहां से होकर सब लोग आते जाते हैं और मेले में भीड़ होने के कारण लोगों को आने जाने तथा तालाब से पानी लाने में असुविधा रहती है और आपस में झगड़ा होने की हर वक्त आशंका रहती है?

(2) क्या यह सही है कि इसी ग्राम की आबादी के बाहर चारों ओर खुले मैदान पड़े हैं जहां मेला आसानी से भराया जा सकता है? यदि हां, तो सरकार इसकी व्यवस्था कब तक करेगी?

उत्तर

(1) मेला गांव के अन्दर तालाब के पास भरता है जिसकी भीड़ से आने-जाने में रुकावट होती है।

(2) गांव के बाहर खुले मैदान हैं किन्तु यह मेला पंचायत स्तर का होना प्रतीत होता है अत: आवश्यक होने पर मेले के स्थान में परिवर्तन करने हेतु ग्राम पंचायत स्वयं कार्यवाही कर सकती है।

पनघटों व कुओं के निर्माण पर व्यय

50. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति, श्रीनगर व पीसांगन, अजमेर द्वारा विकास के नाम पर कितनी नई पनघटें व कुए बनवाये गये?

(2) कितने पनघटों व कुओं पर पानी निकालने के लिये व्हील लगाये गये? इनमें से इस वक्त कितने उपयोग में लिये जा रहे हैं? कितने अधूरे हैं व कितने बेकार हो चुके हैं?

(3) इन कार्यों पर कुल कितना धन खर्च किया गया? प्रत्येक पंचायत समिति की अलग सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त दोनों पंचायत समितियों ने भेड़ों को नहलाने के हेतु छोटे-छोटे हौज भी बनाये थे? अगर हां, तो इन पर कितना धन दोनों पंचायत समितियों ने अलग-अलग खर्च किया?

(5) इनमें से इस वक्त कितने हौज उपयोग में लिये जा रहे हैं और कितने टूट गये हैं?

(6) इन हौजों से कितना फायदा हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, श्रीनगर व पीसांगन द्वारा क्रमशः 130 व 68 नई पनघटें व कुए बनवाये गये।

(2) 172 पर पानी निकालने के लिए व्हील लगाये गये जो कार्य में आ रहे हैं।

(3) पंचायत समिति, श्रीनगर द्वारा कुल 1,88,317) रु. खर्च किये गये व पंचायत समिति, पीसांगन द्वारा 74,400)रु.।

(4) पंचायत समिति, श्रीनगर द्वारा एक शीप डिप (हौज) के लिए 100) रु. की रकम व पंचायत समिति, पीसांगन द्वारा दो हौज के लिए 300) रु. दिये गये।

(5) तीनों हौज काम में आ रहे हैं।

(6) हौज जिस काम के लिए बनाये गये उस काम में आ रहे हैं।

छात्रावासों के छात्रों को सुविधाएं

51. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों को खुले 6 माह हो गये हैं पर अभी तक पूरी ड्रेसें, जूते, पुस्तकें नहीं मिली हैं ? यदि हां, तो क्यों और कब तक दिलाई जावेंगी ?

उत्तर

(सरकार द्वारा स्थगित करने के लिये प्रार्थना की गई)।

पिछड़ी व अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा की सुविधा

52. श्री कालूराम आर्य (बिलाड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार की यह घोषित नीति है की पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा की सुविधा हेतु जगह जगह छात्रावास खोले जायें और वहां छात्रों को सरकारी खर्च पर आवास व खाने की सुविधा दी जायेगी ?

(2) क्या यह भी सच है कि छात्रावासों में स्थानाभाव की वजह से बहुत कम छात्रों को ही इसका लाभ मिल पाता है ?

(3) क्या सरकार छात्रों की संख्या को देखते हुए ऐसे सभी छात्रावासों में यह व्यवस्था करेगी कि जो भी छात्र अनुसूचित जाति का प्रार्थना-पत्र दे उसे भरती कर लिया जाय ?

(4) सन् 1961 से 1966 तक जोधपुर में कितने-कितने छात्रों को भरती नहीं किया गया और आगे सरकार इस सम्बन्ध में क्या सुधार करेगी ?

उत्तर

(1) बजट प्रावधान एवं आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थानों पर पिछड़ी जातियों के छात्रावास खोले जाते हैं।

(2) सीमित प्रावधान के कारण इतने छात्रावास खोलने सम्भव नहीं हैं जिससे छात्रावासों में प्रवेश के इच्छुक समस्त छात्रों को प्रवेश दिया जा सके।

(समाजकल्याण मंत्री)

(3) सीमित प्रावधान के कारण ऐसी व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

(4) सन् 1964-65 से 1966-67 तक 104 प्रार्थियों को जोधपुर जिले के छात्रावासों में प्रवेश देना सम्भव नहीं हो सका।

(12.13 म. प.)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : अध्यक्ष महोदय, तहसील हिन्डौली के ग्राम श्याणा एवं फजलपुर की जमीन स्थानीय भूमिहीन काश्तकारों के बजाय बाहर के व्यक्तियों को आवंटित की जाने की, पांच व्यक्तियों की याचिका देने वालों की हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, जिला बून्दी की तहसील पाटन में बून्दी रोड स्टेशन से लाखेरी तक जाने वाली कच्ची सड़क को पक्की बनाने के संबंध में चार याचिका देने वालों की हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने अपना स्थगन प्रस्ताव 19 को दिया था उस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : अभी बिजनेस चल रहा है, याचिका प्रस्तुत हो रही है उसके बाद उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना उपनिवेशन मंत्री रखेंगे, उसके बाद मौका देख कर आप बात करिये।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपनिवेश मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 22 (54) रेवा।कोल।64 पार्ट (2) दिनांक 16 दिसम्बर, 1967 को सदन की मेज पर रखता हूं।

(विराम)

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य संचालन की प्रक्रिया के नियम 63 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर (संशोधन एवं वैधकरण) अध्यादेश, 1967 (अध्यादेश सं. 2 सन् 1967) तथा राजस्थान बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 1967 (अध्यादेश सं. 4 सन् 1967) को जारी करने के कारणों के विवरणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

(श्री मथुरादास माथुर)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1968 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

अध्यादेश जारी करने के कारणों का विवरण वितरित करने की मांग

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 के अन्तर्गत राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अध्यादेश, 1967 (अध्यादेश सं. 3 सन् 1967) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था की दृष्टि से मेरा निवेदन है जितने भी अध्यादेश जारी किये जाते हैं और जिनके जारी करने के कारण सदन की मेज पर रखे जाते हैं आपका आदेश हो जाय तो उन कारणों की एक एक प्रति माननीय सदस्यों को मिल जानी चाहिये जिससे वाद-विवाद में सुविधा हो।

श्री मथुरादास माथुर : सदन की मेज पर रखने से पहले के लिये कह रहे हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन की मेज पर रखे जाने के पश्चात् की बात कह रहा हूं। वह प्रति हमको मिल जाय तो वाद-विवाद में बड़ी सुविधा हो।

श्री मथुरादास माथुर : आप देख लीजिये आज तक तो यह नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न पर विचार कर लेता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

जो भी स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं उनको तथ्यों की जानकारी के लिये भेज दिया गया।

श्री जयनारायण सालोंदिया (निवाई) : मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी दिया उस पर मंत्रीजी तैयार हैं, उसकी इजाजत के लिये छपा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : छप जायगा। मैं जाकर देखूंगा कब का था कब लिया जायगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैंने भी आधे घंटे के वाद-विवाद का प्रस्ताव दिया है।

स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य

जयपुर जिले के काश्तकारों को बिजली देने में अनियमित संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर शासकीय वक्तव्य

श्री हरिदेव जोशी (विद्युत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सहदेव द्वारा आमेर जयपुर और सवाई जयपुर में कृषि उत्पादन के लिये काश्तकारों को कुओं पर बिजली देने में अनियमितता एवं भेदभाव पूर्ण नीति के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है।

जयपुर की विभिन्न तहसीलों में बिजली सप्लाई करने में कोई भेद-भाव पूर्ण नीति नहीं अपनाई जाती है।

Page No. 41

(श्री हरिदेव जोशी)

गत वर्ष भाखरोटा से बगारू तक 11 के. वी. की लाइन खींची गई थी लेकिन इसलिये नहीं दिये गये कनेक्शन कि पर्याप्त धनराशि के न मिलने से सब-स्टेशन नहीं बन सके थे। अब धन राशि उपलब्ध हो गई है। अतः तीन सब-स्टेशन तो तैयार हो गये हैं और बाकी पांच भी जल्दी ही बना दिये जावेंगे।

एक 33 के. वी. की लाइन जयपुर ग्रिड सब स्टेशन से भाखरोटा तक खींची जा रही है और भाखरोटा का 33/11 के. वी. का सब-स्टेशन भी तैयार किया जा रहा है। कनेक्शन देने का कार्य जैसे ऊपर लिखे कार्य पूरे होते जाते हैं वैसे मंडल के कार्य के अनुसार हाथ में लिये जा रहे हैं।

अनियमित बिजली मिलने के सम्बन्ध में यहां लेख है कि जिनको कनेक्शन दिये जा चुके हैं उनको बिजली नियमित रूप से दी जा रही है ऐसी स्थिति को छोड़ कर कि जब कोई बेकाबू बात हो जाय। आमेर तहसील के कुछ गांवों में जिनको कि चौमूं फिडर से बिजली दी जा सकती है पिछले कुछ दिनों में लाइन फाल्ट की, ओवर लोडिंग की व टिपिंग की वजह से जरूर कुछ तकलीफ रही है। यह ओवर लोडिंग की हालत इस वर्ष अधिक मांग होने से है। जिसका कारण एक तो यह हो सकता है कि इस वर्ष बहुत अधिक भूमि की सिचाई की गयी है। दूसरा इस प्रकार की फसल लगाई गई है कि जिसमें अधिक पानी चाहिये। यह सही है कि आमेर तहसील के गांवों में कृषि भार अन्य तहसीलों के गांवों से बहुत अधिक है और उनके सब कुओं के साथ कार्य करने से मांग बहुत बढ़ जाती है। जब तक सिस्टम को ठीक करने के लिये पर्याप्त धनराशि प्राप्त नहीं होती तब तक स्टेगरिंग ही एक मात्र तरीका है कि जिससे स्थिति में कुछ सुधार हो सके। वैसे 33 के. वी. में तो जयपुर में एक 10,000) के. वी. का 132/33 के. वी. का ट्रान्सफारमर चालू कर के कुछ सुधार किया गया है। वैसे लाइनों को चैक करने के लिये विशेष पार्टियां भेज दी गई हैं जो कि लाइन की खराबियों को, अगर कोई होंगी, तो ठीक भी करेंगी। जयपुर से वोल्टेज को बढ़ाने के लिये 35 400 के. वी. आर. के. केपेसिटर्स भी जल्द ही लगाये जा रहे हैं।

कृषकों को अमानत के तौर पर पैसा देना आवश्यक नहीं है, केवल वह काश्तकार जो कन्ट्रीब्यूटरी स्कीम में भाग लेना चाहता है ले सकता है। वैसे अब दो तरीके को प्रायरिटी है। एक तो सामान्य तौर पर दी गई अर्जियों को और दूसरी कन्ट्रीब्यूटरी स्कीम के मातहत अमानत के तौर पर रुपये देने वाली अर्जियों को। यह लेख भी उचित है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को कृषकों को बिजली देने का लक्ष्य था जो कि हाल ही में बढ़ा कर 4000 कर दिया गया है। एक कृषक को कनेक्शन देने में औसत खर्च लगभग 4000) होता है जब कि मण्डल के केवल निम्नलिखित चार्जेज ही लेता है।

10 हार्स पावर तक रुपया 200)

25 हार्स पावर तक 300)

25 हार्स पावर से भी अधिक 500)

इससे यह कहा जा सकता है कि कृषि कनेक्शन देने का बोझा राजस्थान राज्य

Page No. 42

(श्री हरिदेव जोशी)
विद्युत-मण्डल पर अधिक है न कि काश्तकार पर।

श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि गत 14 जनवरी से अभी तक नियमित रूप से बिजली नहीं मिली है चौमूं क्षेत्र में ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं कि क्योंकि उस लाइन पर खास कर जहां तक चौमूं का सवाल है राजस्थान का कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां इतने कनेक्शन हों जितने चौमूं में हैं।

श्री रतनचन्द अग्रवाल : 67 की फरवरी में लगाये होंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं, पहले से ही हैं और इसलिये वहां पर स्टेगरिंग करना जरूरी है और क्योंकि लोगों को नियमित रूप से बिजली नहीं मिलती इसलिये फीडर में एक बार दो बार तीन बार और चार बार करके 24 घंटों में चार बार देते हैं। अगर अनियमितता हो तो ऐसा करना लाजिमी है।

श्री सहदेव शर्मा : क्या आप यह मानते हैं कि एक किसान को अपनी काश्त को पानी पिलाने के लिये कम से कम तीन चार घंटे नियमित रूप से पानी मिलना जरूरी नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : हम छः घंटे से कम नहीं देते।

श्री सहदेव शर्मा : यह आप बिल्कुल असत्य कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। 24 घंटों में तीन घंटे भी पूरा नहीं मिल पाता।

श्री हरिदेव जोशी : मैं प्रोटेस्ट करता हूं इस बात के लिए।

श्री सहदेव शर्मा : मैं सही कह रहा हूं और अपने दौरे के दिनों में मैंने अपनी आंखों देखा है।

श्री हरिदेव जोशी : आप किसी पर्टीक्यूलर केस को रक्खेंगे तो जांच करूंगा।

श्री सहदेव शर्मा : क्या आप यह भी उचित समझते हैं कि उनको पानी रात को दिया जावे ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री सहदेव शर्मा : जब आप उद्योगों को बिजली दिन में दे सकते हैं तो इनको क्यों नहीं दे सकते ? आप दिसम्बर जनवरी के महीनों में रात को दे रहे हैं क्या यह न्याय संगत है ?

श्री हरिदेव जोशी : जो किसान रात को नहीं लेना चाहता है वह नहीं ले। इर्रिगेशन नहीं करे। बाकी यह सम्भव नहीं है कि दिन में ही दी जावे।

श्री सहदेव शर्मा : क्या आप यह सम्भव समझते हैं कि वह दिसम्बर जनवरी महीने में भी रात को बैठकर पिलावेगा उसको ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास अध्यक्ष महोदय, यह शिकायत है चौमूं क्षेत्र की केवल। बाकी मैं यह निवेदन करूं माननीय सदस्य गंगानगर जाकर देख लें। चम्बल के क्षेत्र में जाकर देख लें। नहरी क्षेत्रों में सब जगह रात को पानी पिलाते हैं इसलिये यह कभी भी मुमकिन नहीं हो सकेगा कि केवल दिन को

Page No. 43

(श्री हरिदेव जोशी)

ही बिजली मिलेगी। यह सम्भव नहीं होने वाला है और आज राजस्थान के सरकम्सटेन्सेज के अन्दर जिस प्रकार बिजली की कमी है उसको देखते हुए रात को लोड हम ज्यादा दे सकते हैं। दिन को कम दे सकते हैं। इसलिये रात को किसान को बिजली देने में सुविधा रहेगी।

श्री सहदेव शर्मा : क्या यह सही है कि काला डेरा से लेकर हथरोई की लाइन पिछले साल खींची गई थी। पर उसमें एक भी तार नहीं खिंचा है और भाखरोटा से बगरू तक अभी तक केवल दो कनेक्शन हुए हैं एक श्री अमृतलालजी यादव का और दूसरा बरकतुल्ला जी का। बाकी भाखरोटा से बगरू तक भी किसी को कनेक्शन नहीं दिया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : थोड़ा सा इसमें मेरा भी प्रश्न जोड़ दीजिये। भीलवाड़ा से लेकर बिजोलिया तक लाइन खींचली है इसे डेढ साल हो गया इसमें चौदह लाख खर्चा भी हो चुका है फिर भी कुओं को बिजली नहीं दी जा रही है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदन के सदस्य इतना तो महसूस कर ही रहे हैं कि यह एडजोर्नमेन्ट मौशन रक्खा है एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह तो समय बचेगा इसलिये पूछ लिया है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्टेटमेन्ट को माननीय सदस्य ने सुना नहीं। इन दोनों लाइनों के लिये मैं स्पेसिफिकली कह चुका हूं।

श्री सहदेव शर्मा : मैं कहना चाहता था कि आपकी निगाहों में 65-66-67 कहत के साल थे तो ऐसी स्थिति में खाद्यान्न की बहुत जरूरत थी तो इसके लिये समुचित व्यवस्था बिजली की क्यों नहीं की? जब लाइन खिच जावेगी और वह आपने 13 फरवरी, 67 को युद्धस्तर पर चालू किया फिर इसके बाद आपने यह क्यों नहीं देखा कि तब आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। किस किस मैटीरियल की जरूरत पड़ेगी, वह आपको तैयार रखनी चाहिये थी। सप्लाई करनी चाहिये थी। क्या यह सब आपकी जानकारी में नहीं था?

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में समय समय पर और पिछले बजट के अवसर पर भी निवेदन कर चुका हूं कि बोर्ड की फाइनेन्शियल पोजीशन क्या है और उन स्थितियों में इतना मैटीरियल अवेलेबल करना सम्भव था ही नहीं। इस बार भी बोर्ड ने जो पिछला स्क्रेप्स पड़ा हुआ था उसके पास और दूसरी चीजें पड़ी थीं उनको बटोर कर जो हमारे पास स्टोर था उनको इकट्ठा करके और एक हजार के बदले चार हजार कुओं को इनेर्जाइज करने का प्रोग्राम रक्खा है।

हमने 50 लाख के स्क्रैप को बेचा है और इस तरह पैसा पैदा किया है। फिर यह भी मुमकिन नहीं है कि एक क्षेत्र की मांग को दूसरे क्षेत्रों की मांग के मुकाबले में नगण्य कर दिया जावे। जयपुर में, यह भी निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, जितने कदर बिजली दी गई है राजस्थान के और किसी जिले में नहीं दी गई है।

Page No. 44

श्री सहदेव शर्मा : मैं यह जानना चाहता था कि ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर !

श्री सहदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी करना चाहता हूं, बड़ा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय अपने पैरों पर हैं। स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज बिजनेस ज्यादा है। स्थगन प्रस्तावों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिये एक एक में इतना समय लिया जावेगा तो, मुझको कहीं विवश हो कर दूसरों के सम्बन्ध में सिर्फ लिखित जवाब दिये जाने का आदेश न देना पड़े।

श्री सहदेव शर्मा : सिर्फ पांच मिनिट।

श्री अध्यक्ष : इसलिये चाहता हूं कि प्रश्न जो रिलेवेन्ट हों वे ही पूछे जावें और इस तरह सबका ध्यान रक्खा जावे, सबको लिये जाने का प्रयास किया जावे।

श्री सहदेव शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो ग्रान्ट मन्जूर की सरकार ने 65-66-67 के बजट में और उसके हिसाब से अगर यह हालत नहीं थी तो 11 मील की लम्बी लाइन भाखरोटा से बगरू, सात मील की हसतेडा और सिरसली से लेकर मेड तक की लाइन। अगर उसके लिये बजट में पैसा नहीं था तो इन लाइनों को 67 के पहले पूरा करने की आवश्यकता क्या थी और साथ ही यह भी जानकारी चाहता हूं कि बोर्ड के द्वारा दो को ही मन्जूर करने का क्या आधार है ?

श्री हरिश्चन्द्र जोशी : बजट के अवसर पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे। 6 करोड़ रुपया मन्जूर किया गया था पहली प्लान में किन्तु प्लान को बाद में काट दिया गया था और इस तरह दो करोड़ रुपया इसमें कम कर दिया गया था। इसलिये जो प्रोग्राम हमारा इनेर्जाइज करने का बीच में था वह बीच में ही बन्द कर देना पड़ा और जहां लाइन खींच भी दी गई है तो वहां भी काम बन्द कर देना पड़ा।

श्री सहदेव शर्मा : उनको मन्जूर करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। जहां तक बिजली का सवाल है वहां तक तो सरकार की दिक्कतों के साथ सहानुभूति है एक हद तक।

पर आपकी योजना को कार्यान्वित करने का भी प्रश्न मेरे खयाल में महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य के क्षेत्र से मैं वाकिफ नहीं हूँ। किन्तु मेरे पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि हैपहैजार्ड सर्वे में जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने अभी कहा कि एक हजार की जगह चार हजार कर रहे हैं। मन्त्री महोदय स्वयं कह रहे हैं कि बिजली की कमी है। अगर आप काश्तकार को बिजली देते हैं तो कोई एक ठोस योजना बनवाइये ताकि उनको और बिजली दी जावे तो सफलतापूर्वक दी जावे ताकि खेतों को पिलाने के लिये निश्चिन्त हो सकें। बहुत सी ऐसी शिकायतें मेरे पास भी आई हैं—खास कर चौमूं क्षेत्र की आई हैं कि बिजली बराबर वक्त पर नहीं मिलती। रात्रि को मिले तो भी मैं विरोध नहीं करूंगा क्योंकि वर्तमान स्थिति सरकार की ऐसी है कि रात्रि में भी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
दी जाती है तो स्थगित काश्तकार को इसका करना चाहिये। किन्तु एक प्रश्न यह उठाया गया है कि छः घंटे से कम अगर बिजली दी जाती है, दो तीन घंटे ही दी जाती है तो वह देना नहीं देना एक सा है। यह एक टोटेलाइजिंग प्रोसीज हो जाता है। इससे काश्तकार परेशान होता है, और फसल को भी नुकसान होता है। सरकार का जो लक्ष्य है वह भी पूरा नहीं हो पाता। तो मेरा निवेदन है कि जो आपको करना है वह योजनाबद्ध तरीके पर करना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें इन सारी बातों का संक्षेप में जवाब दे दूं। मैं माननीय सदस्य के क्षेत्र से बखूबी वाकिफ हूं और उसमें इसीलिये स्टेगरिंग का सिस्टम इन्ट्रोड्यूज किया है। इसका मतलब यह है कि अमुक पीरियड में अमुक बजे से अमुक बजे तक बिजली जायेगी और उस समय दूसरे फीडर्स बन्द कर दिये जायेंगे। किसी भी फीडर से 6 घन्टे से कम बिजली नहीं दी जाती है और हैफहैजर्ड काम करने का तो कहीं अर्थ ही पैदा नहीं होता है। अलबत्ता आज बिजली का प्रेशर इस क्षेत्र में इतना ज्यादा है कि हमें उनको एक्सीड करना पड़ता है लेकिन उसके बावजूद भी हम रेसिस्ट कर रहे हैं अनपापुलेरिटी इनवाइट करके और हैफहैजर्ड काम नहीं कर रहे हैं।

श्री रामदेव शर्मा : कुछ गांव ऐसे हैं कि बिना बोर्ड की स्वीकृति के वहां बिजली चालू है....

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री रामदेव शर्मा : कम से कम 35 गांव ऐसे हैं और आपके अधिकारियों ने उनको बिजली दी है और वहां पर इस तरह से बिजली रेगुलेराइज की गयी है क्या आप इसके लिए एक्शन लेने के लिये तैयार हैं?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री दुर्गालाल शाहर (हवामहल, जयपुर): मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है। पर मैं तो एक ही प्रश्न इस सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं और राज्य सरकार को सुझाव देना चाहता हूं। क्या राज्य सरकार इस बिजली वितरण के विषय में अपनी ऐसी निश्चित योजना बनाने को तैयार है कि जिस क्षेत्र में बिजली दे दें वहां तक बिजली देने की शक्ति पूरी नहीं हो जाती तब तक आगे नहीं बढ़ें ताकि राज्य सरकार को सुविधा हो। मेरा सुझावमात्र है कि इस प्रकार से यदि राज्य सरकार चले तो ठीक है। वरना क्या होता है कि छोटे से क्षेत्र में बिजली की लाइन तो बढ़ा दी लेकिन पूरी शक्ति से बिजली नहीं दी गई। तो क्या राज्य सरकार निश्चित योजना बनाने के लिये तैयार है कि जिस क्षेत्र में बिजली दे उसमें क्षमता बिजली की पूरी हो?

श्री हरिदेव जोशी : आपके सुझाव के लिए मैं आफेन्ड नहीं कह सकता लेकिन यह कार्यक्रम नहीं है कि एक जगह तो बिजली लग जाये और दूसरी जगह नहीं लगाई जाये....

श्री रामदेव शर्मा : आपने कहा कि जो मन्जूरशुदा नहीं है तो क्या उनके ऊपर आप एक्शन लेंगे?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर–दूसरा स्थगन प्रस्ताव, झुन्झुनूं जिले में बिजली के सम्बन्ध में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो लिस्ट आफ बिजनेस मैम्बर्स को सरकुलेट की जाती है उसमें गवर्नमेन्ट की तरफ से स्टेटमेन्ट्स होते हैं वह उसमें छाप दिये जायें ताकि उसमें सुविधा रहे और मालूम रहे कि किस किस सम्बन्ध में वक्तव्य देने हैं। नहीं तो आपके मन में आया उसी दिन स्टेटमेन्ट दे देते हैं। इसमें बड़ी दिक्कत रहती है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज!

यह व्यवस्था करदी जायेगी।

झुंझुनूं जिले में बिजली की व्यवस्था के बारे में स्थगन प्रस्ताव पर शासकीय वक्तव्य

श्री हरिदेव जोशी (बिजली मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, श्री रामनारायण और दूसरे कुछ माननीय सदस्यों ने झुन्झुनूं जिले में बिजली की अव्यवस्था के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है उनके सम्बन्ध में मुझे निम्न निवेदन करना है:--

"स्थगन प्रस्ताव में दिये गये क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में जो अधिक बार बिजली बन्द हुई है उसका कारण यह है कि कृषि भार अधिक बढ़ जाने से ओवर लोडिंग की वजह से बिजली के फीडर्स, जो कि सादुलपुर, अथवा चिड़ावा से निकलते हैं के ट्रिप ही रतनगढ़ जाते हैं और वोल्टेज कम होने का प्रथम तो यह कारण है कि अभी पंजाब में जीनिंग की सीजन चल रही है अतः हिसार से ही वोल्टेज दिन में कम आता है दूसरा लम्बी लाइनों पर कृषि भार क्षमता से अधिक बढ़ने से भी वोल्टेज कम होता है।

स्थिति में सुधार करने हेतु तुरन्त कदम तो यह उठाया गया है कि कृषि कार्य के लिए अलग अलग लाइनों पर स्टेगरिंग प्रोग्राम हाल ही में चालू किया गया है जिससे कि सब-स्टेशन्स पर एक साथ अधिक लोड न आवे और फीडर ट्रिप न हो इसमें सफलता उपभोक्ताओं के सहयोग से ही मिलेगी।

इस एरिया में बढ़ते हुए कृषि भार को ध्यान में लाते हुए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सीकर में 132/33 ।। के. वी. का एक सब-स्टेशन मन्जूर भी किया गया लेकिन धन के अभाव में यह कार्य हाथ में नहीं लिया गया। सीकर सब-स्टेशन को बनाने के लिये करीब तीस लाख रुपये की जरूरत पड़ेगी जिसको उपलब्ध करने की कोशिश की जा रही है।

इसके अलावा इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये एक 220 के. वी. की लाइन हिसार से खेतड़ी होती हुई जयपुर तक खींची जा रही है जिसके कार्य को सितम्बर, 1968 तक पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

इसके अलावा चिड़ावा में 500 के. वी. ए. ट्रान्सफार्मर के बजाय कुल 1000 के. वी. ए. की क्षमता के ट्रान्सफार्मर लगाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। वोल्टेज व पावर फैक्टर

Page No. 47

(श्री हरिदेव जोशी)
में सुधार करने के लिये चौमू व सीकर में जहां से कि झुन्झुनू क्षेत्र में बिजली दी जाती है, कुल 2199 के. वी. ए. आर. की क्षमता के केपेसीटर्स व खेतड़ी में वोल्टेज वोस्टर लगाने की व्यवस्था अग्रिम दो तीन महीने में करदी जावेगी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि सीकर में हम पावर हाउस खोल रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर से हमारे क्षेत्र का कोई सुधार नहीं हो सकता है। अगर किसी और जगह पावर हाउस बनाते हैं तो सुधार हो सकता है। दूसरे आपने कहा कि सीकर और झुन्झुनू कर रहे हैं उससे झुन्झुनू को बिजली नहीं मिलने वाली है। हमारी डिफिकल्टीज यह हैं कि ओवरलोड मोटरें चल रही हैं इसलिये उसमें आप कुछ सुधार कर सकें तो समस्या हल हो सकती है वरना समस्या के हल होने की गुन्जाइश नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव सही है। मगर यह प्रैशर ट्रान्सफार्मर्स पर भी टेम्पोरेरी है क्योंकि यह खेती का सीजन होने के कारण से अभी इतना लोड है वरना महीने भर के बाद यह लोड भी खत्म हो जाने वाला है। मगर इसकी टैम्पोरेरी रिलीफ देने के लिए जैसा मैं ने अभी स्टेटमेन्ट के वक्त निवेदन किया है कि स्टेगरिंग की व्यवस्था की गई है और बूस्टर्स लगाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि जो इसमें कमियां हैं उनको पूरा किया जा सके।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि टेम्पोरेरी लोड है तो यह टैम्पोरेरी नहीं है पिछले दो सालों से यह समस्या आ रही है और इसके लिए लगातार शिकायतें आरही हैं और अधिकारीगण की पक्षपात की वजह से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं और यह जान बूझकर नहीं कर रहे हैं। आप इस समस्या को हल कर सकें तो हो सकती है।

श्री हरिदेव जोशी : आपने मुझे कभी भी यह शिकायत नहीं दी कि अमुक अधिकारी कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है और वह जान-बूझकर सुधार नहीं करना चाहता है। अगर कोई ऐसी चीज है तो मैं निश्चित रूप से उसको देखूंगा और सीनियर ऑफिसर देखेगा और उसमें सुधार करने का प्रयत्न करेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री अग्रवाल ! श्री लड्ढा !

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय मेरे सब पूरे करदूं।

श्री अध्यक्ष : हां कर दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको कहीं जाना दीखता है ?

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं यहीं रहूंगा।

एक स्थगन प्रस्ताव : राजस्थान में कैरोसिन ...

श्री अध्यक्ष : वह माननीय सदस्य नहीं हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे आज उत्तर देना था इसलिये तैयार होकर आया हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका और किसी दिन कर देंगे ।

श्री हरिदेव जोशी : आपने यहां पर एनाउन्समेन्ट किया था। माननीय सदस्य इसको इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व का समझते तो उनको रहना चाहिये था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब माननीय सदस्य जिन्होंने स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है वे सदन में नहीं हैं तो ।

श्री अध्यक्ष : तो प्रस्ताव खत्म हो जाता है।

श्री हरिदेव जोशी : वह खत्म हो जाता है तो ठीक है। दूसरा क्रूड आइल के सम्बन्ध में है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह किस का स्थगन-प्रस्ताव है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं पढ़ रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यह जो कैरोसिन के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन-प्रस्ताव है और माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, मगर यह समस्या बहुत विकट है और जनता जगह जगह परेशानी अनुभव कर रही है तो माननीय मन्त्री महोदय कम से कम अपना स्टेटमेन्ट तो दे दें ।

श्री अध्यक्ष : क्रूड आइल उन्हीं माननीय सदस्य का है?

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, श्री रघुनाथजी विश्नोई और श्री वृद्धिचन्द्रजी जैन का है जो यहां पर उपस्थित हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कैरोसिन के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय स्टेटमेन्ट तो दिला दें ।

श्री अध्यक्ष : उसको बाद में ले लेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कैरोसिन के सम्बन्ध में उनका स्टेटमेन्ट सदन की मेज पर रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह दे दिया जाय लिखित रूप में।

क्रूड आइल की कमी के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव पर सरकारी वक्तव्य

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि गत कुछ महीनों से क्रूड आइल की कमी की शिकायतें हमारे पास आती रही हैं उसका मुख्य कारण यह है कि जिस प्रोडक्ट का काश्तकारों के लिए जितनी मात्रा में चाहिये उतनी मात्रा में नहीं मिल रहा था। हमारे पास जिलाधीश भीलवाड़ा, अजमेर और दूसरे क्षेत्रों की भी शिकायतें आई थीं। इसके सम्बन्ध में पिछले 1-2 महीनों से बराबर हम भारत सरकार को लिख रहे हैं, और उन्होंने यह सूचना दी है कि जो कम्पनियां हम को यह आइल भेजती रही हैं उन्होंने यह सूचना दी है कि वर्तमान समय में भारत सरकार ने इस पदार्थ का कोटा राजस्थान को कुछ कम कर दिया था इसलिये यह कठिनाई हो रही है । इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने भारत सरकार को पत्र लिखा था कि और क्रूड आइल ज्यादा से ज्यादा भेजने के लिये तार भी दे दिये हैं।

(श्री हरिदेव जोशी)

इसके अतिरिक्त भारत सरकार के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में टेलिफोन पर भी बात हुई है, और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि जोधपुर के क्षेत्रों में स्पेशल ट्रेन के द्वारा भी हो सकेगा तो हम क्रूड ऑइल को उधर भेजेंगे।

राजस्थान में क्रूड ऑइल का आवन्टन लगभग 4000 से 6500 मैट्रिक टन तक का है उस हद तक पूरा कर लिया जाय उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। यह उम्मीद की जाती है कि इस प्रयास में हम सफल होंगे और अगले माह से अभी जो असुविधा है वह असुविधा नहीं रहेगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, क्रूड ऑइल के बारे में जालोर, जोधपुर, बाडमेर, सिरोही और पाली इन जिलों के अन्दर हजारों पम्पिग सैट्स लगे हुए हैं और जब हम आये तो हजारों काश्तकारों ने डेपुटेशन में जिला परिषद्, और पंचायत समितियों में सब जगह आकर उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है और सरकार को भी कई टेलीग्राम्स दिये हैं। इतनी विकट स्थिति है कि रबी की फसल चल रही है और बिल्कुल क्रूड ऑइल मिल ही नहीं रहा है और इस हालत में हजारों किसान बरबाद हो रहे हैं। रबी की फसल . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि वे प्रयत्न कर रहे हैं और उन्होंने प्रयत्न किये हैं। उनकी सूचना यही है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, अगले महीने के लिये कहा जाता है। यह जो मौजूदा कोटा है वह भी सफिशियेन्ट नहीं है। दो साल पहले भी यह समस्या उपस्थित हुई थी और यहां पर एजोर्नमेन्ट मोशन्स रखे गये थे। आपके जरिये से मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस डीजल ऑइल का आवन्टन जल्दी से जल्दी इसी महीने में भेजने की जरूरत है, नहीं तो फसल जल जायगी। इसी महीने में ज्यादे से ज्यादे क्रूड ऑइल की जरूरत है। उत्पादन की दृष्टि से इस समस्या का तुरन्त हल निकाला जाय नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास: (माननीय मन्त्रीजी के जवाब देने के लिये खड़े होने पर) अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय, हम सब को सुनकर बाद में जवाब दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ बतलाया है उससे मैं सहमत हूं। जिस क्षेत्र में बिजली नहीं है और दूसरे तेलों से जब सैट्स चलते हैं वहां पर यह फ्यूअल दिया ही जाना चाहिये। अगर उसकी खराब व्यवस्था होगी तो फसल को नुकसान होगा ही। मैं यहां आपकी और माननीय सदस्य की जानकारी के लिये वह नोट पढ़ रहा हूं जो इन्डस्ट्रीज सेक्रेट्री ने लिखा है:—

"मेरी श्री राजवाड़े से टेलिफोन पर बात होगई है 27-1-68 को। उन्होंने इन्फार्म किया है कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखूंगा व यह भी कोशिश करूंगा कि स्पेशल ट्रेन जोधपुर को भेजी जाय। आवश्यक कार्यवाही करके शीघ्र ही सूचित करूंगा।"

(श्री हरिदेव जोशी)

अध्यक्ष महोदय, इससे अधिक में कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, ये कम्पनियां ब्लेक मार्केट बहुत करती हैं। इन तेल कम्पनियों द्वारा इस तेल में ऐसी खराब चीज भी मिलाई जाती है कि उनके पम्पिग सैट फेल हो जाते हैं। तीन गुना दाम दे देते हैं तब वे ड्रम देते हैं, वर्ना देते ही नहीं हैं। कम्पनियां बहुत बड़ी बदमाशी कर रही हैं और किसानों का एक्स्प्लॉयटेशन हो रहा है। इसको तुरन्त रोका जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं भीलवाड़ा जिले के बारे में निवेदन करूंगा। जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है, अपने स्टेटमेन्ट में कि भीलवाडे के कलेक्टर की तरफ से भी क्रूड ऑइल के सम्बन्ध में शिकायत की थी कि वहां पर वितरण-व्यवस्था ठीक तौर पर नहीं हो रही है और आप जानते हैं स्वयं की भीलवाड़ा जिले में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिये काफी प्रयत्न किये जा रहे हैं। बिजली तो वहां पर थोड़े से स्थानों पर दी है, मगर बहुत सी ऐसी तहसीलें हैं जिनमें बिजली नाम मात्र को भी नहीं है। वहाँ पर सैंकड़ों की तादाद में पम्पिग सेट्स लगे हुए हैं वहां पर अगर क्रूड ऑइल समय पर नहीं दिया गया तो जैसा की माननीय रघुनाथ-जी ने कहा सारी फसल बरबाद हो जायगी। उसके साथ-साथ वहां पर इस चीज का ब्लेक मार्केट किया जाता है, ज्यादा पैसा लिया जाता है, और खराब तेल दिया जाता है, यह सारी कि सारी अव्यवस्था है इसलिये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जहां पर क्रूड आइल की आवश्यकता निरन्तर रहती है वहां पर जल्दी से जल्दी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री लड्ढा !

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक स्थगन प्रस्ताव...

श्री अध्यक्ष : थोडा धीरे से बोलें।

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष : अभी शुरू ही नहीं किया।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्रूड ऑइल के सम्बन्ध में एक प्रश्न माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय इस स्थिति में हैं कि निश्चित रूप से अमुक समय तक हमने जो मांग की है इस महीने के अन्दर वह पूरी हो सकेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जो मुझे जवाब मिला है उसको मैंने हूबहू पढ़ दिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपका जवाब पर्याप्त नहीं है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर! किस तारीख का जवाब है ?

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के ज्वाइन्ट सेक्रेट्री ने जो कहा है कि वे पर्सनली देखेंगे कि राजस्थान को जल्दी से जल्दी वे स्पेशल ट्रेन भेज सकें और क्रूड ऑइल भेज सकें। उन्होंने कोई तारीख इन्डीकेट नहीं की है।

Page No. 51

श्री मनोहरसिंह मेहता : जल्दी से जल्दी का क्या मतलब ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं ने 27 तारीख का पढा है नोट जो इन्डस्ट्रीज सेक्रेट्री गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के ज्वाइन्ट सेक्रेट्री से इस सम्बन्ध में जो बात हुई है उसके बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि वे पर्सनली इसको देखेंगे और अगर हो सका तो स्पेशल ट्रेन से भी भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। मगर उनके जवाब में किसी तारीख का इन्डीकेशन नहीं है। इसलिये मैं आज किसी तारीख का इन्डीकेशन नहीं दे सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्रीजी को दिल्ली जाकर बातचीत करना चाहिए और उनसे बातचीत करके फौरन इसका इन्तजाम करना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : साथ में कौन जायगा ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप जायेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह उत्पादन का सवाल है, काश्तकारों के हित का सवाल है। एक तरफ तो अभी जिसकी चर्चा हुई है और स्पष्ट रूप से देखते हैं और माननीय मन्त्रीजी भी अनुभव करते हैं कि आपकी बिजली लपक लुलैया खेलती है और दूसरी तरफ आपका जो क्रूड आइल है वह कोटा, परमिट, लाइसेन्स के अन्दर बिल्कुल भ्रष्टाचार के अन्दर समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति है तो माननीय मन्त्रीजी को कम से कम यह तो आश्वासन देना चाहिये, अगर वे आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हैं तो भारत सरकार को लिखें कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि यहां पर हमारा कोटा बढाया जाय और कोटा बढा सीधे ही जहां इसकी आवश्यकता है वहां पर आप क्रूड ऑइल को रूट करें बिल्कुल इमर्जेन्सी वार फुटिंग के ऊपर।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, शायद आपको मेरा जवाब ठीक से सुनाई नहीं दिया। मैंने निवेदन किया था कि तार किये हैं, चिट्ठियां लिखी हैं, टेलीफोन किये हैं और जो जवाब दिया है वह मैंने आपको बता दिया है। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया का ज्वाइन्ट सेक्रेट्री यह कहे कि मैं पर्सनल लेवल पर डील करूंगा और जरूरत हुई तो स्पेशल ट्रेन से भेजूंगा। इससे अधिक और क्या किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : प्रयत्न किये जा रहे हैं सरगरमी से। (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर प्लीज !

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्षजी....

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, कैरोसिन के बारे में जो हमारी समस्या है वह सुलझी नहीं है उसके बारे में मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि कैरासिन बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आज एक रुपया सवा रुपया में बोतल नहीं मिलती है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर माननीय सदस्य !

श्री लड्ढा !

गंगानगर व भाखरा क्षेत्र में आवंटित भूमि की किश्तों का भुगतान न करने पर बेदखली

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नौहर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के जरिये यह बताया था कि गंगानगर

Page No. 52

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
जिले में भाखरा प्रोजेक्ट क्षेत्र एवं गंग केनाल प्रोजेक्ट क्षेत्र के किसानों को उनकी जमीन की कीमत समय पर नहीं चुकाने की वजह से बेदखली के नोटिस दिये जा रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत वर्षों से भाखरा एवं गंग केनाल क्षेत्र में किसानों में काफी रकम बकाया थी लेकिन किसी को बेदखल नहीं किया गया बल्कि उनके लिए समय-समय पर मियाद बढाते रहे हैं। अन्तिम 31 जनवरी 1968 तक बढाई और इसके लिए उनको नोटिस दिये गये कि इस मियाद में रकम जमा करायें नहीं तो बेदखली की कार्यवाही की जायगी। अब तक किसी को बेदखल नहीं किया है बल्कि मुझे जानकारी यह भी है कि कलेक्टर ने यह आदेश 31 जनवरी, 1968 के बजाय 30 जून, 1968 तक बढा दिया है तो 30 जून 1968 तक इसकी मियाद बढ जाने की वजह से बेदखली का प्रश्न पैदा नहीं होता है और अब उन्हें चाहिये कि इस बढी हुई मियाद में वह रकम जमा करादें।

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि नोहर क्षेत्र में भाखरा क्षेत्र के काश्तकारों की भूमि खारिज की गई है जब कि अभी से ज्यादा जमीन की कीमत जमा करादी है। मैं ऐसे 19 आदमियों की लिस्ट देना चाहता हूं जिनकी भूमि अभी खारिज की गई है और इस आधार पर लोगों को नोटिस दिये गये हैं और इसी लिये मैंने यह स्थगन प्रस्ताव रखा है कि इस प्रकार आधे से ज्यादा जमीन की कीमत जमा कराने पर भी जमीन खारिज करदी जाय जब कि उस इलाके में भयंकर कहत पडा हुआ है और बाकी के काश्तकारों की फसल ज्यादा वर्षा होने की वजह से खेतों में सड़ गई है इसलिये उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। इसलिये जो उनको नोटिस दिये गये हैं उस आधार पर मैंने यह स्थगन प्रस्ताव रखा है। फिर मन्त्री महोदय ने जैसा कि यह फर्माया कि किसी की जमीन को खारिज नहीं किया गया है तो 19 आदमियों की लिस्ट मैं पेश करता हूं। इसके अलावा अनेक आदमियों की जमीन की किश्त थोडी थोडी बकाया रहने पर भी उनकी जमीन खारिज करदी गई यह बिल्कुल तथ्य की बात है। मैं चाहूंगा कि इसकी इन्क्वायरी कराई जाय और जिन लोगों की जमीन खारिज हुई है उनको बहाल करने के लिये मैं आश्वासन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय!

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य 19 किसानों को बेदखल करने अथवा खारिज करने के लिए कहते हैं तो वह लिस्ट मुझे दी जाय उस पर मैं जानकारी प्राप्त करूंगा।

जिन क्षेत्रों में ....

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पहले आपको लिस्ट नहीं दी थी?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अकाल है, वहां पर अकाल होने की वजह से दूसरी ड्यूज की वसूली स्थगित रखी गई है उसी तरह से जहां अकाल है वहां पर यह वसूलियां भी नहीं हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष : मेम्बर ! ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह आये नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : छोड़ दीजिये ।

फारेस्ट मिनिस्टर वन मंत्री महोदय ।

बूंदी जिले में वन्य पशुओं के संरक्षण सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर शासकीय वक्तव्य

राव श्री नारायण सिंह मसूदा (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बूंदी वन मंडल वनों का क्षेत्रफल 591 वर्ग मील है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जंगल मंत्री क्या कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अरण्य रोदन है ।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : परन्तु इस क्षेत्रफल में से लगभग 200 वर्ग मील में ही पर्याप्त वन हैं शेष या तो निकृष्ट वन हैं या खादरें हैं जिनसे वन उपज जैसे लकड़ी आदि प्राप्त नहीं होती है ।

यह एक अकाट्य सत्य है कि इस जिले के वनों की क्षमता मांग से कहीं कम है इस कारण अधिक ह्रास होना स्वाभाविक है । बूंदी शहर में प्रति दिन लगभग 1200 सरबोझा जलाऊ लकडी के आते हैं जिनको रोकना प्रशासनिक प्रश्न है । बूंदी शहर के चारों ओर के वनों में हानि मुख्यतः इन सरबोझों के कारण है ।

जन संख्या की बढोतरी के कारण खेती में विकास हुआ है और अधिक से अधिक भूमि पर खेती की जा रही है इसके फलस्वरूप प्रत्येक ग्राम में चरागाह व घास के सुरक्षित स्थान कम होते जा रहे हैं । दूसरी ओर पशुओं की संख्या भी बढ़ रही है जिसके कारण वनों पर चराई का दबाव दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है । इसके कारण वनों के वनत्व में कमी आती जा रही है ।

इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष लाखों की संख्या में भेडें कच्छ गुजरात से वर्षा के समय इस वन मंडल में आती हैं जिनको रोकना पुलिस के द्वारा भी सम्भव नहीं हो रहा है । इसको राज्य स्तर पर रोकना आवश्यक है ।

बूंदी वन मंडल में वन पशु पक्षियों की कमी है । इसका कारण स्थानीय जनता के पास टोपीदार बन्दूक का अधिक मात्रा में होना है । अन्य पशु वनों से बाहर आने पर मार लिये जाते हैं, इन मारे जाने वाले पशुओं में सूअर, हिरन आदि हैं । यह पशु खेतों में आकर...

श्री अध्यक्ष : नुकसान आदि करते हैं ।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : चने आदि खाते हैं और उस समय मार लिये जाते हैं । वन अधिनियम द्वारा केवल वनों की सीमा में ही रक्षा की जा सकती है । ऐसे पशुओं की सुरक्षा के लिये वनों के बाहर भी पशुओं को मारना अपराध होना चाहिये ।

वन पशु-पक्षियों को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा निजी स्वार्थवश नाश करने की कोई शिकायत सामने नहीं आई है । वनों में जनता द्वारा भरी बन्दूकें ले जाने पर इस माह में लगभग 300 रुपये का जुर्माना किया गया है । जब अवैध शिकार होने की सूचना प्राप्त हुई है उन पर तुरन्त कार्यवाही की गई है और एक केस कोर्ट में भी चल रहा है ।

श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहूंगा, प्रथम तो

(श्री केशरीसिंह हाडा)
बूंदी के आसपास के जंगल, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा, सर बोझा लाने वालों ने जंगलात की इजाजत से काटे थे। इसके लिए मेरा निवेदन करना है, बौझा लाने वालों के लिए एक जंगलात ने अलग से एक कूप कर दिया गया था जो कि 10 मील से दूर था, फिर दस मील के अन्दर का एरिया जो बूंदी के आसपास की पहाडियों वर्षा से सदैव से एक सुरक्षित वन था और उसकी सुन्दरता थी और वर्षा के कारण वह एक घना जंगल था, मगर वहां के स्थानीय रेंजर और उसके अन्दर बहुत हद तक राजनैतिक तत्वों के काम में लेने से वह जंगल बहुत बेहद और तेजी से कट रहा है जैसा कि माननीय मंत्री ने स्वयं ने अपने उत्तर में कहा है कि कटता जा रहा है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहूंगा जो निधि, राष्ट्रीय निधि जंगल माना जाता है उस निधि की रक्षा करना और उसको बचाना सरकार का परम कर्तव्य हो जाता है मगर सरकार उस ओर बडी उदासीन रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री, यह कर्तव्य ठीक है क्या ? आप (श्री केशरी सिंह से) प्रश्न पूछिये, आप भाषण करने लग गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह सुनते नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप क्लेरीफिकेशन के लिए कुछ कहें बजाय इसके कि यह कहें यह कर्तव्य है, सजग हैं, सचेत हैं।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सत्य है ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : वनों की रक्षा से बायोटिक पोटेंशियेलिटी पर असर होता है। और सब बातें हैं। माननीय सदस्य का कहना सत्य है कि बायोटिक पोटेंशियेलिटी पर नुकसान हुआ है। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि वहां काफी तादाद में सरबोझा वाले हैं, उनकी बारह सौ गिनती आती है। इनको रोकने का प्रयत्न किया गया, पिछले दस वर्षों में किया गया तो वहां पर हुल्लड़ हुआ था और उनको इजाजत देनी पड़ी। उसके बाद इस वर्ष भी रोकने का प्रयत्न किया गया है परन्तु उस प्रकार से दबाव रहा है। अब इन सरबोझा वालों की रोटी रोजी इस पर मुनहस्सर है, उनको किस प्रकार से बन्द किया जाय, यह एक राजनैतिक प्रश्न है, प्रशासनिक प्रश्न है, इस पर सोचने की बात है।

श्री अध्यक्ष : धार्मिक प्रश्न भी है, राजनैतिक, प्रशासनिक और धार्मिक।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : धार्मिक भी है। वहां जाकर यह लोग सूखी लकड़ी लाते हैं और वह और भी इधर उधर से चोरी कर लेते हैं। इसको अमान्य नहीं किया जा सकता। इसके कारण थोड़ी क्षति होती है। प्रश्न यह है कि किस प्रकार से इस बात से इनको महरूम रखा जाय क्योंकि यह इनकी रोटी रोजी का प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह जानकारी है कि आपके द्वारा जारी की गई हिदायत हैं उनका आपके मातहत वाले तुरन्त पालन नहीं करते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : तुरन्त करते हैं !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तुरन्त !

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : तुरन्त पालन करते हैं।

श्री केसरीसिंह हाडा : तुरन्त पालन करने का परिणाम है कि जंगल साफ हो गये !

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : तुरन्त पालन अब करने लग गये हैं। पहले ही जो बरबादी हो गई है वह एकदम खत्म कैसे हो जायगी ?

श्री केशरसिंह हाडा: दूसरा प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, वनों के पशु हैं उनके नष्ट होने के बारे में मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन जंगलों के अन्दर अनेक शेर डोला करते थे आज वहां गिनती के भी शेर किन कारणों से गायब हो गये हैं ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : वह कारण तो मैं निवेदन कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले एक प्रश्न के उत्तर में कह दिया गया है।

राव श्री नारायण सिंह मसूदा : इसका सबसे बड़ा गुनहगार मनुष्य है, शेर भी मनुष्य बन गये हैं।

एक माननीय सदस्य : अब शेर ही शेर हो जायेंगे वन मंत्री महोदय के आने से।

श्री केशरीसिंह हाडा : अध्यक्ष महोदय, यह मजाक का प्रश्न नहीं है। शेरों की कमी हो जाने के कारण जो विदेशों से धनराशि हमें प्राप्त होती थी वह प्राप्त नहीं होती है, जो बाहर से पर्यटक आया करते थे शिकार खेलने के लिये, उससे लाखों रुपया भारत सरकार और राजस्थान सरकार को प्राप्त होता था वह अब बन्द हो रहा है जंगलात विभाग की लापरवाही के कारण, सोने की वजह से समस्त वन बर्बाद हो गये हैं, इसी कारण शेर नहीं रह पाते हैं। शेर भी फेचर्व के जरिये, चोरी से मारने से समाप्त हो गये हैं, इसके लिये वन मंत्री महोदय का क्या कहना है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कृपा कर मेरी बात भी सुनें और साथ ही जवाब दें।

यह तो मुझे मालूम नहीं कि ऐसी कोई जरायपेशा कौम है, जिसके निर्वाह का पेशा ही जंगल काटना है, अगर कोई ऐसी कौम के लोग हैं, अगर किसी की जीविका जंगल पर ही निर्भर करती है तो आप योजनाबद्ध रूप से उनके पुनर्वास की, उनको रोजगार देने की व्यवस्था कीजिये, उनको रोजगार देने का प्रयास कीजिये।

मेरे खयाल से जिस प्रकार वनों का राजस्थान में ह्रास हो रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण समस्या है, इस सरकार के बहरे कानों पर कोई असर ही नहीं होता, यह बड़े दुख की बात है।

बूंदी जैसा सुन्दर नगर, चारों ओर पहाड़ियां, उन पहाड़ियों पर वन सुरक्षित रखें, उन वनों को सुरिक्षत रखने से सरकार को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लाभ हैं। तो सरकार से बूंदी के जंगलों को सुरक्षित रखने के लिये व्यवस्था करने की मैं मांग करता हूं।

वन्य पशुओं के बारे में भी मेरी पूर्ण सहानुभूति है। बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, वह अक्षरशः सत्य है।

श्री केशरीसिंह हाडा: मैं हिन्डोली से आया हूं बून्दी से तो वे आये हैं, ये तो वनों को काटने में लगे हुए हैं।

रावल श्री लक्ष्मणसिंह : वन मंत्री जी विराजे हुए हैं, वन्य पशुओं के बारे में राग अलापूं उनके आगे तो वह भैंस के आगे मृदंग बजाना है। पर मैं निवेदन करूंगा कि वन्य पशुओं को सुरक्षित रखना एक सिविलाइज्ड गवर्नमेन्ट का कर्तव्य है यदि आप अपनी गवर्नमेन्ट को सिविलाइज्ड गवर्नमेन्ट मानते हैं तो आपका पहला कर्तव्य है कि हैप हैजर्ड वे में वन्य पशुओं को संरक्षण देने के बजाय अमुक अमुक स्थानों पर इन इन पशुओं को संरक्षण दिया जाय, इस प्रकार की एक सुदृढ़ व्यवस्था रखनी चाहिये। येन केन प्रकारेण यह जो हमारी वन की अमूल्य निधि है, मोस्ट वेल्यूड एसेट आफ दी नेशन है, वाइल्ड एनिमल्स का, इसको प्रोटेक्शन देने का पूरा प्रयास करना चाहिये। इस बारे में मैं हमेशा से कहता आया हूं पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार को चाहिये कि सांभर, काला हिरन, शेर, खास कर के टाइगर ऐसे हमारे बहुमूल्य पशुओं को जो हमारे राष्ट्र का धन हैं, उन्हें संरक्षण दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे भी कुछ कहना है।

श्री केशरीसिंह हाडा : वन मंत्री महोदय ने फरमाया . . .

श्री अध्यक्ष : जिनका स्थगन प्रस्ताव है, उनको प्राथमिकता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : प्राथमिकता के बाद नम्बर मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : मैं बाद में देख लूंगा, सोच लूंगा।

श्री केशरीसिंह हाडा : वन मंत्री महोदय ने फरमाया कि वहां के लोग रोटी रोजी के लिये अपनी आजीविका चलाने के लिये वनों में से पेड़ों को काट काट कर बाजार में बेचते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गत सत्र में राज्यपाल महोदय का सीमेंट फैक्टरी का बून्दी के लिये आयोजन था, उस सीमेंट फैक्टरी को इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बिलकुल ही उड़ा दिया है : अगर वहां सीमेंट फैक्टरी राज्य सरकार चालू कर दे तो बहुत हद तक उन बेकार लोगों को रोटी रोजी कमाने का साधन मिल सकता है, जिनके पास कि आज रोटी रोजी कमाने का आजीविका का कोई जरिया नहीं है। मेरा यही निवेदन करना है कि इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय स्पष्टीकरण कर दें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय जंगली जीवों के मंत्रीजी ने, जंगलों के मंत्री महोदय ने बतलाया कि जंगल के जीवों के विनाश का कारण पुनर्जन्म के सिद्धान्त के अनुसार जितने जंगली जीव हैं, वे मनुष्य हो गये हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास: यह प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: काव्य है, प्रश्न नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जंगली जीव सब मनुष्य बनते गये, पहले शेर आदमियों को खाते थे वे अब आदमी बन गये तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे शेर मंत्री बन गये हैं जो आदमियों को मारते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव रखा है कि ऐसे जंगली जानवरों की सुरक्षा की जाय। जहां तक मैं समझता हूं इन जंगली जानवरों

Page No. 57

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
के द्वारा काश्तकारों का बडा नुकसान होता है, वहां आस-पास में रहने वाले किसानों के मवेशियों को जंगली जानवर खा जाते हैं। गायों को, बकरियों को, भैंसों को, बैलों को खा जाते हैं, तो ऐसे हिंसक जानवरों की सुरक्षा करना जिससे किसानों को नुकसान हो, ऐसा करना सिविलाइज्ड गवर्नमेंट का कर्तव्य नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य को ऐसे हिंसक जानवरों के पास भेज कर गांधीजी की फिलॉसोफी के प्रवचन उन हिंसक जानवरों को सुनाने का अवसर दिया जाय।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की वन कम होते जा रहे हैं, वन्य जीव कम होते जा रहे हैं, मेरी वन्य जीवों के साथ सहानुभूति है, मैं भी मानता हूं कि यह बायोटिक पोटेन्शियल बना रहना चाहिये। विद्वानों की राय है कि पर माइल कितने चतुष्पाद, कितने बहु पाद और कितने द्विपाद रहने चाहिये। परन्तु मनुष्यों की आबादी बढ़ रही है...

श्री अध्यक्ष: मनुष्य पर इतने मर्सीलेस क्यों हैं? आपने बहुत कह दिया है मनुष्य के लिये।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : आखिर जानवरों के मंत्री हैं।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा: एक सुझाव माननीय सदस्य ने दिया कि वनों पर ही जिन लोगों का जीवन आधारित है, जिनके पास आजीविका के लिये वनों के अलावा और कोई धंधा नहीं है, उन लोगों को धंधा दे दिया जाय ताकि वनों की रक्षा हो सके और उन लोगों को धंधा मिल सके, इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार जागरूक है। समाज-कल्याण विभाग की ओर से, राज्य सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में प्रयत्न किये जा रहे हैं कि वनों पर आधारित उद्योग पी. डी. ब्लाक के जो खुल सकें, उनको खोला जाय, इनके संपादित होने में थोडा विलम्ब जरूर लगेगा।

श्री अध्यक्ष : 25 दूसरा स्थगन प्रस्ताव।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस।

श्री अध्यक्ष : हां, ले लेता हूं अगर सदन की मंशा हो।

श्री भैरोंसिंह : अगर वाद-विवाद नहीं होता है...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने बाड़मेर नगर में बिजली की अव्यवस्था और उसके प्रति जनता के घोर असंतोष के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था...

श्री अध्यक्ष : अभी दो मिनिट पहले आया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 23 तारीख को मैंने पेश किया था।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन का सहयोग चाहूंगा। अब स्थिति यह है कि सभी चाहते हैं कि थोड़ा समय माननीय सदस्यों को अभिभाषण पर अधिक मिल सके और स्थगन-प्रस्ताव भी अधिक हैं।

अगर माननीय सदस्यों की इच्छा हो कि स्थगन प्रस्तावों के बारे में लिखित उत्तर

(श्री अध्यक्ष)
भेज दिये जायं तो मैं डिबेट के लिये समय निकाल सकता हूं।

श्री मनोहर सिंह मेहता : इसको कल लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं 15 मिनट और स्थगन प्रस्तावों के संबंध में देना चाहूंगा उसके बाद अभिभाषण पर वाद-विवाद होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज आधे घंटे की चर्चा है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। यह सब ढाई बजे से पहले खतम नहीं होगा। और उसके बाद सरकार का जवाब शुरू होगा तो खत्म वह कब होगा? तो यह सब कल के लिए या सरकारी जवाब के लिए रखें।

श्री अध्यक्ष : वह संभव नहीं हो सकता। मैं स्थगन प्रस्तावों को रोक सकता हूं और उनके उत्तर लिखित में माननीय सदस्यों को पहुंचा दिए जायं।

श्री बृजलाल बाकुलार : क्या यह मान लिया जाय कि अगर कोई प्रश्न रह जाय तो अनुमति है...

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न रह जाय उनके संबंध में मंत्री महोदयों से निवेदन करूंगा कि उन माननीय सदस्यों को बुलाकर उसका स्पष्टीकरण करलें। इसलिए मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्थगित करता हूं और आधे घंटे की चर्चा...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसको भी कल के लिए पोस्टपोन कर दें।

श्री विजय सिंह रावत (नसीराबाद) : ऑन ए पाइंट ऑफ ऑर्डर, सर

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : जैसे आपने फरमाया, बहुत से माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण हैं, उन पर सप्लीमेंट्री पूछना भी जरूरी होता है तो जैसे सदन की परम्परा रही है शुरू से उसी तरह से इनको लिया जाय। जहां तक सवाल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का है, उसको आज न लेकर कल लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह संभव नहीं हो सकता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो रोजाना ही उनका ध्यान आकर्षित करती रहती हैं।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : स्थगन प्रस्तावों को कल या परसों पर रख लिया जाय, परन्तु लिखित में उत्तर न दिए जायं क्योंकि हम तथ्य इकट्ठे करके आए हैं, हम सप्लीमेंट्रीज के रूप में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे।

श्री मनोहर सिंह मेहता : एक स्थगन प्रस्ताव कैरोसिन के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : कैरोसिन यहां पर नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : दिलवाने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : इन स्थगन-प्रस्तावों के लिखित में उत्तर न दिए जायं, ऐसा सुझाव माननीय सदस्यों का है, मैं प्रयत्न करूंगा कि स्थगन–प्रस्तावों को बाद में क्रम के अनुसार

Page No. 59

(श्री अध्यक्ष)
जिस भी तिथि को जमाए जा सकते हैं लेने का प्रयास करूंगा। अब आपकी अनुमति से...

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : वैसे तो सारी कार्यवाही को संचालन करने में अध्यक्ष को सहयोग देने के लिए हर दल का सचेतक होता है। यह मुख्य सचेतक का काम है कि सभी दलों से सम्पर्क स्थापित करके आपको कार्यवाही के संचालन में सहयोग दें। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी का सचेतक काम करता नहीं। खैर, अभी उत्तर भी बाकी है और आधे घंटे की चर्चा भी है और 4 अध्यादेशों के संबंध में 5 विधेयक भी पेश हुए हैं। उसके बारे में विचार विमर्श और वाद-विवाद एक दिन में समाप्त नहीं हो सकता। या तो सदन की कार्यवाही दो-चार दिन के लिए बढ़ानी पड़ेगी या फरवरी में जब बजट अधिवेशन प्रारंभ हो तब तक इन अध्यादेशों को स्थगित कर दें। उस समय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलायें...

श्री अध्यक्ष: आज बुलाई गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो उन पर डिबेट पोस्टपोन हो जायगा। बाकी स्थगन-प्रस्तावों को कल तक के लिए पोस्टपोन करके डिबेट को आज प्रारंभ करें।

श्री अध्यक्ष : अवशेष कार्यवाही स्थगित करता हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद लेना चाहता हूं।

श्री श्रवणलाल : मेरा स्थगन प्रस्ताव था, वह कई बार...

श्री अध्यक्ष : मैंने सारे अवशेष बिजनेस को स्थगित किया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री [illegible] पर प्रश्नेतर वाद-विवाद

श्री जयनारायण सारोदिया (निवाई) : जो धन्यवाद प्रस्ताव यहां पर रखा गया है उस पर कई सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं, मैंने भी रखा है लेकिन आज तक समय नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, श्री सतीश-चन्द्र अग्रवाल।

श्री श्रवणलाल : इससे पहले मैंने कई बार अपना स्थगन-प्रस्ताव चने की फसल को कीड़े लगने संबंधी रखा है...

श्री अध्यक्ष : मैंने सभी स्थगन प्रस्तावों को स्थगित कर दिया है।

ऑर्डर प्लीज !

श्री रघुनाथ विश्नोई : ओन ए पॉइंट आफ आर्डर, सर। यह सदन की हमेशा से परम्परा रही है कि पहले दिन कोई माननीय सदस्य ने भाषण दिया हो उसको दूसरे दिन कन्टीन्यू नहीं किया जा सकता, ऐसी व्यवस्था आसन से हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया। मैं स्पष्टीकरण कर देता हूं। यह परम्परा रही है सदन की कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों और सदन का समय समाप्त हो गया हो तो उसके बाद उस माननीय सदस्य को अवसर नहीं दिया जाता है। चूंकि माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मुझे बल मिल

(श्री अध्यक्ष)

है। मैं चाहता हूं कि इस परम्परा को, रखा जाय भविष्य में। लेकिन यहां प्रश्न यह है कि माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का भाषण समाप्त नहीं हुआ था क्योंकि एक बिजनेस बीच में लेना रह गया था इसलिए उनसे निवेदन किया गया कि वह बैठ जायं और उस प्रश्न को ले लिया जाय। इसलिए इस परम्परा के अन्तर्गत यह नहीं आता है···

श्री भैरोंसिंह : परम्परा बनाए रखने के लिए मैं सुझाव देता हूं···

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था अभी तो दे रहा हूं···

श्री भैरोंसिंह : व्यवस्था से पहले ही··

श्री अध्यक्ष : जब अध्यक्ष व्यवस्था दे रहा हो तब कोई प्रश्न नहीं उठता बीच में बोलने का। इसलिए उस परम्परा को दृष्टिगत करते हुए, मैं माननीय सतीशचन्द्रजी को इजाजत देना उचित समझूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह परम्परा समाप्त हो गई पहले वाली ?

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 25 तारीख को यहां मेरा भाषण समाप्त नहीं हुआ था।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक जानकारी सार्वजनिक महत्व की है। एक प्रस्ताव··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य···

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय अध्यक्ष··

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गलत परम्परा है।

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोल रहे थे और उस बीच में आप खड़े हो गए यह उचित नहीं है। श्री सतीशचन्द्र

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने आपसे निवेदन किया था····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं अपनी बात निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : बाद में सुना जायगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पहले मैं सुनाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं सुनूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा भी एक आध भाषण समाप्त नहीं हुआ था तो आपने व्यवस्था दी थी कि····

श्री अध्यक्ष : मैं स्पष्टीकरण करूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : परम्परा को कायम करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कोई जरूरी है क्या कि आपकी टांट गंजी हो तो मेरी भी गंजी हो ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरी गंजी हो तो आपकी भी होनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपको संतोष दिलाता हूं कि परसों मेरा भाषण यहां पर अधूरा रह गया था। अध्यक्ष महोदय ने जो मुझे इजाजत दी है उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन व्यासजी का मन रह जायगा, उनको काफी चिंता हो रही है। मेरा निवेदन है कि परसों के भाषण के बाद मेरी पार्टी का शेष समय श्री भैरोंसिंहजी को दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण…

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : ओन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर। हमने काल अटेन्शन मोशन रखा है, उसके बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हूं। विरोधी दल हमेशा स्थगन प्रस्ताव रखता है लेकिन हमारी पार्टी की परम्परा के अनुसार हम स्थगन-प्रस्ताव नहीं रख सकते, हमारा काल अटेन्शन मोशन होता है। इसलिए हमें इस बार बोलने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न न होने से मैं मौन हूं।

श्री भैरोंसिंह : राज्यपाल का अभिभाषण, पिछले वर्ष की उपलब्धियों और अगले वर्ष के कार्यक्रम के रूप में हमारे सामने आता है। यह खेद की बात है कि इस अभिभाषण में न तो पिछले वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है और न ही अगले वर्ष का कोई इस प्रकार का कार्यक्रम देखने को मिलता है जिसके लिए कहा जा सके कि सरकार ने जनता के हित में अमुक कार्यक्रम हाथ में लिया है। यह कहा जाय कि पिछले वर्ष एक प्रकार से एक राजनैतिक संघर्ष का वर्ष था और इसको हमारी राज्य सरकार जनता के हित में किसी भी काम को अपने हाथ में नहीं ले सकी, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं राजनैतिक संघर्ष में भी जहां सरकार और विरोधी दल दोनों एक मत होकर उनका निर्णय लेते थे, और उस सम्बन्ध में होने वाली कार्यवाही में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं रखते थे। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को शुरू से लेकर अन्त तक देखा जाय तो ऐसा लगता है कि जहां राजस्थान में कोई महत्वपूर्ण मसले नहीं हैं। भेड़, बकरी, कुक्कुट आदि के बारे में उल्लेख किया गया है और इनके ऊपर पेजेज के पेजेज भरे गये हैं। लेकिन मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने या राज्यपाल महोदय ने हमारी सीमा सुरक्षा के सम्बन्ध में एक शब्द भी अपने भाषण में नहीं कहा। कुछ ऐसा लगता है कि राज्य सरकार स्वयं महसूस करके चलरहा है या भारत सरकार भी यह महसूस कर रही है कि हमारी सीमायें पूर्णतया सुरक्षित हैं। उन पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर और निजी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि हमारा दुर्भाग्य है कि कच्छ का झगड़ा हुआ। भारत सरकार की गलती के कारण हुआ। यह पाकिस्तान का झगड़ा ट्रिब्यूनल के सामने चला गया जो आज भी लटका हुआ है। राज्य सरकार और भारत सरकार इससे कुछ भी सबक लेती कि 1965 में अगस्त सेप्टेम्बर में जम्मू-कश्मीर के बारे में पंजाब और राजस्थान में लार्ज स्केल पर

(श्री भैरोंसिंह)
घुसपैठिये घुस आये, लेकिन हमने सबक नहीं लिया 1965 में हमने आंखों से देखा। 1965 के कच्छ के झगड़े से किसी प्रकार का लेसन नहीं लिया। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए यह लगता है कि हमारी सरकार और भारत सरकार समय पर सचेत होकर पाकिस्तान की जो युद्ध की तैयारियां चल रही हैं उसके मुकाबले में स्थिति मजबूत नहीं की तो जो 1965 में नुकसान हुआ है उससे कहीं अधिक नुकसान होने वाला है। समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कच्छ का फैसला जल्दी होने वाला है। मार्च, अप्रेल में हो जायगा लेकिन पाकिस्तान आज इसको टार्गेट बनाकर पूरी युद्ध की तैयारियां कर रहा है। जिस भूमि पर अधिकार कर रखा है शायद मैं समझता हूं कि उसको अवार्ड कर रहे हैं बाई फोर्स वह भूमि वापिस बनाई रखना है। वह सीमा क्षेत्र में पूरी तैयारी कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। पाकिस्तान के सम्बन्ध अमेरिका से हैं। दूसरे उसने चीन से भी सम्बन्ध बढ़ाये हैं मिडिल कन्ट्रीज हैं, उनसे भी हथियार लेने का एक कार्यक्रम चालू कर रखा है। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्रों में पाकिस्तान की गड़बड़ियां चल रही हैं। पाकिस्तान की सरकार उस ओर सड़कें बना रही है, एरोड्राम बना रही है, मिलिट्री बैरेक्स बना रही है इतना ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा भयंकर काम यह किया जा रहा है कि सारे सीमा क्षेत्र में राजपूतों, मेघवालों, भीलों आदि उन सारे लोगों के साथ पाशविक अत्याचार हो रहे हैं। उन अत्याचारों से एक बात निकलती है जो आज तक नहीं हो रहा था वह इन पिछले दो वर्षों से क्यों हो रहा है? 1965 के बाद ही ज्यादा संख्या में अत्याचार क्यों होने लगे? मेरी स्वयं की जानकारी है, आज वहां पर जितने मेघवाल हैं उन लोगों को बाई फोर्स कनवर्ट किया जा रहा है। उनको एक निशान दे दिया जाता है जिससे लोगों को पता लग जाय कि ये कनवर्टेड लोग हैं, कनवर्टेड मुस्लिम हैं। बाकी आज आमतौर पर पाकिस्तान के इन क्षेत्रों में हिन्दू महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। उन लोगों का कनवर्शन करना, उनकी इज्जत बिगाड़ना मामूली चीज है। थार डिस्ट्रिक्ट है उसमें तीन महिलाओं को पकड़ कर पाकिस्तानी ले गये। सदन को सुनकर ताज्जुब होगा जो लोग महिलाओं को पकड़ कर ले गये और जो उनकी मदद करने के लिये गये उनको ट्रक के नीचे दबोच दिया गया, कुचल दिया गया, उनको मार डाला।

आज राजस्थान की सरकार उन लोगों को कोई मदद नहीं कर सकी। मैं यह भी मान सकता हूं कि राजस्थान की सरकार कोई कार्यवाही करने में अपने आपको समर्थ नहीं पाती होती हो, लेकिन क्या वह भारत सरकार और राजस्थान के राजनैतिक स्तर पर इस मसले को नहीं ले सकती है? छोटे-छोटे मसलों के लिये राजनैतिक स्तर पर आज हल निकाला जाता है। आज दिन तक राजस्थान की सरकार ने भारत सरकार को सचेत किया है कि पाकिस्तान के लोग किस प्रकार से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं?

हमारी सरकार ने आज तक भी भारत सरकार को पुर जोर शब्दों में नहीं लिखा है। आज मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि हिन्दुस्तान का बंटवारा हुआ वह हमारे

(श्री भैरोंसिंह)

देश के नेताओं ने स्वीकार किया। हिन्दू पापुलेशन हिन्दुस्तान में आने लगी और मुस्लिम पापुलेशन पाकिस्तान में जाने लगी। पापुलेशन के आधार पर उस क्षेत्र का बंटवारा हुआ। मैं तो आज यह कहूंगा और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजस्थान की सरकार को सबक लेना चाहिए। हमारा क्षेत्र बंटवारे के नाम पर पाकिस्तान चले गये। उन लोगों का, बेचारों का, राजनैतिक स्तर पर सौदा करें कि हिन्दुस्तान के किसी भी केन्द्र में आकर आबाद हो जायं। जो 18 हजार लोग 1965 में चले गये उनके एवज में किसी भी समय संघर्ष होगा पाकिस्तान में जाने की जरूरत हुई तो उन लोगों को भेज दिया जाये। यह आसानी से किया जा सकता है। राजस्थान की सरकार और भारत सरकार कितना कुछ करेगी, मैं कह नहीं सकता। सीमा क्षेत्र में धर्म के नाम पर पीर पगारों की शरण में जाते हैं। मैं उन पीरपगारों के इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आज वह पीर पगार पाकिस्तान की सरकार को सहयोग देने का सहारा लिये हुए हैं। आप चले जाइये पाकिस्तान की सीमा पर, आज उन पीर पगारों को छापा मार युद्ध की शिक्षा दी जा रही है। पाकिस्तान में आज चीन भी छापा मार युद्ध की ट्रेनिंग दे रहा है। विदेशों से एक्सपर्ट बुलाकर डेजर्ट इलाके में युद्ध कला सिखायी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, उसके मुकाबले हम अपनी तैयारी को देखें तो मुझे कुछ महसूस होता है कि 1965 में हमारे कई गांव नष्ट हुए, हमारे कई आदमी मारे गये, बहुतसा पशु धन नष्ट हुआ किन्तु आज भी हमारी सरकार इसकी कोई चिन्ता नहीं कर रही है। पिछले दिनों सीमा सड़क का प्रश्न आया था। हम तो विधान सभा में बैठे हैं। हमारी सुरक्षा की हमें कोई चिन्ता नहीं है। आज सीमा पर रहने वाले लोग सुरक्षित हैं या नहीं या वे अपने आपको सुरक्षित अनुभव करते हैं या नहीं इन सारे मुद्दों पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। मैं आपको चार उदाहरण देना चाहूंगा। एक उदाहरण हरनाऊ गांव का है। एक मुस्लिम औरत भागकर आई। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आई। आने के बाद पीर पगार उस महिला को हिन्दुस्तान से उठाकर ले गये। हरनाऊ में डाकू हैं या पाकिस्तानी हैं या कुछ भी कहें उस महिला को मार पीट कर ले गये।

(1.30 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सांगदा जो हिन्दुस्तान की सीमा के अन्दर 40 मील है वहां पर एक आदमी का कत्ल कर दिया गया। देवीकोट जो हमारी सीमा के अन्दर 75 मील है वहां पर एक महिला का कत्ल कर दिया गया। नाचणा में पुलिस स्टेशन है जो हमारी सीमा के अन्दर 40 मील रहता है पर पाकिस्तानी रात को आते हैं महाजन की मृत्यु करना चाहते हैं। वह महाजन मिलता नहीं है तो जाते वक्त थाने से ऊंट ले गये। यह बात राजस्थान सरकार के ध्यान में आई है। जब पाकिस्तान के लोग हमारी सीमा में 70 मील अन्दर आकर हमला करें और वे बिना पकड़े हुए जा सकते हैं तो फिर सीमा पर रहने वाले लोगों में सुरक्षा

(श्री भैरोंसिंह)

की भावना किस प्रकार पैदा होगी? इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी लोग वहां पर डटे हुए हैं। उनको आत्म विश्वास है यदि पाकिस्तान हमला करेंगे तो हम उनका मुकाबला करेंगे। सरकार की तरफ से किस प्रकार की व्यवस्था है यह तो उनको मालूम है। सरकार ने 65 में आक्रमण के समय हथियार उस इलाके में बांटे थे, क्या सरकार ने उन हथियारों की जांच की है कि उनकी क्या हालत है? उनके पास में कितने कारतूस बचे हैं? इसकी कभी जांच नहीं की कि उनको पूरी तरह से बन्दूक चलाना आता भी है या नहीं? आज कई जगहों पर जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं कोई हथियार नहीं दिये गये। कुछ हथियार जरूर बांटे हैं, लेकिन लोगों को प्रशिक्षण तक नहीं दिया गया, एम्युनेशन नहीं दिये गये। पांच दस कारतूस लेकर कोई दुश्मन का मुकाबला करके चले जायं ऐसे भोले व्यक्ति कोई नहीं होंगे। जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं मैं यह कहना चाहूंगा और राज्य सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि वे धोखे में न रहें कि कोई आक्रमण नहीं होने वाला है। पाकिस्तान सन् 65 की हार का बदला लेने के लिये बड़ी मात्रा में तैयारी कर रहा है। याचक की तौर पर विदेशों से हथियार प्राप्त कर रहा है और जिस समय भी मौका मिलेगा वह आक्रमण करके अपनी हार का बदला लेना चाहेगा। हमारी हिम्मत नहीं हो ऐसी बात नहीं। हमारी जनता की तो यह तीव्र इच्छा है कि अब की बार यदि हमला हुआ तो पाकिस्तान के इस प्रकार से दांत खट्टे किये जायेंगे ताकि भविष्य में हिन्दुस्तान की ओर आंख भी उठाकर न देख पावे। भय केवल हमें है हमारी तैयारी के सम्बन्ध में।

सीमा-सड़कों के बारे में मुख्य मन्त्री ने स्वयं ने देखा होगा और भी माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि सीमा-सड़कों की हालत क्या है। भारत सरकार ने इसके लिये पैसा दिया और उसको हमारी सरकार की मार्फत खर्च करवाया। आज सड़कों की हालत यह है कि कहीं पर मिट्टी उड़ गई है, कहीं से कान्क्रीट उखड़ गई है जितनी भी सड़कें बनायी गई हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कहीं स्काउट कैम्प होता है उस स्काउट कैम्प तक पहुंचने के लिये सड़कें बनती उसी प्रकार की ये सड़कें हैं जो जिला जैसलमेर बाड़मेर जिले में बनी हुई हैं जिनका आज जाल बिछा हुआ है। ये सड़कें ऐसी हैं जिन पर कहीं पर डामर के ढोल फूटे पड़े हैं। आज यदि पाकिस्तान का हमला हो जाय तो ये सड़कें जो पहले मार्ग के रूप में काम आती थीं जिन पर गाड़ियां आ जा सकती थीं वे अब इसके लिये बिल्कुल अयोग्य हो गई हैं उन पर मोटर आदि आ जा नहीं सकतीं। मैं राज्य सरकार से कहूंगा कि अगर भारत सरकार से आपको धनराशि नहीं मिलती है। भारत सरकार ने राज्य सरकार को कह कर करोडों रुपयों का काम जो चालू हो गया था उसको बन्द करवा दिया है, कन्ट्राक्टर्स को काम बन्द करने के आदेश दे दिये हैं उनके पास आगे के लिये टेन्डर नहीं हैं इस कारण इन जिलों में जो भी सड़कें बनायी गई हैं वे सारी की सारी साफ हो गई हैं। इस तरह से जो पैसा खर्च भी किया वह बेकार गया।

(श्री भैरोंसिंह)

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, लाखों रुपया मशीनरी पर खर्च किया गया है । वह पड़ी है । मैं कहना चाहता हूं कि जब हम युद्धस्तर पर कोई कार्यवाही करते हैं तो उसका निर्माण आगे रोका नहीं जाना चाहिये। 65 से पहले राजस्थान के इन भू-भागों में गाड़ियां नहीं जा सकती थीं लेकिन पाकिस्तान ने इन दो महीने के आक्रमण के समय राजस्थान की सीमा पर समस्त चौकियों के बीच बुलडोजर फिराकर सड़कों का निर्माण कर दिया जो हमारी यहां की सड़कों से काफी अच्छी हैं। वित्त मन्त्री महोदय जब गृह मन्त्री थे तब कहा करते थे कि इन इलाकों में ऊंटों के सिवाय कोई नहीं जा सकता आज यह हम आंखों से देखते हैं कि बुलडोजरों द्वारा काटकर किस प्रकार दो तीन महीनों में सड़कें बनाली जो सरकार 15 वर्षों में कुछ नहीं बना सकी।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 65 के अन्दर पाकिस्तान ने कुछ कुओं को तोड़ दिया था जो 27 की संख्या में थे जिनकी लिस्ट मेरे पास है। उनको सरकार आज तक मरम्मत नहीं करा सकी। ट्यूब वैल्स का जो निर्माण किया गया उनकी सुरक्षा का कोई इन्तजाम नहीं। कहीं ट्यूब वेल्स में मशीनरी फिट नहीं, कहीं वे चालू नहीं। लूनवाला कुएं में पाकिस्तानियों ने कुछ चीज डालदी थी फिर बाद में पता चला कि गैस वालों ने उसको नष्ट कर दिया था। लेकिन पाकिस्तानी गुप्तचर इस ताक में हैं कि इन कुओं को किसी प्रकार भी नष्ट कर दिया जाय उनकी सुरक्षा का कोई इन्तजाम नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की सीमा से पाकिस्तानी हिन्दुस्तान में बेरोक-टोक आ जाते हैं। एक मशहूर राना फकीर 200 अपने अनुयायियों को लेकर पाकिस्तान चला गया था वह पुनः उनके साथ हिन्दुस्तान में आगया। यह राजस्थान की पुलिस को मालूम है लेकिन राजस्थान सरकार ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लोग आते जाते हैं उनके रिश्तेदार आते जाते हैं उनको कोई पास-पोर्ट की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार 40 मील दूरी पर धानेली गांव है वहां से पाकिस्तानी 15 ऊंट पकड़ कर ले गये। आज हालत यह है कि पाकिस्तान के लोग हर तरह से हमारी सीमा पर बसे हुए लोगों को परेशान करने पर तुले हुए हैं। हमारी सरकार इसके प्रति जागरूक नहीं है।

इसी प्रकार शहादत की घेरी के बाहर एक हजार वर्गमील क्षेत्र है जिस पर हमारी सीमा के स्तम्भ लगे हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले सात आठ वर्षों में किसी ने जाकर उन स्तम्भों को चैक नहीं किया, हमारे सीमा स्तम्भ सुरक्षित हैं या नहीं यह किसी ने नहीं देखा। हिन्दुस्तान के आदमी यह कहें कि इस सीमा तक नहीं पहुंच सकते यह दुर्भाग्य के सिवाय और क्या हो सकता है। आज पाकिस्तानी हर जगह पहुंच गये हैं। यदि हम यह कहें कि हम नहीं पहुंच सकते तो इससे अधिक निन्दा की बात और कोई नहीं हो सकती। मुख्य मन्त्री महोदय इस बात को चैक करवा लें कि उन सीमा स्तम्भों का आज तक चैकिंग नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पंजाब के कुछ मन्त्रियों से बातचीत हुई उनसे मैंने जानकारी

(श्री भैरोंसिंह)

ली कि 65 में जो लोग पाकिस्तानी आक्रमण से बरबाद हुए उनको किस प्रकार से मदद दी गई। उन्होंने मुझे स्टेटमेन्ट बना कर दिया है, किस प्रकार जिनके मकान टूट गये, फसलें नष्ट हुई उनको क्या क्या सहायता दी गई। 53 लाख रुपये की फसलों के नुकसान का अन्दाज था वहां पर 33 लाख रुपया दिया गया। फौजों के मूवमेन्ट के कारण 15 लाख की फसल बरबाद हुई। उसमें सात लाख की मदद दी गई। एअरफील्ड आदि में 2.66 हजार का नुक्सान का अनुमान लगाया गया वहां पचास प्रतिशत मदद दी गई। इसी प्रकार हाउसिंग के मामले में, इन्डस्ट्रियल लोन्स के बारे में, पंजाब सरकार ने मुक्त हस्त से पीड़ितों को सहायता दी जो कुछ रुपया उनको मिला वह रुपया भारत सरकार से रिइम्बर्स करवा लिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन क्षेत्रों में भी गया जहां हमारी सरकार ने पांच सौ रुपया मकान के नाम पर, 500 रु. खेती के नाम पर, पांच सौ रुपया हानि के नाम पर, अनाज के मामले में भी पांच सौ रुपया देकर सारी समस्या का समाधान कर दिया। इस प्रकार की मदद को देख कर किसी व्यक्ति से हम यह आकांक्षा करें कि वह दुश्मन से मुकाबला करेगा तो कोई व्यक्ति इस तरह का मिलने वाला नहीं। आज लोग यह चाहते हैं कि हमें इस प्रकार से पूरा विश्वास हो कि हमारा जो भी नुकसान हो उसको सरकार पूरा करेगी तो हम किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार की जिस प्रकार की प्रवृत्ति है उसको देखते हुए भयंकर निराशा लोगों में व्याप्त है। वे सरकार से यह चाहते हैं कि हमें सरकार हथियार दे ताकि हम पाकिस्तान से दो दो हाथ कर सकें। आज उनकी यह मांग भी पूरी नहीं होती ये बातें मैं कई बार सदन में और सदन से बाहर भी कह चुका हूं। 65 में जब हमारी सेना लाहौर के दरवाजे तक पहुंचने वाली थी, इच्छोगिल कैनाल ने हमारी फौजों की गति को रोक दिया उसी प्रकार की नहर पाकिस्तान ने सियालकोट क्षेत्र में बनाली है, रहीम यार खांन में बनाली है। लेकिन राजस्थान नहर के लिये हम काम को रोक रहे हैं। मुख्य मन्त्रीजी से मैं यह कहना चाहूंगा यह इस प्रकार का प्रश्न है जिसमें विधान सभा के 184 सदस्यों का कोई मतभेद नहीं। हम सब भारत सरकार पर दबाव डालें कि राजस्थान नहर का काम बन्द नहीं होना चाहिये, वह कार्य युद्धस्तर पर किया जाना चाहिये। राजस्थान कैनाल का निर्माण ही वास्तविक कदम होगा जिससे हम हमारी सीमा सुरक्षा को मजबूत बना सकते हैं। नहर बन जाने पर उसके किनारे किनारे आबादी बसेगी, बहबूदी आयगी, सतर्क रहेंगे। जिस प्रकार गंगानगर जिले में पाकिस्तान ने हमला किया वहां के किसानों ने जिस प्रकार से मुकाबला किया, एक एक इंच भूमि के लिये वे मरने के लिये तैयार हो गये लेकिन पाकिस्तान के पैर नहीं पड़ने दिये। गंगानगर जिले में उनका कड़ा मुकाबला हुआ।

आज वह हालत यदि बीकानेर, जैसलमेर, बाडमेर जिलों में हो जावे तो एक पाकिस्तान नहीं दस पाकिस्तान भी आ जावें तो हिम्मत नहीं हो सकती उसकी प्रवेश करने की। अगर बाड़मेर में ट्यूबवैल लगा दिये जावें, बीकानेर जिले में राजस्थान कैनाल का पानी पहुंच

(श्री भैरोंसिंह)
जावे और जैसलमेर तक आप राजस्थान कैनाल पहुंचा दो तो।

मुझे लगता है राजस्थान के मुख्य मन्त्री इन मामलों में कमजोरी अनुभव करते हैं। वे क्यों अनुभव करते हैं? या तो मैं यह मानकर चलूं कि उनका केन्द्र में जो प्रभाव था वह खत्म हो गया या उनका पार्टी में विश्वास नहीं रहा।

मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आन्ध्र में स्टील के कारखाने को लेकर मद्रास से किस प्रकार का विवाद चला, बिहार में फर्टीलाइजर का विवाद कैसे चला? हम विश्वास दिलाते हैं राजस्थान की जनता और विधान सभा के सदस्यों को साथ लेकर आप भी कृपया भारत सरकार के मुकाबले में डटकर खडे हो जाइये राजस्थान को बचाना है तो राजस्थान कैनाल को पूरा करना पडेगा। आप यह मानकर चलिये अगर यह नहीं हुआ तो कोई प्याऊ खोलने से टोटके करने से कहीं छोटी-मोटी सड़क बनादी तो उसमें काम चलने वाला नहीं है। राजस्थान कैनाल से ही काम चलेगा। आज भारत सरकार या राज्य सरकार यह समझ कर चले कि यह तो कोरी ईरिगेशन की योजना है तो वे सब भ्रम में हैं। आज इसका रूप बदल गया है। सिंचाई की योजना बताकर ईरिगेशन प्रोजेक्ट बताकर अगर इसको हाथ में लेने की कोशिश की तो बुरा होगा। हमें आज से कहना चाहिये और राजस्थान के प्रत्येक बच्चे को कहना चाहिये कि यह ईरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं है, यह सही माने में डिफेन्स प्रोजेक्ट है और इस कारण जितनी धनराशि आवश्यक हो इसके लिये भारत सरकार को देनी चाहिये।

इन्हीं प्रश्नों के साथ में यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहले पिछले दिनों में, यह तो सही है कि 65 में पाक आक्रमण के समय 18 हजार व्यक्ति पाकिस्तान चले गये, उनकी सम्पत्ति पीछे रह गई। सरपंच और पंच उनमें थे। राजस्थान सरकार से प्रश्न पूछता हूं कि आपने उन पंच सरपंचों को निलंबित किया या नहीं? उनकी सम्पत्ति जब्त की या नहीं? वे जो जमीनें छोड़ कर गये टेनेन्सी एक्ट के मातहत उन पर आपने अधिकार प्राप्त किया या नहीं? वह तो सारा काम ढिलाई में चल रहा है। अभी दो तीन महीने पहले गजट में देखा। आपने कुछ को निलम्बित किया जो कि पंच सरपंच 65 से 68 तक पाकिस्तान चले गये उनको निलम्बित करने की कार्यवाही भी आप जल्दी से समय पर नहीं कर सके। इसमें भी आपको चार चार साल लग जाते हैं। वैसे किसी राजनैतिक विद्वेष से किसी पंच सरपंच को सस्पेण्ड आपको करना हो तो आप एक दिन की भी देर नहीं लगाते। पर जो पाकिस्तान चले गये अराष्ट्रीय कामों में लगे रहे, मुजाहिदों के साथ मिलकर यहां हमला कराये, यहां के लिये रास्ता साफ करे, उनके सस्पेन्शन पूरे के पूरे आज तक आप नहीं कर पाये। इतना ही नहीं, आज तो वे भी भगे हुए वापिस आरहे हैं और कई क्षेत्रों में मिल जुलकर झूठे सर्टिफिकेट लेकर जमने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ऐसे मामलों में सतर्कता से काम लें।

यह भी दुर्भाग्य है कि डी. आई. आर. के रूल 25 के मातहत हर स्टेट को भारत

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार की बिना अनुमति लिये ऐसे लोगों के खिलाफ जो अनधिकृत रूप से स्टेट में प्रवेश करते हों प्रोसीक्यूट करने की इजाजत थी। वह आज भी आसाम और बंगाल की सरकार को है, जम्मू–काश्मीर की सरकार को है, पंजाब की सरकार को भी है। पर दुर्भाग्य है कि पिछले तीन महीने से जो अधिकार राजस्थान सरकार को था, उसे एक गजट नोटिफिकेशन के जरिये वापिस ले लिया आखिर क्या कमजोरी थी? क्या कारण था जिसके कारण भारत सरकार ने ऐसा नोटिफिकेशन केवल राजस्थान के ही लिये जारी करके सेक्शन 25 के अन्तर्गत दिये गये पावर इस रूप में वापिस ले लिये कि कोई भी ऐसा मुकद्दमा भारत सरकार से पूर्व अनुमति लिये बिना नहीं चलाया जा सकता? इसका प्रभाव यह पड़ा है कि ऐसे लोग यहां आजाद हो गये हैं। उनकी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उनकी रोक थाम, मेरी जानकारी के अनुसार बाड़मेर कलेक्टर ने की। जब उस कलेक्टर ने उनको रोकना चाहा तो कुछ ऐसे लोग आगे आये कि बाड़मेर का कलेक्टर ऐसी ज्यादती करेगा तो वह कलेक्टर वहां नहीं रह सकेगा। बाड़मेर के कलेक्टर की शिकायत होने लगी और परिणाम यह निकला कि जो समस्त जिले में प्रशासनिक दृष्टि से पॉपूलर था, प्रसिद्ध था, इन्डिपेन्डेन्ट था उसका ट्रान्सफर कर दिया गया। लोग कहने लगे देखा, पाकिस्तान से जो लोग आये, उनके बसाने में जो भी रोड़े अटकावेगा वह कलेक्टर यहां नहीं टिक सकेगा। उसने कोशिश की पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर आये लोगों को डांगला, गांव में आकर आबाद हुए उनको वहीं रखने की। डाली भोइसर में जहां वे आबाद हुए उनको आबाद कर दिया, जमीनें अलॉट कर दीं। इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, आज कुछ राजनैतिक कार्यकर्ता इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनको देदूसर से हटाकर दूसरी जगह भेजा जावे। कलेक्टर ने मन्जूर नहीं किया। मुझे जहां तक याद है मुख्य मंत्री ने भी आदेश दिये थे कि वे नहीं हटाये जावें। पर बदकिस्मत यह है कि आज उन लोगों को जो पाकिस्तान से पीड़ित होकर आये और पकिस्तान द्वारा हमारी फौजों पर हमला किये जाने पर उसको सेवा बजाने वाले उनकी रोटी का प्रबन्ध करने वाले लोग फौजों का साथ देकर देदूसर में बस गये उनको कहा जा रहा है कि दूसरे स्थान पर आबाद हो वो। यह कहने की आवश्यकता नहीं। पर मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान इस प्रकार की नरमी की भाषा नहीं समझता। आज हम पाकिस्तान के सामने नरमी की भाषा का उपयोग करेंगे तो पाकिस्तान समझने वाला नहीं है। आज जब हम कहते हैं कि एक भाषा दूसरे पर इम्पोज न की जावे तो नरमी की भाषा पाकिस्तान पर इम्पोज नहीं की जावे। वह जिस भाषा में समझता है उसे उसी में जवाब दिया जावे। तब तो इलाज होगा। नहीं तो, नहीं होगा।

मैं सुझाव के रूप में यह भी कहना चाहूंगा। माथुर साहब भी बैठे हैं। सुझाव दिया था उन्होंने भी कि भारत सरकार को उस एरिया में एक फ्री बैल्ट कायम करना चाहिये। जैसलमेर के इलाके में पूरा बैल्ट एक सात मील का आता है उस सात मील के एक पूरे बैल्ट को खाली करा लिया जावे तो इलाज हो सकता है। उस बैल्ट में तीन

(श्री भैरोंसिंह)

तीन मील पर एक गांव आबाद है जिसकी कुल जन संख्या 700 है। उन सात सौ आदमियों को अन्दर की तरफ ले लें तो जैसलमेर जिले का पूरा सात मील का बैल्ट खाली हो जाता है। जिसमें रिहैबिलिटेशन का कोई सवाल पैदा नहीं है उसे आप मिलिट्री एरिया डिक्लेअर कर दें। उसमें बिना पासपोर्ट के, बिना परमिशन के कोई जा नहीं सकता। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जैसलमेर जिले की सारी कठिनाइयां खतम हो जावेंगी, विषमता खतम हो जावेगी, और इसके खतम होने के कारण एक जिला तो कम से कम सुरक्षित हो जायगा। एक जिले की तरफ से पाकिस्तान की हर तरह की गति विधियां समाप्त हो जावेंगी, रुक जावेंगी, यह प्रश्न सीमा सुरक्षा का है।

अब मैं दूसरे प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में जनसंघ के अधिवेशन के अवसर पर मैं कालिकट की तरफ गया था। वहां मद्रास में जाकर लोगों से बातचीत की। मद्रास में हिन्दी के नाम पर हिन्दी, अंग्रेजी और तामील इन तीनों प्रश्नों को लेकर जिस समाज को टार्गेट बनाया जा रहा है वह समाज है या तो गुजराती या मारवाडी राजस्थानी मद्रास के साहूकार पेठ एरिया में जहां राजस्थानी और गुजराती बसे हुए हैं वहां की हालत मैं बताऊं। आप यदि मद्रास शहर में चक्कर लगावें तो कोई मकान आपको टूटा हुआ नजर नहीं आवेगा। कोई कांच किसी खिड़की का या दुकान के शो-रूम तक का टूटा नजर नहीं आवेगा। पर साहूकार पेठ एरिया में, जहां राजस्थानी बसे हैं, आप जाकर देखेंगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक मकान की छतों तक पर देखेंगे तो किसी के किवाड टूटे हुए मिलेंगे, किसी के कांच बाकी नहीं है। घरों में लोग घुस गये और केवल इस कारण कि वे लोग राजस्थान से आये हैं हिन्दी क्षेत्र के लोग हैं यह कहते हुए कि यहां से चले जाओ। आज हालत यह राजस्थानियों की है मद्रास में। गोहाटी में और आसाम में राजस्थानियों की किस तरह की हालत की जा रही है यह तो बच्चा बच्चा जानता है। बंगाल में पिछले दिनों में किस तरह की हालत राजस्थानियों की हुई है यह सब भी बच्चा बच्चा जानता है। मैं राजस्थान सरकार और राजस्थान के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो राजस्थानी राजस्थान से बाहर बैठे हैं, वे कमाने के लिये वहां गये यह निश्चित है, और इन्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट में वहां जाकर, इसके बावजूद भी, उन्होंने कितना परिश्रम और योग दिया है, यह किसी से छिपा नहीं है। भारत सरकार को उनका ऋणी होना चाहिये। अऋणी होने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार को इसके लिये अफसोस जाहिर करना चाहिये कि आज उनको कोई संरक्षण नहीं दे सकती वह।

मैंने उनसे बात की। कहा कि अगर वे राजस्थान में लौटना चाहें तो राजस्थान का क्षेत्र उनके लिये खुला पड़ा है। यहां वे आवें और दुनिया भर की इन्डस्ट्री यहां लगावें और जैसे उन इलाकों को इन्डस्ट्रियलाइज्ड किया है वैसा राजस्थान को भी कर दें। पर वे इसका जवाब यों देते हैं कि आप लोग कहते ही कहते हैं। वहां हमारे लिये बहुत कठिनाइयां हैं इन्डस्ट्री लगाने में; वहां हमें किसी प्रकार की सहूलियतें नहीं मिलतीं। मैं आपके

(श्री भरोंसिंह)

द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के मार्फत भारत सरकार को कहना चाहूंगा कि भारत सरकार यह समझ कर नहीं चले कि आज राजस्थान के लोग बंगाल, आसाम या मद्रास में बैठे हैं, मैसूर में बैठे हैं हिन्दुस्तान के हर कोने में बैठे हैं, आज वहां की हालत ठीक हो सकती है। यह हालत भी ऐसे ही कर्मठ और संगठनपटु लोगों की बदौलत ही हुई है। पचास वर्ष पहले ये ही लोग जब उधर गये थे तो भूखे प्यासे लोग रोजगार के लिये भटकते थे वहां के, इन्होंने इन्डस्ट्रियां कायम करके वहां के लोगों को रोजगार दिया है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि वे वहां सुरक्षितता अनुभव करें।

आखिर अगर वे सारे के सारे लौटने लगे तो यहां उनके आवास की समस्या पैदा होगी, उनकी नौकरी और रोजगार की समस्या पैदा होगी, इन समस्याओं को रोकने के लिये राजस्थान की सरकार को भारत सरकार से मिलकर व्यवस्था करनी चाहिये जिसके आधार पर वे हर प्रकार की सुरक्षितता का वहां पर अनुभव कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भुखमरी किस प्रकार से चल रही है इसका ज़िक्र करते हुए पिछले दिनों में कुछ प्रश्न आये थे। अब मैं इस बार राजस्थान में कुछ ईसाई मिशनरीज का काम जिस स्तर पर चलता है उसका जिक्र करना चाहूंगा। जैसे जैसे अकाल पड़ता है, जैसे जैसे भुखमरी आती है हमारी राज्य सरकार भुखमरी को मिटाने के लिये या अकाल के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था करती है, लेकिन ईसाई मशनरी निश्चित रूप से उस काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगी। बाहर से डाइरेक्ट उनको पैसा मिलता है, आटा मिलता है, अनाज मिलता है, दूध मिलता है, एग्रीकल्चर के लिये रुपया मिलता है, मेड़ बन्दी के लिए रुपया मिलता है फेमिन के लिये रुपया मिलता है उन सब को लेकर वह क्रिश्चियेनिटी की फीलिंग्स किस प्रकार से लोगों के अन्दर आये उसको बराबर हाथ में लेकर पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन मिशनरीज के पीछे क्रिश्चियन बनाने का तो काम है ही लेकिन सबसे मोटा जो काम है वह यह है कि ज्योंहि क्रिश्चियेनिटी में कन्वर्ट होते हैं वे एन्टी-इन्डियन फीलिंग्स क्रियेट करने की कोशिश करते हैं। आज नागालैंड का उदाहरण हमारे सामने है। इसलिये राज्य सरकार को चाहिये कि क्रिश्चियन मिशनरीज के मार्फत आने वाला माल राज्य सरकार को मिल जाय या भारत सरकार उसको ले ले और अपने अधिकारियों से ही उसका डिस्ट्रिब्यूशन कराये। यदि उन्हीं की ही मार्फत काम होगा तो मिशनरीज को एक्सप्लॉटेशन का मौका मिल जायेगा। इसलिये इस सम्बन्ध में भी राज्य सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जयपुर में गोली काण्ड हुआ था उसके सम्बन्ध में एक इन्क्वायरी चल रही है। वह कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही है इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि उसमें सरकार की तरफ से कुछ एडवोकेट्स एपॉइन्ट किये गये हैं। किसी को 500 रुपया रोज मिलता है, किसी को 300 रुपया रोज मिलता है, किसी को 200 रुपया रोज मिलता है, और किसी को 1100 रुपये रोज के भी मिल रहे हैं। सरकार ने सोच-समझकर उनको पैसा दिया

(श्री भैरोंसिंह)

है, सोच समझकर वकील नियुक्त किये हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह झगड़ा किस के बीच में है जिसमें राज्य सरकार ने इन एडवोकेट्स को नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने जो कमीशन नियुक्त किया वह तो फैक्ट्स फाइन्डिग कमीशन है। उसमें वादी और प्रतिवादी का सवाल नहीं है। लेकिन सरकार ने वादी बन कर अपने लिये 1100 रुपया रोज वाले एडवोकेट्स नियुक्त किये हैं। अब सरकार के मुकाबले कौन आये ? जनता। जिसके पास पैसा नहीं है, जो पैसा खर्च नहीं कर सकती, कागज के लिये जिसके पास खर्चा नहीं है तो यदि राज्य सरकार यह समझकर चले कि जनता अलग है, और सरकार अलग है, और यह जनता और सरकार के बीच में संघर्ष है तो सरकार को जनता के पैसे खर्च करने का सवाल नहीं है। राज्य सरकार को चाहिये कि जो एडवोकेट्स उन्होंने नियुक्त कर रखे हैं उसी श्रेणी के एडवोकेट्स जनता को भी दे और जनता को भी वह सुविधायें प्रदान करे जिसके आधार पर सारी चीजों का पता लगाया जा सके कि वास्तविकता क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों में यह सब कुछ चीजें चलीं, लेकिन राज्य सरकार ने जनता की बहबूदी के लिये कुछ किया हो, ऐसा नहीं लगता। अकाल के सम्बन्ध में हमने पिछली बार कुछ प्रश्न प्रस्तुत किये थे। नसीराबाद के मसले को लेकर इस सदन में काफी चर्चायें हुईं। अध्यक्ष महोदय ने वह सारा काम अपने जिम्मे लिया। मैं आज तक बात पूछना चाहता हूं और जानकारी करना चाहता हूं। मुख्य मन्त्री जी ने पिछली बार भी कहा था और कई बार कहा भी है कि हम सरकारी सर्विसेज का पार्टी के काम के लिये दुरुपयोग नहीं करेंगे। पिछली बार भी प्रमाण सहित यह सिद्ध किया था कि नसीराबाद के मामले में चुनाव को सामने रखकर किस प्रकार से सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग और सहयोग हमारी राज्य सरकार ने किया। आज उसी तरह का उदाहरण केवल इसलिये रखना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारीगण में जो डिमोरे-लाइजेशन क्रियेट हो रहा है कि या तो हम कांग्रेस का साथ दें नहीं तो हम शिकार हो जायेंगे, प्रमोशन नहीं मिलेगा, निलम्बित हो जायेंगे, स्थानान्तरण हो जायेगा। इसी आधार पर मैं कहता हूं कि पिछले दिनों मुख्य मन्त्री जी ने इसी सदन में कहा था कि 55 को क्रास करने वाले और 58 तक जाने वाले जो आई. ए. एस. ऑफिसर्स हैं वह सेन्ट्रल सर्विसेज में हैं और उसके नाते हम उनके लिये कोई डिसीजन नहीं ले सकते, और उन्होंने इसी सदन में यह आश्वासन दिया था कि इस मसले पर मैं भारत सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत करूंगा और चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेन्स में भी इसका उल्लेख करूंगा। क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि कोई मामला इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की तरफ से मूव किया गया कि 55 वर्ष से ऊपर वाले आई. ए. एस. ऑफिसर्स का क्या होगा ? जब आपने आर. ए. एस. और ऐसी ही दूसरी सर्विसेज के ऊपर 55 वर्ष वाली पाबन्दी लगा रखी है तो आई. ए. एस. के ऊपर भी पाबन्दी लागू होनी चाहिये इस सम्बन्ध में आपने क्या किया ? मैंने दो तीन चीफ मिनिस्टर्स को इस सम्बन्ध में लिखा भी है और उनसे पूछा कि क्या उनकी कॉन्फ्रेन्स में आई. ए. एस. आफिसर्स को भी 55 वर्ष पर रिटायर करने वाला मसला आया तो उन्होंने कहा है कि

Page No. 72

(श्री भैरोंसिंह)

कान्फ्रेन्स में कोई इस प्रकार का मसला पैदा नहीं किया गया। मैं समझता था कि जैसा सुखाड़िया जी ने हाउस में कहा वह चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेन्स में इस सवाल को उठायेंगे। मैंने दो से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई चर्चा नहीं हुई तो मैं मुख्य मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह बतायें कि उसमें क्या प्रोग्रेस है ? इसमें प्रोग्रेस आप जान बूझ कर नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप कुछ लोगों के रिटायरमेन्ट के पक्ष में नहीं हैं,और, उपाध्यक्ष महोदय, यह करना क्यों नहीं चाहते इस सम्बन्ध में मैं एक जानकारी ईस सदन को देना चाहूंगा। मैंने जैसा कहा कि कुछ लोग गवर्नमेन्ट की साया में रहकर राजनैतिक पार्टी में काम करके और चन्दा इकट्ठा करके अपने आपको बनाये रखना चाहते हैं और वह इन कामों में बिलकुल भी संकोच नहीं करते। पिछले दिनों अल्प बचत अभियान में सरकारी अधिकारियों ने किस प्रकार से जबरदस्ती की इसकी बातें अभी थोड़े दिन पहले सदन के सामने आई और सरकार ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, सरकारी ऑफिसर्स चन्दा इकट्ठा करते हैं। सरकार ने उसके लिये नहीं माना और कांग्रेस अधिवेशन के नाम पर मैंने एक कम्पलेन्ट की थी कि ट्रान्सपोर्ट के ऑफिसर्स कांग्रेस की कापियां लेकर चन्दा इकट्ठा कर रहे हैं और राज्य सरकार ने उसके लिये इन्कार किया। मैं उसके जवाब में एक प्रमाण प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक लेटर लिखा गया है उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं:—

"Letter No. SMR/13799 dated the 5th February, 1966 from M/s Man Industrial Corporation to the Rajasthan Pradesh Congress Committee, Chandpole Bazar, Jaipur.

Dear Sirs,

We are enclosing herewith a cheque No. BJ/62 0174978 dated 4-2-66 in favour of Rajasthan Pradesh Congress Committee, Jaipur, for Rs. 1,000 on account of cost of two ticket Nos. 321 and 322 of Rs. 500 each of 17th Congress session.

Kindly acknowledge and receipt of the same.

Thanking you,

c.c. to Shri Shivaprakasam, Addl. Chief Engineer, R. P. S. and J. S. Dam, Chambal Project, Kota, for information."

अब इससे तो सदन समझा होगा कि कुछ भी नहीं है यह तो ऑर्डिनेरी रुटीन में लिखा हुआ है। किसी भी कॉर्पोरेशन को ? पैसा दिया हो इसमें तो मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन इसमें लिखा क्या है कापी फारवर्डेड टु श्री शिवप्रकाशम, एडीशनल चीफ इन्जीनियर आर. पी. एस. एण्ड जे. एस. चम्बल प्रोजेक्ट कोटा फार इन्फार्मेशन। अब यह इन्फार्मेशन भी चली गई तो कोई आपत्ति नहीं लेकिन वह श्रीमान जी लिखते हैं नोट करके "Crompton,also have remitted Rs. 1000". फिर नीचे लिखते हैं शिवप्रकाशन। इसके नीचे कहते हैं "सीन फाइल, Sd./A.K. Char." इसका अन्दाज लगाइये कि आप नोट करते हैं। अधिवेशन के लिये किस प्रकार से सरकारी अधिकारियों के मार्फत टिकट बेचे गये हैं। सरकारी अधिकारियों के

(श्री भैरोंसिंह)

दस्तखत हैं। सरकारी अधिकारी एन्डोर्स करें। उसके पश्चात् लैटर फारवर्ड करें व उसके ऊपर लिखें और उसी नोट को भेज दें। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इनकी सारी लिस्ट मालूम की है कि किस-किस के मार्फत किस किस का चैक आया है। आज यहां पर ड्राफ्ट नम्बर, चैक नम्बर, रसीद नम्बर ये सारे के सारे मेरे पास हैं। मैं इस सदन की जानकारी के लिये पढ़कर सुनाऊंगा तो काफी समय लगेगा, मोटे तौर पर बता देता हूं। हिन्द कन्स्ट्रक्शन कम्पनी इनसे लिया गया है एक हजार रुपया। इन्हीं के मारफत, सीमेन्ट कम्पनी ऑफ बाम्बे, उससे आपने रुपया लिया है। व इन्हीं की मारफत, क्राम्प्टन इन्जीनियरिंग से एक हजार रुपया लिया है। इन्हीं के मारफत मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जो कि बदनाम हो रही है जो कि गवर्नमेन्ट के खिलाफ 72 लाख का मामला खडा कर चुकी है उससे आपने लिया है 5000 रु. यह सब हैं। हिन्द कन्स्ट्रक्शन से लिया गया है। सब के ड्राफ्ट नम्बर वगैरह सब कुछ मेरे पास हैं। गवर्नमेन्ट को एन्क्वायरी करने की जरूरत नहीं है। ओरीजनल कागजात मेरे पास हैं। उनकी फोटो स्टेट कापीज मेरे पास हैं रजिस्टर के नम्बर चाहिये तो मेरे पास हैं। उनकी कापीज मेरे पास हैं। उनके पी. ए. का हैंडराइटिंग मेरे पास है। उसका फुल प्रूफ केस मेरे पास है। राजस्थान सरकार के लिये यह मान कर चलना चाहिये कि राज्य सरकार अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिये राजस्थान की सेवाओं से काम लेती है। उनसे पैसा इकट्ठा करवाती है और अधिवेशन करवाती है। धन जनता से इकट्ठा करके उसका बोझ गरीबों पर डालना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो भी पत्र चाहेंगे मैं सदन की मेज पर रखने को तैयार रहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, राजस्थान में गत वर्ष अकाल था और अकाल के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अकाल को लेकर मोठ की निकासी बन्द करदी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (मुख्य मंत्री जी के बाहर जाने पर) अलीबाबा कहां गया ?

श्री जयनारायण सालोदिया : अपने 40 को छोड़कर।

श्री भैरोंसिंह : मोठ की निकासी बन्द करदी गई। यह बात सही है कि उस समय विरोध भी हुआ था कि मोठ की निकासी नहीं बन्द होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने कहा कि फोडर की परिभाषा में मोठ को लिखा है और मोठ की परिभाषा को लेकर मोठ पर पाबन्दी लगा दी। 7-11-67 को कुछ व्यापारी हमारे खाद्य मंत्रीजी से मिले और मिल कर उन्होंने खाद्य-समस्या के सम्बन्ध में और विचार करते हुए यह पूछा कि हमने सुना है कि मोठ की छूट होने वाली है तो उन्होंने इन्कार कर दिया, और मुझे इस बात से गरज नहीं है कि मोठ की निकासी उस दिन या दो दिन बाद होने वाली थी तो खाद्य मन्त्रीजी द्वारा ऐसा नहीं कहा जाना चाहिये था। घोषणा नहीं हो तब तक उसके पहले किसी को नहीं बताना चाहिये। उस संदर्भ में मुझे कोई शिकायत नहीं है। 7 तारीख को व्यापारी अपने घर पहुंचे होंगे कि दूसरे दिन पता लगा कि मोठ की निकासी खुल गई है जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज ले रहे हैं दस रुपये क्विन्टल के हिसाब से–जो

(श्री भैरोंसिंह)

निकासी का परमिट लेगा उससे 10 रुपये लिये जायेंगे। 10 रुपये के नाम पर आपको, उपाध्यक्ष महोदय, ताज्जुब होगा कि एक पार्टी है मुरारीलाल बसन्तीलाल। आज ऑर्डर जारी हुआ 10 बजे के लगभग और 12 बजे तक बैंक में उसने सवा लाख, डेढ़ लाख रुपया जमा करा दिया। दफ्तर को ओवर टाइम बिठाकर उसने परमिट जारी कराया। इससे वहम होता है कि आखिर उस व्यक्ति को पता कहां से लग गया कि आज मोठ की निकासी होने वाली है और भादरा से चलकर डेढ़ लाख रुपया लेकर जयपुर में बैंक में कैसे आगया और बैंक में जाकर उसने कैसे जमा करा दिया। बैंक में जमा करा दिया और दफ्तर को रात के 8 बजे चलाकर परमिट कैसे प्राप्त कर लिया? इन सब बातों की मैं चाहूंगा कि जांच की जाय। सरकार यदि चाहेगी तो यहां पर जो कहा गया है उसकी एन्क्वायरी करायेगी तो इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से यह क्यों हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि कुछ इन बातों का ध्यान रखे और करप्शन को रोकने की कोशिश करे। करप्शन बढ़ रहा है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं किया। यह सिद्ध करता है कि राज्य सरकार करप्शन को रोक नहीं सकती और इसलिये इस वक्त उसकी कोई व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि विधान सभा में कई बार आरोप लगाये गये और माननीय मुख्य मन्त्रीजी को जानकारी है कि दो साल पहले मैंने एक प्रश्न उठाया था उस समय इन्हीं माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि आपने जो बात कही है वह असत्य है। दुबारा प्रश्न रखा तो उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है। तीसरी बार जब प्रश्न रखा तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस बात पर राजी हुए कि इस मामले की विजिलेंस कमीशन से जांच करा ली जाय। विजिलेंस कमीशन ने राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट 1-2 महीने पहले पेश कर दी है। और उस रिपोर्ट में, उपाध्यक्ष महोदय, जो चार्जेज मैंने लगाये थे और यह कहा था कि तीस-तीस हजार की बन्दूकें सरकारी अफसरों ने 2200 और 2500 रुपये में खरीद ली हैं, विजिलेंस कमीशन ने भी एक-एक चार्ज को सही माना है और सही मानकर कहा है कि राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन में इससे कोई बुरा केस हो नहीं सकता। माननीय मुख्य मंत्रीजी को याद होगा कि उन्होंने इसी सदन में कहा था कि विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट इस सदन की मेज पर रखेंगे। विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट आपके पास पहुंच गई है, और इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जिन अधिकारियों ने बन्दूकें खरीदी थीं उनको नोटिस सर्व कर दिये हैं कि इन सारे के सारे हथियारों को सरेन्डर करें। मैं इस बात से सन्तुष्ट नहीं हूं जिन अधिकारियों ने परचेज की है और इस तरह से बन्दर बांट की है कि कहीं अपने रिश्तेदारों के नाम से सारी चीजों को लेकर हड़प लिया है उन्हें दण्ड दिया जाय। यदि दण्ड नहीं दिया जाता है तो यही समझा जायगा कि आप छोटे क्लर्कों को जिससे घास बेचने के मामले में दो रुपये का नुकसान हो गया है उसको तो बरखास्त कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के उदाहरण फौरेस्ट डिपार्टमेन्ट के मेरे पास पड़े हैं जहां कि लोगों ने 22 लाख की चीज को 52 हजार में बेच

(श्री भैरोंसिंह)

कर राजस्थान को नुकसान पहुंचाया है उन ऑफिसरों को आप बचा लेते हैं। मैं कहना चाहूंगा और सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि विजिलेंस कमीशन की उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखवाया जाय और सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य उसको पढ़े कि किस तरह से आई. ए. एस. और आई. पी. एस. ऑफिसर जिनके हाथ में राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है अपने स्वार्थ के लिए जन-धन की किस प्रकार से लूट मचाते हैं।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक बात और कहना चाहूंगा और एक बात वह इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों में इस सदन में राजस्थान स्टील फर्नीचर का मामला आ चुका है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को मालूम है कि चन्दनमलजी की फर्म को प्रोटेक्शन देने के लिए किस प्रकार से टेन्डर्स में गड़बड़ की गई थी? किस प्रकार से टेन्डर्स इन्वाइट किये गये थे और किस प्रकार से परचेजेज की गई? उसकी जांच आपने करवाई विजिलेन्स कमीशन से। विजिलेंन्स कमीशन ने लिख दिया है कि इससे राजस्थान सरकार को चार लाख का घाटा हुआ। आप रिपोर्ट को पढ़ लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि विजिलेंस कमीशन का उपयोग क्या रहा? वह जांच करके रिपोर्ट सरकार को दे और रिपोर्ट सरकार के बस्ता-ए-खामोशी में दबकर रह जाय। इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। विजिलेंस कमीशन का मकसद तभी ही पूरा होगा जब कि उसकी रिपोर्ट पर सदन में बहस हों और सरकार उस पर विचार करके लोगों को दण्ड दें, आप उसको बस्ता-खामोशी में डाल दें तो उससे कुछ नहीं होने वाला है।

मैं एक बात एक्स-सोल्जर्स बोर्ड के बारे में कहना चाहूंगा। राजस्थान में एक्स-सोल्जर्स के लिए कोई काम नहीं हुआ है, यदि यह कहें कि घोषणा वगैरह में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है, जब भी आपको मौका मिला है तो आपने कहा है कि हमने एक्स-सोल्जर्स के लिए इतनी जमीन भाखरा में रिजर्व की है, इतनी जमीन राजस्थान कैनाल में रिजर्व की है, इतना सर्विस कोटा उनके लिए रिजर्व किया है, इतना एज्यूकेशन में और इतना मैडिकल में रिजर्व किया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपकी घोषणाओं का इम्प्लीमेन्टेशन होता है? इसकी आप रिपोर्ट तैयार कराइये। जो भाखरा कैनाल में रिजर्वेशन था एक्स-सोल्जर्स के लिए वह किन एक्स-सोल्जर्स के लिए रिजर्वेशन किया गया था? वह सन् 62 में चीन के साथ जो युद्ध हुआ था और दूसरा जो उसके बाद 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उनमें मारे गये, या अपंग हुए सोल्जर्स के लिए की गई थी, लेकिन आज उस जमीन पर कब्जा कौन किये हुए बैठे हैं? राजस्थान के वे अधिकारी जिनके रिश्तेदार 20 वर्ष पहले फौज में थे, राजस्थान के वे अधिकारी जिनके काका, दादा फौज में थे, वे भाखरा और राजस्थान कैनाल में रिजर्व्ड लैण्ड पर फौजियों के नाम, पर कब्जा किये बैठे हैं। आपके बड़े बड़े आई. ए. एस. और आई. पी. एस. अधिकारियों ने इस जमीन पर कब्जा कर रखा है। किनको मिलनी चाहिए थी और किन को मिली?

(श्री भैरोंसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मेजर पूरणसिंह जिनका तनोट के पास देहान्त हुआ था और शत्रु की गोली से मारे गये थे और जिन्हें महावीर चक्र दिया गया, उन मेजर पूरणसिंह के परिवार को, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, राजस्थान सरकार ने जमीन तो दे दी लेकिन राजस्थान सरकार से दो वर्ष पहले जो उनको नकद इनाम मिलना चाहिए था वह नहीं मिला । उनके परिवार वालों ने कई चिट्ठियां लिखीं । पिछले दिनों जब मैं बीकानेर गया तो उनसे मिला तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि सब कुछ मिला, जमीन मिल गई लेकिन नकद रुपया नहीं मिला तो मैंने एक चिट्ठी लिखी चीफ सेक्रेटरी साहब को तो अब वह कुछ रुपया मिला है । मैं यह सोचता हूं कि आखिर यह सरकार है या कोई तमाशा है । एक तरफ तो घोषणा करती है कि हम फौजी आदमियों के बारे में यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं लेकिन कोई फौजी अफसर मर जाय तो उसकी वेवा को कोशिश करने पर भी जमीन नहीं मिले और अगर जमीन मिल जाय तो नकद नहीं मिले । मैं आज यह कहना चाहता हूं कि एक्स-सोल्जर्स के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता । कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि जब मुझे किसी न किसी एक्स-सोल्जर्स से यह शिकायत न मिलती हो कि मुझे जमीन से बेदखल कर दिया, लोग मुझे परेशान करते हैं, मुझे जमीन नहीं मिली, मुझे नौकरी नहीं मिली । आज जयपुर शहर में और जोधपुर शहर में कुछ प्लाट्स एलॉट किये गये हैं आपने कभी इस बात की जांच की कि जिनको प्लाट दिये जा रहे हैं वह 62 की लड़ाई में शामिल थे या 1967 की लड़ाई में शामिल थे । आपने एक्स-सोल्जर्स को प्लाट दिये हैं लेकिन जो 62 की लड़ाई में अपाहिज हो गये, या जो मर गये, जो 65 में मर गये, नेफा और नागा हिल्स में मर गये–आज उनको प्राथमिकता देनी चाहिए । आप मेरे कहने से लिस्ट मंगा कर देख लें। उससे आपको पता लगेगा कि जमीन पर कब्जा उन लोगों ने किया है, जिस प्रकार से खेती की जमीन पर उन लोगों ने कब्जा किया है उसी प्रकार से इस जमीन पर कब्जा करके उन लोगों ने मकान बनाये हैं जो कि 62 की लड़ाई में अपाहिज नहीं हुए । अधिकांशतः दूसरे लोग हैं, कुछ उनमें हैं जो 62 और 65 की लड़ाई में मारे गये या जो अपाहिज हुए । इस प्रकार की स्थिति आज चल रही है । नौकरियों में भी यही सवाल इस तरह से चल रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, सोल्जर्स बोर्ड एक्स-सोल्जर्स के लिए बना है, ठीक है सोल्जर्स बोर्ड बना हुआ है लेकिन ऐसे ही सोल्जर्स बोर्ड के सेक्रेटरी ने, बीकानेर के ने, पन्द्रह हजार का एम्बेजलमेन्ट किया है । उसने एम्बेजलमेन्ट किया, उस पर केस चला और उसके बाद में उसको सस्पेन्ड किया गया । लेकिन अब नई सरकार बनते ही मुख्य मंत्री जी को खुशी हुई, तो जैसे पहले राजा महाराजा जब गद्दी नशीन होते थे तो पहली घोषणा उनकी होती थी कि कैदियों में से पन्द्रह कैदियों को छोड़ दिया जाय । उसी तरह से जब यह मुख्य मंत्री हुए तो अपने हिसाब से इन्होंने किया कि जिस आदमी ने भी एम्बेजलमेन्ट किया है और सस्पेन्शन में है उसको रीइन्सटेट कर दिया जाय । तो जो यह बीकानेर सोल्जर्स बोर्ड के सेक्रेटरी थे इनको भी रीइन्सटेट कर दिया गया। जिस आदमी ने पन्द्रह हजार का गबन किया, उस पन्द्रह हजार के गबन करने वाले,

(श्री भैरोंसिंह)

फौजियों के पैसे में से गबन करने वाले, भारत सरकार से मिली हुई ग्रान्ट-इन-ऐड से गबन करने वाले व्यक्ति को, जिसके खिलाफ केस चल रहा था, जो अन्डर सस्पेन्शन था, रिइन्स्टेट कर दिया गया। इससे आज लगता है कि आज हमारे सामने न्याय नहीं है, हमारे सामने कानून नहीं है और आज हमारे सामने किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। सरकार किसी न किसी तरह से अपने आदमियों को प्राटेक्शन देना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बनाये गये। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बना दिया गया, गंगापुर में अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बना दिया गया, फलां जगह इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बना दिया गया और जो लोग कांग्रेस के चुनाव में हार गये उनको उनका अध्यक्ष बना दिया गया। बेगूं में जो कांग्रेस के व्यक्ति चुनाव हार गये उनको बेगूं से ले जाकर चित्तौड़ में अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। कोई कहीं पर हार गया तो उसको कहीं लाकर अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। कहीं पर कोई हार गया तो उसको डेग्ररी एडवाइजरी कमेटी का चेअरमैन बना दिया गया, किसी को किसी जगह पर ओथ कमिश्नर बना दिया गया। यह बन्दर बांट इन दिनों चल रहा है। कोई यह मांग करे कि मुझे ओथ कमिश्नर बना दिया जाय, कांग्रेसी हूं तो उसको ओथ कमिश्नर बना दिया गया। कोई यह मांग करे कि मुझे अर्बन इम्प्रूवमेन्ट का चेअरमैन बना दिया जाय तो उसे अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का चेअरमैन बना दिया; कोई यह मांग करे....

श्री कुमारसिंह : मुझे मन्त्री बना दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : मुझे मन्त्री बना दिया जाय तो हमारे मुख्य मन्त्री जी इतने उदार हैं कि किसी ने भी मांग की तो किसी को ना नहीं कहा। इतने उदार हैं कि ना नहीं कहते। आप अभी किसी बात के लिए कहें, सुबह कह दें और शाम को धमकी दे दें तो दूसरे दिन आपकी नियुक्ति हो जायगी। मैं आपकी उदारता के लिये आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट और म्युनिसिपैलिटी इनको बाइफरकेट करके आप अपने लोगों को जमाना चाहते हैं–इससे काम नहीं चलेगा। आज सब जगह पर म्युनिसिपैलिटी और अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के बीच में झगड़ा चल रहा है कि किस जमीन पर कौन कब्जा करे, किस जमीन का कौन डवलपमेन्ट करे। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि आज आवश्यकता है कि म्युनिसिपैलिटी और अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो पॉवर देने का। आज जो इलेक्टेड बॉडी है उसके ऊपर आप एक नोमीनेटेड बॉडी को खड़ा कर देते हैं, जब कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में पब्लिक का कान्फीडेन्स नहीं है। दोनों में आज एक प्रकार से संघर्ष चल रहा है और उनके द्वारा पब्लिक का किसी प्रकार से कोई भला नहीं होता है बल्कि विनाश होता है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल का अभिभाषण इन मामलों में बिल्कुल शून्य है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में न तो प्रशासन की उपलब्धियों का उल्लेख है और न राज्य सरकार जो जनता के हित में काम करने वाली है, उसका उल्लेख है, न जो सरकार अच्छा काम करने

(श्री भैरोंसिंह)

वाली है उसका उल्लेख है, केवल राज्यपाल महोदय द्वारा एक फार्मेलिटी को पूरा कर दिया गया है । गवर्नर महोदय इस सदन में आये, और सदन के समक्ष बोले इसके अलावा राज्य सरकार ने जो काम नहीं किये हैं उनका उल्लेख नहीं है और जो राज्य सरकार आगे काम करने वाली है उनका उल्लेख भी नहीं है। यह एक उल्लेख–शून्य अभिभाषण है। इस प्रकार के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है। उन्होंने धन्यवाद का प्रस्ताव कैसे रख दिया–मुझे ताज्जुब है। इसको पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो चाय वाय पी आयें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने इस सदन में जो राज्य सरकार की पिछले वर्षों की उपलब्धियां बताई हैं वह तो तथ्य है जिस बारे में कोई भी इन्कार नहीं कर सकता । उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणायें भी की हैं जैसे भूतपूर्व सैनिकों के लिये सुविधायें देने की घोषणा की है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये राजस्थान कैनाल या जो दूसरे प्राजेक्ट हैं उनमें जमीन रिजर्व करने की भी घोषणा की है । इसके साथ साथ सैनिकों के लिये काश्त के लिये प्लाट देने की घोषणा की है–वह स्वागत योग्य है । इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इस बारे में राज्य सरकार से और निवेदन करूंगा कि एक्स–सोल्जर्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जमीन रिजर्व जरूर कर दी जाती है, भूमि का एलॉटमेन्ट भी हो जाता है परन्तु उनका पट्टा न होने की वजह से लैण्ड मोर्टगेज बैंक्स के जरिये या राज्य सरकार के जरिये ऋण देने का कोई प्रावधान नहीं है। भूमि बन्धक बैंक के नियम ऐसे हैं जिसके तहत ऐसे लोगों को, जिनको राज्य सरकार की तरफ से भूमि जरूर मिल जाती है किन्तु उसके विकास को करने के लिए लाखों रुपये की आवश्यकता होती है वह नहीं मिलता है इसलिये इसके साथ साथ भूमि बन्धक बैंक के नियमों में संशोधन होना चाहिये। ऐसे जमीन की राज्य सरकार का ओर से अनाउन्समेन्ट के जरिये से सुविधा प्रदान की जाय तो उस भूमि के विकास के लिये बैंक के जरिये या राज्य सरकार के जरिये ऋण की सुविधायें दें। भूमि बन्धक बैंक के नियमों के अनुसार पर्चा लगान और पिछले चार साल की गिरदावरी के अनुसार लोन मिलता है । इसलिये भूमि का विकास करने के लिये वैसे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये भूमि रिजर्व करने की जो बात है वह रिजर्व जरूर की जाती है परन्तु रिजर्व करने के बाद अमूमन देखा गया है कि बहुत से लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं, नाजायज कब्जा होता है रिजर्व की हुई भूमि पर, इसलिये राज्य सरकार को चाहिये कि ऐसी रिजर्व की हुई भूमि पर कोई अतिक्रमण न करे, नाजायज कब्जा न करे। क्योंकि कब्जा देने के समय राज्य सरकार को और उसके आफिसरों को काफी मुश्किलें आती हैं । इसलिये भूमि के रिजर्वेशन के साथ साथ राज्य सरकार को भूमि के प्रोटेक्शन के लिये भी प्रतिबन्ध

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लगाने की आवश्यकता है। भूमिहीन किसानों को वह मिल सके इसके लिये कोई व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

इसके साथ साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने योजनाओं के जरिये जो राजस्थान में विकास किया है वह विकास तो सबके सामने उपस्थित है और इससे इस अविकसित राजस्थान में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। यह तो हम को मान कर चलना पड़ेगा और इसके बारे में जो कुछ भी उपलब्धियां राज्यपाल महोदय ने बताई हैं उसको हमको प्रत्यक्ष में हर एक माननीय सदस्य को मानने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये क्योंकि जो शिक्षा के क्षेत्र में, प्लाट्स देने के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में और हाई ब्रीड बाजरे के सम्बन्ध में उपलब्धियां हैं और फर्टीलाइजर की इन सालों में बढ़ोतरी हुई है, पहले सिंचाई क्षेत्र बहुत कम था, अब वह सालों साल बढ़ रहा है और हाई ब्रीड वेराइटी का पिछले सालों में काफी रकबा बढ़ रहा है इन चीजों की वजह से खेती का एकरेज बढ़ा है इसको मानना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो राजस्थान में रिसोर्सेज हैं उनको और ज्यादा एक्स्प्लॉइट करने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान में हमारे यहां दो तरह के क्षेत्र हैं, एक ऐसा क्षेत्र है जो क्षेत्र सिंचित नहीं है और उसको सिंचित करने के लिये राज्य सरकार के द्वारा कई सालों के प्रयत्न के बाद भी वहां पानी पहुंचाया नहीं जा सका, इसलिये राज्य सरकार को राजस्थान को कई हिस्सों में बांटना पड़ेगा। मुख्यतया दो हिस्सों में बांटने की आवश्यकता है एक तो ऐसा क्षेत्र जो सिंचित क्षेत्र है जहां प्रोजैक्ट या सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। दूसरा ऐसा क्षेत्र, जो पिछड़ा क्षेत्र है और जिसमें सिंचाई के लिये राज्य सरकार आर्थिक कठिनाई के कारण निकट भविष्य में इन्तजाम नहीं कर सकती। ऐसे क्षेत्र की ज्यादा उपेक्षा की गई है और आयन्दा आने वाले समय में फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को राजस्थान के ऐसे इलाकों को ध्यान में रखना चाहिये और बजट का एलॉटमेन्ट भी ऐसे इलाकों के विकास के लिये करना चाहिये। इसलिये दो तरह के जोन मुकर्रर करना विकास करने के लिये आवश्यक है ताकि ऐसे क्षेत्र जो अविकसित क्षेत्र हैं, जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हो सके, जिसके बारे में लोगों की शिकायत है कि उनका भी राजस्थान के दूसरे लोगों के साथ साथ विकास हो ताकि वह लोग पिछड़े नहीं रह सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आपको भली प्रकार मालूम है कि ऐसे क्षेत्र में राजस्थान के भूमिगत जल बोर्ड द्वारा, जहां भूमि में अच्छा पानी मिल सकता है, उसके लिए काफी प्रयत्न किया गया है, और राज्य सरकार द्वारा भी पिछले वर्षों में काफी प्रयत्न किया गया है और नल कूप तैयार किये हैं, बोरिंग के जरिये एक्सपेरीमेन्टल बोरिंग के जरिये पानी के सोर्सेज भी मिले हैं, बहुत से पानी के सोर्सेज मिले हैं, मुख्यतया बागोड़े के जरिये जालौर जिले में एक्सपेरीमेन्ट के बेसिस पर सरकार ने टार्गेट तैयार किया था उसके अन्तर्गत उन जिलों में पानी उपलब्ध हुआ है। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि वहां पानी तो जरूर उपलब्ध हुआ है और हजारों गैलन पानी डिस्चार्ज भी होता है। लेकिन उस इलाके में जहां मोटे मोटे धोरे हैं, जिन के नीचे पानी के

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
सोर्स हैं, उनको काम में लाने के लिए राज्य सरकार को जल्दी से जल्दी प्रयत्न करना चाहिये। और, ऐसे पानी के सोर्सेज जितने भी उपलब्ध हैं, जिसके जरिये से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस बारे में भूमिगत जल बोर्ड और राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। हजारों रुपये खर्च करने के बाद पानी भी उपलब्ध हुआ परन्तु यह देखा गया है कि खोद कर छोड़ देते हैं जिनका कई वर्षों के बाद पानी खराब हो जाता है। काम में नहीं आता है। उदाहरण के तौर पर एक जगह बोरिंग करके पानी मीठा और अच्छा निकला वहां वाटर वर्क्स और अलग अलग स्कीम के तहत, परन्तु पम्पिंग सैट नहीं लगाने की वजह से न तो पीने के काम में आता है और न सिंचाई के काम में आता है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार इतनी कठिनाई में होते हुए यह जो काम करती है उसको पूरी तरह से काम में लाने के लिए प्रयत्न करें। जो उसमें सोर्सेज हैं, और स्कीम को बाद में इम्प्लीमेन्ट करने में जो राज्य सरकार की ढिलाई है उनकी, उस बारे में आपके जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा क्योंकि ऐसे क्षेत्र जो हों जिनमें राज्य सरकार ने अलग अलग स्कीम के तहत जो सोर्सेज निकले हैं, उनको अगर काम में नहीं लिया गया तो वहां के लोग पहले से पिछड़े हुए थे। वहां पर जो पानी की समस्या है और वहां पर जो सिंचाई की समस्या है वे सब समस्याएं आगे निकट भविष्य में मुझे सुलझती हुई दिखाई नहीं देतीं। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिला है, जैसलमेर और बाड़मेर जिले का कुछ हिस्सा है जो डैजर्ट या सेमी डैजर्ट है और बाकी का एरिया डैजर्ट एरिया है। वहां से लोगों के दस-दस मील से ऊंटों पर पखाल पर पीने का पानी लाना पड़ता है। साल में पांच चार महीनों नाडों में पानी उपलब्ध नहीं होता है और लोगों का पूरा घर पानी लाने के लिए बेरे पर लगा रहता है। यह एक तथ्य है जो राज्य सरकार को भली भांति मालूम है। और कोई चीज छिपी हुई नहीं है। राजस्थान में जन स्वास्थ्य के अन्दर जो वाटर वर्क्स स्कीम है, जिनके जरिये ऐसे क्षेत्रों में काम हो रहा है। जब बजट अधिवेशन था, उसके अन्दर भी मैंने इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और अब भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसे एरिया में राजस्थान का एक बटा तीन एरिया ऐसा है, जैसे चूरू जिला है, बीकानेर का जिला है, जहां लोगों के सामने पानी की विषम समस्या है, उसको हल करने के लिये जितना पैसा रूरल वाटर वर्क्स में है वह कम है। नेग्लीजेबल है। और जो है तो रूरल वाटर वर्क्स के तहत मिलता है कुछ पैसा। तो स्कीम में हम यह देखें कि ओवरहाल लोगों की क्या आशा है। दस-दस मील के एरिया में जो गांव हैं और जिनकी जन संख्या 10 हजार या पन्द्रह हजार या पांच हजार की जनसंख्या है, इसके लिए राज्य सरकार पैसा व्यय करके लाखों रुपयों के बजाय थोड़े से पैसों में पीने के पानी की समस्या हल करने की कोशिश करें तो राजस्थान के जो ऐसे इलाके हैं जिनके अन्दर विषम समस्या पीने के पानी की है उसको दूर किया जा सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह योजना मन्त्री भी हैं। उनको राजस्थान के इलाके का ज्ञान है। इसलिये मैं आप के जरिये उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हूं। इसलिये जो पुरानी स्कीम है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उसमें आप परिवर्तन करें और ऐसे लोगों की समस्या को मिटाने के लिये कम पैसों में हौज बनाकर टूंटियां लगाकर गांवों में जो बहुत भारी वैल, खोद कर दस हजार रुपया लगायें तो भी पानी निकालने की गांव वालों की सामर्थ्य नहीं है, राज्य सरकार की जो प्रजेन्ट स्कीम है, उससे कम एरिया लेकर लाखों रुपयों के बजाय स्पिलिट अप करके ऐसी स्कीम लगायें। ताकि लोगों को कम से कम यह मालूम हो सके कि इस स्वतन्त्र राज्य में पीने के लिए मीठा पानी उपलब्ध हो सकता है। तो इस बारे में राज्य सरकार को तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की ओर से हमारे यहां भेड़ ऊन महकमे की ओर से राज्य सरकार ने एक बहुत भारी इन्टीग्रेटेड स्कीम बनाई है। राजस्थान के मुख्य मन्त्री और भू. पू. कृषि मन्त्री आस्ट्रेलिया गये, अमेरिका गये। अपने यहां एक नई स्कीम लाये। इसके तहत और लोगों को ट्रेनिंग देकर यहां स्कीम लागू की। परन्तु दुर्भाग्य से हमको यह देखने को मिलता है कि पहले यह स्कीम जिस जोरों से चली, सब जगह मुख्य मन्त्री जी ने जाकर भाषण दिया और भू. पू. कृषि मन्त्री ने भी बड़े जोरों से भाषण दिया तो भेड़ पालकों को बहुत उत्साह मिला परन्तु थोड़े अरसे के बाद कुछ घाटा भुगतने के बाद इस स्कीम को चेन्ज कर दिया गया और पिछले वर्ष से लोगों को मालूम पड़ा है कि यह स्कीम बन्द की जा रही है। माननीय कृषि मन्त्री जी ने कुछ उत्साह जरूर दिलाया। परन्तु मैं आपके जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भेड़ पालक राजस्थान में बहुत ज्यादा हैं। वैसे दूसरे प्रान्तों में भी हैं। राजस्थान के अन्दर जो चोखला भेड़ है उसकी ऊन अमेरिका की तरह अच्छी बनाई जा सकती है क्रास ब्रीड के जरिये। यह बहुत से लोगों से सम्बन्ध रखने वाली स्कीम है। इस स्कीम के अन्दर शुरू शुरू में घाटा हुआ। यह जरूरी था क्योंकि फॉरिन एक्सपर्टस् ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि यह यदि डिपार्टमेन्ट के जरिये से चलाई जाएगी तो ज्यादा घाटा होगा और यदि प्राइवेट तौर पर चलाई जायेगी तो कम घाटा होगा। तो घाटे को भुगतने के लिए राजस्थान सरकार को तैयार रहना चाहिये क्योंकि अल्टीमेटली यह भेड़-पालक जो अनपढ़ लोग हैं, भेड़ों के पीछे दौड़ते हैं और मिडिल मैन उनकी ऊन का फायदा उठाता है। इसलिए राज्य सरकार के द्वारा तुरन्त इसमें ओवरआल चैन्जेज किये जा सकते हैं। इस स्कीम को फ्रेश बनाने की आवश्यकता है और जल्दी से जल्दी तुरन्त कुछ करना चाहिये। क्योंकि इस स्कीम को बन्द कर दिया गया तो हजारों मिडिल मैनों को जो ताक लगाये बैठे हैं, उनको फायदा मिलने लगेगा और भेड़ पालक ऐसे के ऐसे रह जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का आप के जरिये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस स्कीम को शीघ्र लागू किया जाये और जो बड़े बड़े सेन्टर जो अभी हवा खा रहे हैं उनको वापिस काम में लिया जाये। इसके अलावा जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम थी, उसमें लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। परन्तु इसके बावजूद राज्य सरकार ने यह फैसला किया था कि हम गाय का ही दूध काम में लायेंगे। क्योंकि जो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

भावना थी कि गाय के दूध को काम में लायें, इसलिये लाखों रुपयों का नुकसान होने के बाद भी चालू रखा, आप की मार्फत मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस स्कीम को कोलम्बो प्लान के तहत जो मशीनरी मिली थी उसको पूरा उपयोग में लाया जाये। बहुत कम काम में आयी है। इसलिये इस स्कीम में जो भावना थी उसके अनुसार इसको तुरन्त लागू किया जाये और उसमें ओवरहाल चेन्ज करके उसको इम्प्लीमेन्ट किया जाये ताकि स्कीम के पीछे जो भावना थी उसका लाभ लोगों को मिल सके। इस स्कीम से राज्य सरकार को लाभ मिलने की आशा है तो इस स्कीम को अगर नहीं किया गया तो भेड और ऊन का कामकाज था, उसकी इन्टीग्रेटेड स्कीम थी, उसको चेन्ज करने की क्या आवश्यकता थी? इसको समझने में मैं असमर्थ हूं। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मेरी राज्य सरकार से विनय है कि इस स्कीम को भेड़ पालकों के फायदे के लिये राज्य सरकार शीघ्र लागू करे। इसके अलावा रूरल क्षेत्र में हमको आशा थी कि हायर एजूकेशन के अन्दर सेकेन्डरी एजूकेशन और एग्रीकल्चर के अध्ययन के लिये पांच समितियों की जो घोषणा की है, हमें आशा थी कि 50 के आस पास हायर सेकेन्डरी के होस्टल बनाने की और रूरल क्षेत्रों में एग्रीकल्चर और साइन्स के विषय को पढ़ाने, मकानों की समस्या और लड़कों की समस्या हल करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार कुछ पैसा देगी। उसके सम्बन्ध में अनाउन्समेन्ट होगा यह आशा थी। परन्तु इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है इसलिये, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं शिक्षा मन्त्रीजी से इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा, हालांकि नये आये हैं, नौजवान हैं, उनमें जोश है, उन्होंने काफी भाषण गांवों में सुधार के लिये दिये हैं तो जिस प्रकार भाषण दिये हैं, जिस प्रकार सुधार करना चाहते हैं उसी प्रकार सुधार करें। जो लड़कों में अनुशासनहीनता है, बेकारी आदि की समस्या है, उसको दूर करने के लिये इस स्कीम को लागू करने की आवश्यकता है, ताकि यहां के शिक्षित नागरिक देश के दूसरे क्षेत्रों से पीछे नहीं रहें।

ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर उत्पादन बढ़ाने की बात है उसके सम्बन्ध में वहां के लोगों को ट्रेनिंग देने की कुछ स्कीम्स हाथ में लेनी चाहिये ताकि वहां के लड़के बेकार नहीं हों, उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम कर सकें। इस बारे में राजस्थान सरकार को सोचने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसके अलावा हमारे रूरल क्षेत्र के अन्दर आज जो जन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की समस्या है उस पर भी राज्यपाल महोदय को ध्यान देना आवश्यक है। रूरल क्षेत्र में देखा गया है कि डाक्टर्स, कम्पाउन्डर्स नहीं पहुंचते हैं, डिस्पेन्सरीज खाली पड़ी रहती हैं। हालांकि डाक्टरों की कमी है फिर भी ऐसे क्षेत्रों में डाक्टर्स भेजना आवश्यक है, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स में स्टाफ भेजना आवश्यक है, अब तो यह और भी आवश्यक हो गया है क्योंकि रूरल क्षेत्रों में फेमिली प्लानिंग की योजना सरकार ने शुरू की है, ऐसी दशा में यदि वहां डाक्टरों-कम्पाउन्डरों आदि का अच्छी तरह से प्रबन्ध नहीं किया गया तो यह हमारी सारी योजना ही बेकार हो जायगी और यह हमारे यहां पूर्ण रूप से सफल नहीं होगी, रूरल इतने बड़े रूरल क्षेत्र में इस ओर ध्यान देने से ही यह

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

योजना सफल हो सकती है इसलिये इस बारे में भी राज्य सरकार को विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कोआॅपरेटिव सेक्टर के सम्बन्ध में गवर्नर महोदय ने एक बात जरूर कही कि 35 पर्सेंट जनसंख्या कोआॅपरेटिव सेक्टर में आ गई है, कोआॅपरेटिव सेक्टर में 66 पर्सेन्ट गांव आ चुके हैं। लेकिन जहां तक उनकी ट्रेनिंग का सवाल है, वायेबल यूनिट्स बनाने के लिये जहां सोसायटीज के विलीनीकरण की बात कही तो अगर गवर्नर महोदय इन्टेग्रेशन प्रोग्राम को सफल बनाने के लिये ट्रेनिंग सेन्टर्स खोलने की घोषणा करते और जो अशिक्षित सदस्य हैं, उनको रेगुलेशन आदि का ज्ञान दिलाने के बारे में संकेत करते तो अच्छा रहता।

ट्रेनिंग का पिछले साल प्रोग्राम था पर वित्त मंत्रीजी ने कटौती की, यह एक सामाजिक आन्दोलन है, समाज की व्यवस्था को सुदृढ़ और सुन्दर बनाने के लिये यह एक बड़ा जरूरी आन्दोलन है। इसके लिये केन्द्रीय सरकार से राजस्थान सरकार को ट्रेनिंग के लिये पैसा मिलता है तो ट्रेनिंग के लिये ज्यादा बजट प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, ट्रेनिंग सेन्टर्स खोलने की आवश्यकता है। यदि इनको ट्रेनिंग देने का कार्य अच्छी तरह नहीं कर पाये तो राज्य सरकार की जो मंशा है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी, केवल विलीनीकरण के नारों से विलीनीकरण होने वाला नहीं है। अभी तक सरकार ने सिर्फ क्वान्टिटी की तरफ ध्यान दिया है, कोओपरेटिव सेक्टर की क्वालिटी को नहीं बढ़ाया है इसी लिये बहुत सी सोसायटीज फेल हुई हैं, लिक्विडेशन में चली गई हैं। इस हालत में राज्य सरकार को ट्रेनिंग के प्रोग्राम को बहुत तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी विलीनीकरण की योजना सफल होगी और हम अपना टॉरगेट अचीव करने में कामयाब हो सकेंगे। यह समस्या ऐसी है, पैसों का मामला है, कुछ तत्व सोसायटीज में ऐसे आ जाते हैं जो सोसायटीज को फेल करने की कोशिश करते हैं। साधारण सदस्यों को पूरी जानकारी नहीं होने से सोसायटीज फेल हो जाती हैं और इसका असर दूसरी सोसायटीज पर भी पड़ता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को ट्रेनिंग के प्रोग्राम को हाथ में लेना चाहिये।

मार्केटिंग प्रोग्राम है उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की कृषि उपज जब किसान बाजार में लाते हैं तो वह बहुत कम भावों में बिकती है, दूसरी चीजों की महंगाई को देखते हुए जब उनको उनकी उपज की कम कीमत मिलती है तो इससे किसानों की आर्थिक दशा पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। राजस्थान में अच्छी क्रॉप्स की आशाएं हैं, हमारे यहां अच्छी क्रॉप्स होंगी पर राज्य सरकार को यह देखना है कि दो तीन साल के दुर्भिक्षों के बाद यह फसल किसानों के हाथ में आई है, काश्तकारों को पिछले दो तीन सालों में पशुधन का बड़ा नुकसान हुआ है, उनको बहुत सी तकलीफें उठानी पड़ी हैं, उस नुकसान और उन तकलीफों के बाद यह फसल किसानों के हाथ में आई है इसलिये राज्य सरकार को यह देखना है कि काश्तकारों को उनकी प्रोड्यूस के अच्छे दाम मिलें। खास तौर से जहां आवागमन के साधन नहीं हैं वहां सरकार

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

को इस ओर ध्यान देने की खास आवश्यकता है। सांचोर में 50 से नीचे बाजरे के भाव गिर गये हैं, महाजन लेने को तैयार नहीं हैं, फूड कोर्पोरेशन भी अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं कर पाई है। हमारे सांचोर से दो साल पहले हाइयेस्ट क्वान्टिटी में बाजरा आया था इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां खरीफ अच्छी थी, रबी की फसल भी अच्छी आने वाली है, इसलिये सरकार इस बात का प्रयत्न करे कि काश्तकारों को उनकी प्रोड्यूस के दाम अच्छे मिलें। उनकी आर्थिक हालत गिरी हुई है। यह भी इन्ट्रेस्ट राज्य सरकार को देखना है कि सीरियल्स के उगाने की बात है, उसे काश्तकार, यदि सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो बन्द कर देंगे। आज हमारे डौसी गुजरात में बाजरे के भाव 80 रुपया क्विन्टल हैं और दूसरी चीजों के भाव भी वहां बड़े मंहगे हैं। इसलिये राज्य सरकार को इस प्रकार का इन्तजाम करना चाहिये कि बाजरे के भाव कम से कम 50 से नीचे तो किसी तरह नहीं आने देवें। राज्य सरकार को वहां अनाज की खरीद करने का इन्तजाम करना चाहिये।

तो, माननीय उपाध्यक्षजी, राज्यपाल महोदय ने इन कमियों के बावजूद जो दूसरी बातें बताई हैं वे उत्साहवर्द्धक हैं ये कमियां राज्यपाल महोदय ने स्वयं ने बताई इसलिये इस साल का अभिभाषण और भी बहुत स्वागत योग्य है। कुल भाषण को पढ़ते हैं तो यह जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिये राज्य सरकार को और हमें सबको मिल कर प्रयास करना चाहिये। इसके अलावा दूसरी और बातें हैं वे स्वागत योग्य हैं।

अतः हमें राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह

3 बजे चर्चा समाप्त हो जायगी उसके बाद सरकार की ओर से उत्तर होगा।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पिछले दिनों से चल रही बहस के साथ मैं भी इसमें शरीक हुआ हूं। मैंने एक संशोधन प्रस्ताव रखा है। मेरे संशोधन को मैं इन्हीं शब्दों के साथ मूव करता हूं।

"राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये और इस राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुधारने के बारे में कुछ भी संकेत नहीं किया है।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस राजस्थान की वीर भूमि पर रहने वाले नागरिकों की कितनी सुरक्षा इस राजस्थान सरकार ने की है, कितनी योजनाएं इसने बनाई हैं और कितनी पूरी की हैं इस पर प्रकाश डाला है। मैं उन सब पर नहीं जाते हुए सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि एक ओर राजस्थान सरकार कह रही है कि हमारे इस प्रान्त की खाद्य समस्या को हल करने के लिये वह अनेक उपाय कर रही है। भारत सरकार से सहायता ले रही है और अनेकानेक उपायों के द्वारा इस समस्या को हल करने में समर्थ है। लेकिन दूसरी ओर जिस इलाके से मैं आया हूं वहां नाडियों और तालाबों की जमीन है, जिसे आवी जमीन कहते हैं आवी जमीन को, नदी के पाट की जमीन को सरकार द्वारा हर साल

(श्री विजयसिंह रावत)

किसानों को जोतने के लिये दिया जाता था लेकिन इस बार सरकार ने काश्तकारों के लिये और वह भी छोटे छोटे काश्तकारों के लिये इतने कानून बना दिये हैं कि जिनको न किसान समझ सकता है न खेती हर मजदूर समझ सकता है। इस जटिल समस्या को देखते हुए हाइयेस्ट रेंक के जो राज्य सरकार के ऑफिसर्स हैं, जो कलेक्टर के रेंक के हैं उनसे इस सम्बन्ध में बात हुई तो उन्होंने कहा कि जितने कानून बने हैं और जितने बनने वाले हैं, हमें भी याद नहीं है कि कौनसे कानून को कहां लागू किया जाय। छोटे छोटे तालाबों से लोगों ने खेती बोदी है उसके बाद धान काटने आ गए। फिर नोटिसेज धारा 91 के अंदर सर्व किए जा रहे हैं कि आपने भूमि आवंटन नहीं करवाई। आवंटन की रीति देखो, राज्य सरकार के गंदे कानून और कानून को पाबंदी कराने वाली यह नौकरशाही बैठे रहती है, धान बोया जाता है उसके बाद कानून का इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं। किसान तंग आकर या रिश्वत देता है या अपने अनाज को नीलाम करता है। अरजी जोत की जमीन को हर साल सरकार ने आवंटन करने का प्रावधान रखा है। हर साल काश्तकार अगर उस जमीन को सुधारे और फसल बोए और हर साल आवंटन कराए और उस समय किसको वह जमीन मिले इस हेर फेर के अंदर जमीन में अनाज नहीं बोया जा सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि ऐसी जमीन को कम से कम 10 साल के लिए जेर-खातेदारी दें जिससे किसान दिल लगाकर काम करे लेकिन हमारे यहां तहसील की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से एलॉटमेंन्ट नहीं हुआ।

अभिभाषण के अंदर उल्लेख किया गया है कि हम अधिक से अधिक बेकारी दूर करने के लिए उपाय सोच रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ मुद्दे पेश करना चाहता हूं। बलिहारी है सरकार की कि जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के आश्वासन सरकार ने दिए हैं और विधान सभा में भी दिए हैं इसमें दो राय नहीं लेकिन दूसरी और भ्रष्टाचार इतना व्याप्त हो गया है कि आज कहूं कि हमारे हिन्दुस्तान के अंदर पर्सेन्टेज लगाई जाय तो हिन्दुस्तान के हर आदमी के खून के अंदर भ्रष्टाचार है। इसका कलंक जो दल 20 वर्ष से शासन कर रहा है और ट्रेजरी बैन्चेज पर बैठते हैं और नेता कहलाते हैं, उनके ऊपर लगना चाहिए। गारंटी सिस्टम के अंदर हमारे सर्वोदय नेता मेहता साहब झंडा लेकर कहते हैं कि शराब बंदी होनी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ आप गारंटी सिस्टम चला रहे हैं। उसके अंदर मैं आपको कुछ मुद्दे देना चाहता हूं। सदन के कई माननीय सदस्य ऐसे मुद्दे उठाते हैं, आखिर इतने पैसे कहां से आते हैं, सीमेंट के बेंगलोज हैं, कारें चलती हैं, अच्छे से अच्छा पहिनते हैं और खाते हैं। उनके लड़के और लड़कियां और भतीजे और भतीजियां विदेशों में पढ़ने जाते हैं। कई मंत्री सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये सारे काम कहां से करते हैं? लोगों ने संघ बना रखे हैं, वह संघ पानी मिलाकर इलीसिट लिकर मिल कर नाप के अंदर कम देता है। यह बात नहीं है कि कितने रुपये में बोतल बेची। कोई पाबंदी नहीं। लेकिन उस शराब के अंदर इतनी चीजें मिलाने के बाद भी उस शराब को यहां से निकाला जाता है और गुजरात के अन्दर भेजा जाता है और कम देने और बेचने पर कम से

(श्री विजयसिंह रावत)
कम 43 हजार रुपए राज्य सरकार के उन लोगों ने कमाए और महल बनाने के काम में लाए। मैंने दुकानें सीलबंद करवाई। उसके बाद कहता हूं कि राज्य सरकार इन्क्वायरी करवाये मैं चैलेंज से कहता हूं, और यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाता हूं।

इतना ही नहीं आज जिस राज्य की पुलिस यह सीख ले और उसके सामने एक ही लक्ष्य है कि सेवा का नाम भ्रष्टाचार। तो आप समझ सकते हैं और माननीय सदस्य भी अंदाज लगा सकते हैं कि राज्य में जनता की सुरक्षा क्या है। आज जो गुनाह करता है उसके लिए पुलिस का कर्त्तव्य है कि गुनाहगार का चालान करके उसको अदालत में पेश किया जाय। लेकिन इसके बजाय आज राज्य के अंदर यह चीज चालू हो गई है कि पुलिस गुनाह करने वाले को बचाने के लिए पुलिस नोटिस मिलने के बाद उसको गिरफ्तार करने के बजाय जिसके साथ गुनाह किया है उसको गुनाहगार ठहराकर चालान पेश न करके उस आदमी का जुलूस निकालती है। मैं सारा संसार घूमा हूं लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: किस पर घूमे हैं ?

श्री विजयसिंह रावत: पानी के जहाज में और हवाई जहाज में घूमा हूं और सब जगह घूमा हूं। 15-15 दिन रहा हूं इस लिये मेरा जहां तक अनुभव है स्वतंत्र भारत में गुनाह करने वालों का चालान पेश होना चाहिये अदालत उस पर निर्णय दे लेकिन पुलिस का क्या अधिकार है कि वह ऐसा करें ?

एक कहानी की किताब है उसमें एक घटना का दृष्टान्त देता हूं:

"बदचलन महिला के बलात्कारी गुण्डे नेकचलन हैं।" यह उसकी हैडिंग है। संसार के सबसे बडे जनतंत्र भारत को यह गौरव जरूर प्राप्त है कि उसकी सुपुत्रियां (महिलायें) यू. एन. ओ. जैसे विश्व संगठन की अध्यक्षा रह चुकी हैं। आज उसकी सुपुत्री (श्रीमती इंदरा गांधी) भारत की प्रधान मंत्री हैं तथा उसकी अनेक सुपुत्रियां राज्यपाल मंत्री आदि महत्वपूर्ण पदों की शोभा बढ़ा चुकी हैं। लेकिन इस जनतंत्र में आज भी भारत की नारी असहाय व अबला है तथा कभी कभी उसकी भारी उपेक्षा की जाती है जैसा कि गत दिनों राजस्थान के हृदय अजमेर की पुलिस कोतवाली में घटी एक दिलचस्प घटना ने प्रमाणित कर दिया।

एक जवान महिला ने कोतवाली में फरियाद की कि उसके साथ अजमेर के कुछ टेरेलाइन छाप पूंजीपति गुंडों ने जबरन एक होटल के कमरे में बंद रख उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे संभोग (जबरन जिना) किया है। इसी आधार पर पुलिस ने कार्यवाही की तथा इस कार्यवाही में पुलिस को चार दिन लगे। प्राप्त समाचारों के अनुसार पुलिस चार दिन की अपने तरीके की भागदौड़ के पश्चात् इस नतीजे पर पहुंची कि चार दिन तक बिलख बिलख कर फरियाद करने वाली महिला बदचलन है।"

श्री मूलचन्द डागा: आप अखबार नहीं पढ़ सकते। ...

श्री उपाध्यक्ष : आपके अखबार पढ़ने पर आपत्ति है और नियमों के अनुसार वह ठीक भी है। आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तथ्यपूर्ण है इसकी क्या गारंटी है ?

श्री देवीदत्त गाडिया : अखबार का रेफरेन्स दिया जा सकता है।

श्री विजयसिंह रावत : एक पैरे का रेफरेन्स देना योग्य है।

श्री जयनारायण सालंदिया : डागा साहब को हर भली बात से चिड़ है।

श्री विजयसिंह रावत : "तथा जिन टेरेलाइन छाप पूंजीपति गुंडों पर वह (अबला) महिला आरोप लगा रही है वे नेक चलन हैं। अपने इस अनोखे ढंग से निर्णय के तुरन्त बाद उस महिला के अंग्रेजी ढंग से बाल कटवाकर पुलिस ने अपने पुलिस ढंग से रात्री के काले अंधेरे ....."

श्री खेतसिंह (उप मंत्री गृह) : महिला का क्या नाम है ?

श्री विजयसिंह रावत : मैना है। जाति साधू, पुष्कर की रहने वाली है, जोधपुर में ब्याही है।

श्री उपाध्यक्ष : इतना कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : आज भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए राजस्थान के अंदर जो कड़ी जुड़ी हुई है उस कड़ी को देखें, स्वयं भ्रष्ट है।

तो मैं कह रहा था कि आज ये दोषपूर्ण रीतियां, कुरीतियां और स्वतंत्र भारत में ये अत्याचार लोगों के अधिकारों को हनन करना घातक सिद्ध हो सकते हैं, कल देश के लिए भी घातक हो सकते हैं। सरकार ऐसे आई. पी. एस. ऑफिसर्स या आर. ए. एस. आफीसर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करे ताकि जनता को मिले हुए अधिकार सुरक्षित रह सकें। मेरे को इसके अन्दर कहने में शंका है कि अब जो होम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने संकल्प लिया है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए शायद वे इसमें कहां तक सफल होंगे....

श्री जयनारायण सालोदिया : वे तो स्वयं भ्रष्टाचार की मूर्ति हैं।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, इन सब चीजों के साथ साथ मैं सदन का ध्यान गांवों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बात उठती है कि मंहगाई बढ़ गई। मंहगाई बढ़ने के साथ साथ जो कर्मचारी हैं, राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं और गैर सरकारी कर्मचारी हैं उनका मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता है। लेकिन मैं आज इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस प्रान्त की 82 पर्सेन्ट पापुलेशन गांवों में पड़ी हुई है। पिछले टाइम कहा था कि 30 प्रतिशत खेती हर मजदूर हैं, जिनको काम करने के लिये धन्धा नहीं है, रहने की मकानों की अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है जीवन में स्वतन्त्रता की लहर आने की। इन सब चीजों को सामने रखकर मैं पूछना चाहता हूं कि आज मंहगाई बढ़नी है तो यह करवाते हैं लेकिन उन खेतीहर मजदूरों के लिये क्या करते हैं? मैं कहूंगा कि आप उनके लिये कोई उपाय सोचें तो ये

Page No. 88

(श्री विजयसिंह रावत)

कहेंगे कि हमने लघु उद्योग खोल रखे हैं समाज कल्याण विभाग खोल रखा है दलित वर्ग के लिए संघ खोल रखा है। ये सब हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार को कि इसमें आज तक इसमें किन लोगों को रियायत दी जाती है ? जो मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं उन तक ही यह सीमित हो जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय..

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कड़ी जोड़ना चाहता हूं और डागा साहब बीच में ही तोड़ देते हैं। डागा साहब बाद में इस सम्बन्ध में बात कर लेंगे ऐसी क्या बात है। बिजली मंत्री जी आज सुबह स्टेटमेंन्ट दे रहे थे कि रात के समय बिजली दे सकते हैं। मैं इसमें आपत्ति प्रकट नहीं करता हूं आप रात के समय दें या दिन के समय दें लेकिन गांवों को बिजली अवश्य दें। उपाध्यक्ष महोदय. हर चीज के अन्दर इस प्रान्त के काश्तकारों के साथ, प्रान्त के शिक्षकों के साथ, प्रान्त के विवेकशील विद्वानों के साथ, इस प्रान्त के जो सैनिक हैं जो सर्विस कर रहे हैं उनके साथ, भूतपूर्व सैनिकों के साथ यह सरकार इतनी उपेक्षा बरत रही है। अपनी जिम्मेदारी समझकर कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। उपाध्यक्ष महोदय ये लोग जो कहते हैं योजना बनाते हैं,

श्री उपाध्यक्ष : इससे आपको चिन्ता नहीं होनी चाहिये।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, चिन्ता इसलिये होनी है कि जो लोकप्रिय नेता हैं और जब ये मानक चौक की चौपड़ पर भाषण देने खड़े होते हैं तो जनता उनके × × ×। मेरी उनके साथ सहानुभूति है।

श्री उपाध्यक्ष: × × × ये शब्द कार्यवाही से हटा दिये जायं।

श्री विजयसिंह रावत : इसलिये इन चीजों को पूर्ण करने के लिये कि ये पूरी होती हैं या नहीं इसके बारे में आप सतर्कता बरतें और हम उनका साथ देने के लिये तैयार हैं। दूसरी बात किसानों की है। आज बराबर अकाल पड़ते जा रहे हैं। पिछले 3-4 साल से अकाल पड़ते जा रहे हैं। किसानों को जो तकावी का कर्जा दिया गया है। गवर्नमेन्ट ने कर्जा दिया है। जैसा पहले कानून था उस कानून के मुताबिक उसे कम्पेयर करें तो जो मूलधन मिश्रधन के बराबर धनराशि हो जाती थी तो उस कर्जे को नहीं उगाया जाता था। लेकिन आज जो किसान कर्जा इसलिए लेते हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। कारण वश वे अगर नहीं चुका पाते हैं तो उन पर पीनल इन्ट्रेस्ट पर पीनल इन्ट्रेस्ट वसूल किया जाता है। 5 वर्ष या 7 वर्ष के बाद 200 रु. की राशि 800 रु. हो जायगी। यह रवैया इस समय हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार का यह रवैया किसानों के लिये है यह कहां तक न्यायोचित है ? आप यह पीनल इन्ट्रेस्ट लगाते हैं इसको एक सीमा बांधिये कि उस सीमा तक 10, 12 15 साल कितनी लिमिट होनी चाहिये कि वह कर्जे चुका पाये और बाद में लिक्विडेशन में जाय। जिन इलाकों में पिछले 3-4 वर्षों से लगातार अकाल पड़ते आ रहे हैं जहां किसान इस स्थिति में नहीं हैं कि वे इस कर्जे को वापिस दे सकें उनको आप जो

× × × अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री विजयसिंह रावत)

1952 से 1961 तक के कर्जे हैं--जैसे म्यूनिसिपैलिटीज का राइट आफ किया है, वजट के सैशन में से पहले कैबीनेट में रखें कि जिन इलाकों के अन्दर लगातार 4 साल, 3 साल से अकाल पड़ रहे हैं और जिनका कर्जा 60 से पहले का है उनको राइट आफ करें ताकि उनको राहत मिल सके। गांव वाले यह न समझें कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है 61 से 67 तक जो कर्जा दिया गया है इस पर आप पैनल इन्ट्रेस्ट . . .

श्री खेतसिंह : 'पैनल' नहीं पीनल।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री जयनारायण खाजोदिया : आप सो नहीं रहे है, गनीमत है।

श्री विजयसिंह रावत : इस पीनल इन्ट्रेस्ट के हिसाब से जब उनका मूलधन मिश्रधन के बराबर हो जाय तो रकम ली है उससे दुगनी हो जाय तो उससे ज्यादा पैसा नहीं लगायें। इसके साथ साथ एक पाइन्ट और कहना चाहता हूं कि आज आपने सुना होगा, मिजो एक नेशनल संस्था है और उसका रिकगनिशन भारत सरकार ने किया है। ठीक उसी तरह राजस्थान प्रान्त में हो रहा है। अगर उस पर सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया तो हो सकता है यहां पर भी दूसरी सरकार खड़ी हो जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जहां जहां अकाल है और जहां जहां गरीब इलाका है ईसाई मिशनरीज जो डाईरेक्ट विदेशों से सहायता प्राप्त करती हैं जो न बेची जाय और न खरीदी जाय उस मेंट को ये ईसाई पादरी खुले आम एक मजदूर से 25 पैसे चार्ज करते हैं। कई मजदूरों से उनके 25-25 रुपये रखवाते हैं। इस तरह हजारों रुपया जमा करवाते हैं। उनके लिये वे दवाखाना खोलते हैं, गिरजघर खोलते हैं मकान बनवाते हैं और साथ ही ये क्या करते हैं कि जब ये लोग गेहूं या दाल या राइस (चावल) वितरित करते हैं तो एक सप्ताह में वितरित करते हैं और उन लोगों को गिरजे में बुलवाते हैं। पादरी टेप-रिकार्ड के अन्दर उनके स्टेटमेन्ट लेते हैं। यह टेप-रिकार्ड विदेशों के अन्दर भेजा जाता है। उन लोगों से ईसाई होने के नारे लगवाये जाते हैं। पूर्ण ब्यौरा मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में दिया है लेकिन इस अभिभाषण के दौरान मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने इसे अपने अभिभाषण में नहीं रखा है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पहिले घोषणा हुई थी उसके ऊपर इम्प्लीमेन्टेशन नहीं किया। इस वक्त शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का जो निर्णय लिया था राज्य सरकार के द्वारा उसको पूरा नहीं किया जा रहा है और उसके ऊपर यह दलील दी जाती है कि धन का अभाव है। इन सब बातों के लिये राज्य सरकार असमर्थ हो तो मेरा जो प्रस्ताव है उसको मूव करते हुए मैं यह कहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, वह पारित नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीत सिंह।

श्री रणजीत सिंह (ओसियां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण बहुत सुन्दर हुआ, सुन्दर अक्षरों में लिखा हुआ है जिसको पढ़कर बडी प्रसन्नता होनी है लेकिन जिस वक्त हम राजस्थान की भूमि पर नजर डालते हैं तो बड़ा दुःख

(श्री रणजीत सिंह)

होता है। वह दुःख इस बात का होता है कि राजस्थान बीस सालों में कितनी तरक्की कर पाया है। राजस्थान केवल अकेला नहीं अन्य प्रान्तों की ओर भी नजर डालें तो बड़ा दुःख होता है। मैं आपका ध्यान राजस्थान की मरुभूमि की ओर ले जाना चाहता हूं वह राजस्थान का ऐसा इलाका है जहां पर जमीन है, पानी है लेकिन उसके उपयोग के साधन नहीं। साधन का अभाव यानि धन की कमी है इस कारण वहां का किसान तरक्की नहीं कर सकता। किसान को जो सुविधायें दी जानी चाहिये उनका अभिभाषण में थोड़ा बहुत आश्वासन जरूर दिया गया है लेकिन धन के अभाव के कारण किसानों को जो तकलीफ है वह दूर नहीं हो सकी है। किसान सिर्फ तीन चार बातें चाहता है। किसान जमीन, पानी और पानी निकालने के लिये साधन चाहता है, जमीन जोतने के लिये साधन चाहता है। राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से धन प्राप्त किया है वह बहुत कम है। राज्य सरकार ने पहली योजना, दूसरी योजना और तीसरी योजना के अन्दर बहुत कम पैसा प्राप्त किया है। या तो विधान सभा के सदस्यों ने राज्य सरकार पर जोर नहीं डाला या राज्य सरकार ने भारत सरकार पर जोर नहीं डाला इसलिये पैसा नहीं मिल पाया। मुझे यह बात नजर आती है कि राजस्थान ने खेती के मामले में बहुत कम तरक्की की है। मेरे पास इस बारे के आंकड़े भी हैं जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। राजस्थान के अन्दर कितना एरिया इर्रिगेटेड हो चुका ? मेरे पास जो आंकड़े हैं उससे यह मालूम होता है बहुत कम इर्रिगेटेड हुआ है यानि सिर्फ 6 प्रतिशत भूमि इर्रिगेशन में आयी है जो बहुत कम है। इसका दूसरा कारण यह भी है हमारे पास जमीन काफी है लेकिन धन के अभाव के कारण राज्य सरकार उसको काम में नहीं ला सकती।

दूसरा राज्यपाल महोदय ने इस अभिभाषण में यह भी जिक्र किया राजस्थान के गांवों में काफी बिजली दी है। मेरे ख्याल से बहुत कम दी गई है। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया 6 प्रतिशत भूमि ही राजस्थान में इर्रिगेट हुई है जब कि पंजाब में 39 प्रतिशत, बिहार में 23 प्रतिशत सबसे कम अगर है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मैसूर है। वहां की हालत कुछ दूसरी है। वहां पर जमीन की छोटी जोतें हैं। उड़ीसा ने इस मामले में 14.5 प्रतिशत तरक्की की है।

दूसरा मैं आपका ध्यान इन्डस्ट्रीज की ओर ले जाना चाहता हूं। इन्डस्ट्रीज के मामले में भी राजस्थान ने कोई विशेष तरक्की नहीं की। उसका भी कारण धन का अभाव है। उद्योगों में जितनी अन्य प्रान्तों ने प्रगति की है उसके मुकाबले राजस्थान में प्रगति बहुत कम हुई है। दूसरी ओर तीसरी योजना में कोई ज्यादा काम नहीं हुआ। अब भी हम कोशिश करें तो कुछ हद तक आगे बढ़ सकते हैं। यह घुड़दौड़ की तरह रेस है। अब हम दूसरी स्टेटों के मुकाबले तो नहीं आ सकते लेकिन हम अब भी चेत जायं तो ज्यादा पीछे नहीं रहेंगे। मैं इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि राजस्थान का किसान बहुत जागरूक है यदि राजस्थान के किसान को साधन उपलब्ध कर दिये जायं तो यहां का किसान अच्छी तरक्की कर सकता है। मान लीजिये हमारे पास साधनों की कमी है फिर भी हम किसान को दूसरी सहायता देकर उनके

(श्री रणजीत सिंह)

उत्साह को बढ़ा सकते हैं। आज खेती के मामले में पुराने साधनों से तरक्की नहीं कर सकते। आज मशीनरी का युग है इसलिए मशीनों का उपयोग करना जरूरी है। उस ओर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये। सरकार के पास धन नहीं। किसानों को यह विश्वास हो जाय कि सरकार का हमारे पर कोई दबाव नहीं रहेगा तो भी काफी तरक्की की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं राजस्थान का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जैसा जोधपुर जिले में गुढा है जहां 150 घर की बस्ती है लेकिन वहां पर 100 ट्रेक्टर हैं। वे सरकार से कर्ज लेकर नहीं लिए गये। वहां के लोगों ने ये अपने साधनों से जुटायें हैं। उनके पीछे सरकार की मशीनरी इस प्रकार से लगी हुई है एक मशीनरी यानि एक ट्रेक्टर के पीछे पुलिस वाले ट्रान्सपोर्ट वाले लगे हुए हैं। नेशनल सेविंग के नाम पर उनका पीछा किया जा रहा है। आखिर आप उन लोगों को जो ट्रेक्टर से खेती कर ज्यादा अन्न पैदा करना चाहते हैं उनको कुछ सुविधायें तो दें। आप चले जाइये वहां। आप देखेंगे कि ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर रजिस्ट्रेशन के बाद में ट्रेक्टर का फिटनेस चाहता है। दूसरे कई प्रोविन्सेज में यह हालत नहीं। ट्रेक्टर्स के फिटनेस की क्या जरूरत? अगर किसान को आप तरक्की देना चाहते हैं उनका पीछा इस तरह से नहीं किया जाना चाहिये। आप उनको प्रोत्साहन नहीं दे सकते तो कम से कम उनके फिटनेस के मामले में तो उदारता बरत सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि ट्रेक्टरों के फिटनेस का जो तरीका है वह बन्द किया जाय किसान के लिये यह आवश्यक नहीं करना चाहिये।

पानी के बारे में निवेदन करूं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी है लेकिन सिंचाई के साधन नहीं। वहां पर नलकूप लगे हैं फिर भी हमारे यहां इर्रिगेटेड एरिया छः प्रतिशत ही हुआ है। मैं मानता हूं यह कोई ज्यादा नहीं हुआ है अगले प्लान में जाकर यह आठ-नौ प्रतिशत हो सकता है।

पीने के पानी की सुविधा के लिये इस अभिभाषण में कोई खास बात नहीं कही गई है। केवल लीपापोती की गई है। देखने में तो सुन्दर बात दिखती है लेकिन पानी के लिए सुविधा नहीं दी गई है। सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये। बड़े गांवों में आप पानी की योजना के नाम पर लाखों रुपया व्यय करते हैं वह इसलिए कि लोगों को घर घर ही पीने का पानी मिल जाय। लेकिन गांवों में इस बात का ध्यान नहीं दिया गया है। आज भी देहातों में लोग पन्द्रह-बीस मील दूर से पानी लाते हैं उनको आप सुविधा दें। मेरे इलाके में दो-तीन नल-कूप योजना चल रही हैं। एक योजना तो दो-तीन साल से चल रही थी वह पूरी नहीं हुई वह भी खटाई में पड़ गई। आपने उस पर लाखों रुपया खर्च किया फिर बन्द कर दिया तो वह रुपया फिजूल गया। इसलिये जहां के लोगों को पन्द्रह-बीस मील से पानी लाना पड़ता है उनको सुविधा देने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं निवेदन कर दूं आपसे शिक्षा के बारे में। शिक्षा की आज जो हालत है उसमें आगे की प्लान नहीं है। इसलिये निवेदन करूंगा कि जैसे जैसे टैक्निकल शिक्षण बढे और विद्यार्थी उत्तीर्ण होते जायें उनको भविष्य में उनके अनुरूप आजीविका मिले

(श्री रणजीत सिंह)

इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जावे। कारखाने खोले जावें सरकारी उद्योग बढ़ाएं।

राजस्थानियों के प्रति घृणा है दूसरे प्रान्तों में। हो सकता है कि कुछ व्यापारी वर्ग लोटा लेकर रोजगार की तलाश में वहां गये थे और आज वे लखपति और करोड़पति बन कर बैठे हैं। इनके उद्यम से वहां के लोगों में जागृति आई उद्योग-धन्धे चल पड़े और वहां के लोग आज जागरूक हो गए हैं। वे आज कृतघ्न बनकर उनका आव्हान करते हैं कि लोटा लेकर आये हो लोटा लेकर ही जाओ। इससे खिन्न होकर वे भी चाहते हैं कि वापिस मातृभूमि में लौट चलें और यहां उद्योग-धन्धे करें। दिमाग और पैसा उनके पास है। तो ऐसे लोगों को यहां उद्योग-धन्धों के लिए प्रोत्साहित किया जावे। उनका यहां स्वागत किया जावे। इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जावे।

अब मेरे पास रेवेन्यू के आंकड़े राजस्थान के और दूसरे प्रोविन्सेज के भी हैं यहां की इन्कम है 981 लाख और एक्सपेन्डीचर है 985 लाख। अगर इस रेवेन्यू पर ही कुल राज कर्मचारियों को पनपाना है तो हो सकता है यह बड़ा मुश्किल मामला होगा। इससे फायदा नहीं होने वाला है। बेकारी ही बढ़ेगी। इस तरफ ध्यान दिया जावे। बड़े-बड़े अफसर हैं उनके काम की क्या राशि है इसे नै किया जावे। एक बड़े आई. ए. एस. अफसर से मेरी मुलाकात हुई। गांवों में अकाल था। राहत काम चल रहे थे। गरमी का समय था। कहने लगे कि ये आदमी पूरा काम नहीं करते। मिट्टी बहुत कम डाल रहे हैं। बात सही है। पर उनकी हालत इतनी कमजोर हो गई कि वे इसके लिए मजबूर से थे। मैं भी महसूस करता हूं काम कम कर रहे हैं पर भूखे होने की वजह से। पर आप जिनका पेट पूरा भरा है आई. ए. एस. अफसर बने हैं, दो-ढाई हजार तनख्वाह का मिलता है, दूसरी सारी सहूलियतें मिली हुई हैं, कार है, बंगला है आप दिन में कितने कागज दफ्तर में बैठकर निकालते हैं? आप घंटों का हिसाब काम करने का अपना भी तो निकालिये न। दिन में दो-तीन कागज निकालते हैं और अगर भूख के मारे किसान ने अगर जिसे एक रुपया दो आना मिलता है और उसकी एवज में दस या बारह आने जितना ही काम किया है तो उसका तो इतना विचार किया जा रहा है पर दूसरी तरफ आपके काम को कोई देखने वाला नहीं है। दो-तीन कागज दिन भर में निकाल दिये तो बहुत हो गए। मैं समझता हूं उनका काम बहुत कम है। उन पर खर्चा ज्यादा है। या तो उनसे पूरा काम लिया जावे या रवाना किया जावे। तनख्वाह उनको आप देते हैं भले ही दें. मैं नहीं कहता कम करें पर काम उनसे पूरा लें नहीं तो छुट्टी दें। अगर मंहगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा देंगे तो भी फायदा नहीं होने वाला है। मंहगाई और बढ़ जावेगी। वह बढ़ोतरी व्यर्थ जावेगी। इसलिये जो भी वे काम करें राष्ट्रीय भावना से, सेवा भावना से करें। तो राजस्थान सरकार कोई दूरगामी योजना लेकर चले। इन आंकड़ों को देखते हुए राजस्थान पीछे है। राज्य सरकार को चाहिये कि वह भारत सरकार पर इस बात का दबाव डाले कि वह योजना के लिए पूरा धन दे। धनाभाव में हम आगे बढ़ नहीं पावेंगे।

इस तरह से राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद का मैं समर्थन करता हूं।

Page No. 93

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। सरकार की ओर से उत्तर दिया जावेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री आलमअली (फतहपुर) : दो-तीन मिनट के लिये, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : थोड़ा समय और बढ़ा दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : फतहपुर से आने वाले माननीय सदस्य गाड़ियाजी आप इतने थोड़े समय में अपने उद्गार प्रकट नहीं कर सकेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सिर्फ पांच मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : आपको और कई अवसर मिलेंगे। आसन ने नाम पुकार लिया है।

श्री आलमअली : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिण बातरी जरूरत है, उणरो कोई नाम नहीं। मुख्य मन्त्रीजी साहब कई बार अपण भाषण में केवे है कि अल्पसंख्यक 25 प्रतिशत वोट दिया है और उणसूं मारो राज बणियो है। पर उपाध्यक्ष महोदय अल्पसंख्यकां ने देण वास्ते उणरे पास कोरी चपरासियां री जगां है ऊपर की नौकरी नहीं है।

इण साइड में और उण साइड में बैठण्यां ने मैं केवूं हूं कि अल्पसंख्यक आप सूं घबरावेगा नहीं। कितना पाकिस्तान रा आरोप लगाया है कित्ता ही और तरह रा आरोप लगावे है पर आप सेंग कान खोल कर सुण लीजो कि वे देश का वफादार है रेवेला घबरावेगा नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी रफ्तार थोड़ी धीमी करो तो समझ में आवे।

एक माननीय सदस्य : आप कान ठीक करवा लो।

श्री आलमअली : और देश की जमीन में ही कतरा कतरा उनका मिलेगा। आप लोगों में रहकर नहीं है। आप वें ने अपणा नहीं सको हो म्हें नहीं है आप लोगो में अपणाणे लो।

उपाध्यक्ष महोदय राज्यपाल का भाषण में आबात सुणबा में आई ही पेलि कि 8 एकड़ जमीन को लगान नी लेवे गा सरकार। अब आठ एकड़ में बीघा कितरा होवे है मने पूरी जानकारी नहीं है। सुणां हां कि आठ एकड़ में चालीस बीघा कच्चा के बराबर होवे है।

इण लगान की माफी सूं हरिजनां को भलो हुओ और अल्पसंख्यकां को भी हुओ क्योंकि थोड़ी जमीन वाला ऐ ही है। सरकार केणे लागी कि वे को उद्धार करियो है।

आज थोड़ा दिन पहलां माननीय मन्त्रीजी कयो कि दो किश्तों में वसूल कर लीयो लगान जिको तो वापिस लौटा देस्यां। मने ई पर एक मारवाड़ी की कहावत याद आगी :

दमबाज यार किसका।
दम लगाया और खिसका।।

आप लोग तो दम लगाण रे वास्ते अठे आया हो ई कुर्सियां पर। थां ने देश की और गरीबां की परवहा थोड़े ही है। ऐ लोग सन् 47 सूं पेली बात कर्या करतां हा के गरीब

(श्री आलमअली)

को भलो करस्यां। पर आज भलो किस तरह करे है मैं बताऊं। कबूतरखानों बणा राख्या है एक। उण में कबूतरां ने लालच देर दाणों डाल कर पकड़ राख्या है। थोड़ा दिनां में उणां री घेंटी मरोड़ नोच लेवे ला। ओ राज नहीं है घाटा इस तरह को कबूतर खानों है। मैं तो या हीज मानूं। उपाध्यक्ष महोदय, गरीबां के साथ न्याय करण वाला रहै या ए नहीं कह सके। वां के वास्ते तो मैं कदई आ नहीं कह सकूं कि न्याय करण्या है।

पहली का राजा लोग गलत या सलत जैसा भी राज करण्या होला। पर एक बात मैं केवूं गरीबां ने बिना मतलब वे नहीं सताता और एक बात कहकर उण ने वापस नहीं करता। पर आज तो ऐ राज करण्या मे तीन दिनां सूं फिरे है कहावत है। तो बहुत जल्दी फिरग्या। इना री तो जबान री कोई कीमत नहीं।

वींका तरयां की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, खुली बात है या कि महात्मा गांधी जी तरयां चुम्बक लोहा ने खींचकर लावे वीं तरयां ही वे पब्लिक ने खींच कर लावे हां और थे पब्लिक सूं भागरिया। आज लोगों का मन अ कांग्रेस सुं हटतो जा रहो है। वे तो कबूतर की तरयां घेंटी मरोड लोगों से काम लेवो चावे। पहली कांग्रेसी जाया करेहा सन् 47 सूं पहली तो हजारां की भीड़ खड़ी होजाया करती और आजकल घेरनिया वाला नहीं मिले। आज घेरनिया वाला कुण है या तो ढोलकी वाला या फेर काला झण्डा वाला या फेर शराब का ठेकेदार। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात और बताऊंगो। काल सीकर की स्टेशन पर में एक बहुत गड़बड़ी को मामलो देख्यो। वो ये है के मैं स्टेशन पर आयो तो कोई कालेज का लडका ने पुलिस वाला डंडा से मार रिया हा। काल 28 तारीख की बात है....

श्री जयनारायण खाजोविा : नाम बताओ पुलिस वालों के।

श्री आलम अली : नम्बर लिख राख्या है पुलिस वालां का पर नाम नहीं है। लड़कां का तो नाम है। क्योंकि गाड़ी चलने वाली ही। वे नवलगढ़ कालेज का लडका हा और मैं सिपाही से पूछो के याने क्यों मारो पीटो हो तो सिपाही शराब पीयोड़ा हा और मने भी धक्को दियो और कह्यो कि तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। मैं लड़का ने पूछ्यो तो लड़का बताई के दूसरा पैसेन्जर आवे वाने सिपाही कहवे कि मैं आधा पीसा में सीकर ले चालांला। वींको लड़का विरोध कियो तो वाने मारपीट शुरू करदी। ये म्हारो राज है।

उपाध्यक्ष महोदय, नौकर की कलम पर आज तक ओलो कदेई कोनी पड्यो। काश्तकारों का फसल पर ओला पड़े है तो काश्तकार रोता ही रह जाय। काश्तकारां के वास्ते दिन में बिजली कोनी मिले और सिनेमा वाला के वास्ते दिन में भी मिल जाये। काश्तकारां ने थे रात में बिजली देवो हो। आधी रात में काश्तकार अपना खेत में पानी देवे है। तो के सुविधा काश्तकारां ने देवो हो, उल्टा काश्तकारां सी सरकार ने सुविधा देरया है और थे काश्तकारां का बलबूता पर जी रह्या हो। काश्तकार दो चीज देवे है। एक तो अनाज और दूसरी लड़ाई के मैदान में लड़ने के लिये जवान।

(श्री आलमअली)

यो जवान और अनाज नहीं होवे तो बाकी को तो भूसो है। जियां एक चिनगारी सारा भूसा ने जला देवे है। तो काश्तकारां के साथ में दो मैन चीज हैं देश की वो काश्तकार देवे है। थे सरकारी नौकरां ने तो मंहगाई भत्ता देवो हो और काश्तकारां की फसल जल जाये या ओला से खराब हो जाये तो बीने के देवो हो ? बीने खराबा के वास्ते कोई प्रावधान नहीं है। काश्तकारां ने थे सबसे पहली तो लगान में छूट देवो, बीज मुफत देवो, ऊंट, नारा बैल मुफ्त में देवो और बीके बाद थे वांसे अनाज लेओ। पानी बीने मुफ्त मिलनो चाहिये। बिना मतलब थे काश्तकारां ने परेशान करो हो। मील आज तक कोई नीलाम होती नहीं देखी और काश्तकारां का कस्सी फावड़ा भी नीलाम किया जावे है।

उपाध्यक्ष महोदय. राज्यपाल को जो भाषण है मैं आपने बताऊं के बीमें एक भी गरीब काश्तकार की बात कोनी आई। ई भाषण ने गरीब तो कोई माने नहीं फर्जी साइनबोर्ड लगाया ये मन्त्री फिरे हैं जियां पंजाब की डिग्री ले लेवे वे भलां ही मानेगा। कृषि मन्त्री खासकर वो होणो चाहिये जिको रात में पानी पियोड़ो होवे और खेती करन में खुद हुयोड़ो हो। आप चाहे मानो या नहीं मानों आज नहीं तो काल मानोंगा, काल नहीं तो परसों लोग जोरामरजी मना लेवेगा। काश्तकार और मजदूर एक ही हैं । वामें ताकत है मनाने की। वे पहली अंग्रेजां ने मना दिया और राजा ने मना दिया और थाने तो मनाता तो देर लागे ही नहीं। वां के लिये सही नहीं सोचोगा तो वो ही हाल होवेला जियां भेड़ा का ग्वाला को हुयो हो। ग्वाल ढोल बांध लियो और कह्यो कि कोई भेड़ियो आ जाये तो आवाज के सागे सै भेला हो जावां तो एक दिन झूटे ही बजा दियो सगला भागकर भेला हुआ और पूछो के बात है ? कठै है भेड़ियो ? तो वे कही कि मैं तो ईयां ही बजा दियो हो फिर दुबारा औई एक दिन बजायो तो सगला कोने गया थोड़ा ही ग्वाल गया। तीसरा और चोथा बजायो तो लोग आया कोना से समझ गया कि मजाक करे है। पांचवीं बार सच्चाणी भेडियो आगयो। वो ढोल ने पीटनो ही रह गयो और भेड़ियो भेड़ां ने खा गयो। वही हाल थारो होसी। जा को पांचवीं बार थांके कणे भी थे झूठा वादा करो हो तो कोई नहीं आवेगो और बैठ्या ही रह जावोगा। काश्तकार मजदूर और छोटा नौकर यांके तरफ ध्यान नहीं दोगा तो तूती थे चाहे बजाता ही फिरो कोई साकड़े ही नहीं आवेगा। आज ख्याल तो जो को रख्यो जावे है जो 3 हजार लेने वाला है 4 हजार लेने वाला है, वे तो मोटरां में घूम सके है आराम सूं और संस्पेन्ड कुन होवे है चपरासी, बाबू या सिपाही क्यूं कि थाने पानी को गिलास कोनी पिलायो, बाबूजी ने। थारा हाथ टूटा हुया है के जो ऊठकर पानी नहीं पी सको हो ? पानी के लिए भी थाने चपरासी चाहे। थे आबाद देश की बात करो हो। आजाद देश में सगला एक होवे है छोटो बड़ी कोनी होवे है। थे देख्या होगा कि अमेरिका का इन्जीनियर बीम में मजदूरों के साथ कन्धो लगा लेवे है और यहां का इन्जीनियर जेब में हाथ देकर खड़ा ही रहे। थे आजाद देश का थाडे ही मजदूर के साथ मजदूर होनो पड़ेगो, चाहे हो सके है के पानी नहीं पी सके है। मिनिस्टर हो चाहे आफिसर हो। जियां आदमी की रीति नीति होवे है जियां हो जाओ

(श्री आलमअली)

तो ठीक है नहीं तो पब्लिक थांने-मना लेवेगी। कोई भी मन्त्री यो मानकर नहीं चाले कि मैं बड़ो आदमी हूं। पानी वाला बुदबुदा है दो सेकिण्ड का। हमेशा के वास्ते पब्लिक को प्रिय होणो है तो पब्लिक ऊं घुलमिलकर चालो और नहीं तो अठाऊं गया तो मास्टरी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। आज मिनिस्टरां ने चाहिजे कि असेम्बली भवन कार में बैठकर नहीं आवे। हजार आदमी सागे चालसी और रामरमी सगला रास्ता में मिलसी वे करसी। दूसरा जिका एम. एल. ए. बराबर का है बां को भी मन तरसे है कि मंत्री जी कार पर आवे तो म्हे मोटर साइकल पर तो आवां और देख देख मेरो भी मन चाले है कि मैं भी कार में जाऊं··· रंग-फिरंग देखकर भ्रष्ट करणवाला तरीको है। भ्रष्ट आचार आफिसरां में नहीं मन्त्रियां में है। देखल्यो···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, टैम आपकी महरबानी हो तो एक मिनट-में····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज समय हो गया है। इसलिये आप तुरन्त समाप्त करें।

श्री आलम अली : गरीब जनता ने कतई अभिभाषण रो समर्थन न कर्यो है और न करे है। ईंस बास्ते ईं की जरूरत नहीं। गरीबां री सुनाई तो दूसरी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी ! आर्डर प्लीज।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय ने कहा···

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हो गई है। आपके दल की तरफ से आन्तरिक व्यवस्था थी और जो नाम दिये गये थे उनके अनुसार आसन ने पुकारा था। समय होता तो आपको अवश्य दिया जाता। समय नहीं है। 3 बजकर 30 मिनट हो गये हैं इसलिए सरकार की तरफ से उत्तर दिया जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी इस सदन में जब शुरू के दिनों में वाद-विवाद हुआ तब मैं उपस्थित नहीं था, इसलिये मैं सभी मुद्दों के ऊपर यहां प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें यहां पर उठाई गई उनके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण यहां पर दिया उससे माननीय सदस्यों के समक्ष यह स्थिति भी स्पष्ट रूप से आई है कि राजस्थान में इन पिछले वर्षों में जो अकाल की स्थिति रही और मंहगाई की स्थिति रही उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों में से गुजर रहा है। आज जो योजनाएं हम कार्यान्वित कर रहे हैं, मुझे यह कहने में दुःख भी होता है, लेकिन यह वास्तविक बात है कि जो कुछ योजनाएं हमारे यहां पर चल रही हैं उनमें राजस्थान अपने रिसोर्सेज से नहीं के बराबर हिस्सा दे पाया है और ज्यादातर भारत सरकार के लोन्स या असिस्टेन्स, ग्रान्ट्स के ऊपर योजनाएं सब कार्यान्वित करनी पड़ रही हैं। यह परिस्थिति पिछले फाइनेन्स कमीशन के बाद जो राजस्थान के अन्दर अकाल की स्थिति बनी और मंहगाई की परिस्थितियां हुईं और जो ओवरड्राफ्ट्स हम पर था उसके भुगतान की परिस्थिति

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सामने आई उसका वजन विशेष तौर से रहा।

माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो फाइनेन्स कमीशन ने रिकमन्डेशन्स दीं उन रिकमन्डेशन्स के बाद अकाल और मंहगाई भत्ते में जो वृद्धि समय समय पर हमें करनी पड़ी है उसकी वजह से इस वर्ष में यह आशा की जाती है कि करीब 11 करोड़ रुपये का अधिक भार सरकार के ऊपर पड़ेगा और आगामी वर्ष में जो निर्णय हम अब तक ले चुके हैं और अगर उसी प्रकार की परिस्थिति रही तो उसका असर करीब 15 करोड़ के आसपास आता है। हमारे वित्तमन्त्री से भी भारत सरकार की ओर से वक्त वक्त पर और प्राइम मिनिस्टर से भी इसके बारे में चर्चा हुई तब इस बात पर जोर दिया था कि मंहगाई के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं और राज्य सरकारों के ऊपर जो वजन आया है उसको लक्ष्य में रखते हुए फाइनेन्स कमीशन के अन्दर हमने इस बात को कहा है कि अगर फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट देने के बाद बीच में परिस्थितियों में परिवर्तन आया तो उसके ऊपर भी विचार किया जाना चाहिये। उस क्लाज के अन्तर्गत जो मंहगाई की वजह से परेशानियां खडी हुई हैं उन पर विचार करके आवश्यक ग्राउन्ड्स स्टेट्स को दी जानी चाहिये। लेकिन उस बात पर भारत सरकार सहमत नहीं हुई। जहां तक मुझे जानकारी है हमने इस बात के बारे में भी सुझाव दिया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई जाय उसके पहले यह उचित होगा कि जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी सारे भारतवर्ष की और कई स्टेट्स की डिस्टार्ट होगई है उसको देखते हुए फाइनेन्स कमीशन को जल्दी बिठाया जाय और वह फाइनेन्स कमीशन स्टेट्स की वस्तुस्थिति का अन्दर से निरीक्षण करके आवश्यक हो तो इन्टेरिम रिकमन्डेशन ही दें लेकिन अगली योजना तैयार करने से पहले वह चीज स्पष्ट रूप से सामने आजाये और जैसा कि मैंने कहा शायद भारत सरकार भी फाइनेन्स कमीशन को जल्दी से स्थापित करने जा रही है ऐसा मैंने सुना है। उससे जो आज बहुत सी दिक्कतें हमारे सामने हैं, मैं समझता हूं उनके हल करने के सम्बन्ध में कुछ फर्क पड़ेगा।

मैं साथ ही साथ इस सदन की जानकारी के लिए यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमने भारत सरकार के समक्ष इस बात को भी रखा है कि जो पिछले ओवर ड्राफ्ट्स हैं जो डैफिसिट पहले हो चुका है या जो डियरनैस एलाउंन्स की वजह से हम पर वजन आता है, उसको डैफिसिट फाइनेन्सिंग समझ कर या ओवरड्राफ्ट्स समझ कर हमारे सामने इस सवाल को बार-बार उठाते हैं तो हम चाहते हैं कि पिछले ओवरड्राफ्ट उसका रिपेमेन्ट हो चाहे इन्ट्रेस्ट हो उसको यह समझ कर चलें कि एक लांग टर्म तरीके से बाद में जाकर वसूली करेंगे बजाय उसके कि हर वर्ष उसको रिफ्लेक्ट किया जाय और फाइनेन्स डिसिप्लिन में हम बंधने को तैयार रहेंगे अगर इस मंहगाई वाली परिस्थिति को और जो पहले हमारे ओवर ड्राफ्ट्स की वजह से एडहाक लोन्स रहे हैं उनके रिपेमेन्ट के बारे में एक उपयुक्त फैसला हो जाय।

Page No. 98

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तो माननीय उपाध्यक्षजी इस वक्त मैं इस बात को जानता हूं कि हमारे सामने जिस तेजी के साथ हम आर्थिक विकास करना चाहते हैं उसमें रुकावटें हैं और उन रुकावटों की वजह से हमारी प्रगति में धीमापन आया है। उस धीमेपन को दूर करने के लिए जहां हमें अपनी तरफ से प्रयत्न करने हैं वहां राजस्थान के अन्दर जिन योजनाओं को हाथ में लिया है, और जिन योजनाओं के जरिये हम आशा करते थे कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक हो उन योजनाओं के परिणामों में कुछ समय लगेगा।

मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान जिस स्थिति के अन्दर है उसको देखते हुए जिस राजस्थान नहर के काम को चालू किया गया है उस काम की पूर्ति न हो जाय इसका मतलब पोंग डेम का बनना है वह न बन जाय और पोंग डेम से सिंचित होकर उसके पानी का उपयोग नहीं होने लगे दूसरी तरफ एटोमिक पॉवर स्टेशन और दूसरी हाइडल स्कीम और सतपुड़ा की स्कीम है उन सारी योजनाओं से बिजली का उत्पादन होकर उसकी आमदनी न हो इस वक्त तो स्थिति यह है कि ज्यादातर एलोकेशन कई चीजों में लगा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो हम आशा करते थे कि इतना रिटर्न होना चाहिए तो उसमें फर्क पड़ा है। ईरिगेशन की योजनाओं में बजट के वक्त आपको मालूम होगा पिछले बजट का आपको मालूम है कि इन योजनाओं से भी जो रिटर्न होना चाहिए था यहां तक कि जो इन्ट्रेस्ट और मेन्टीनेन्स का खर्च होता है उसकी पूर्ति भी मुश्किल से होती है। इन सब कारणों से हमारे ऊपर वजन पड़ा है।

यह खुशी की बात है कि राजस्थान में इस समय आमतौर से जो वर्षा की स्थिति अच्छी रही, उससे मैं समझता हूं कि राजस्थान में करीब 65 लाख टन के आसपास खाद्यान्नों का उत्पादन होगा कि जो आल टाइम रेकार्ड होगा। इस बात की हमे आशा है। इसके आगे भी कुछ कीमतों में कमी हुई है और मेरा यह निश्चित मानना है कि रबी की फसल कटने के बाद आज जो कीमतें हैं उन कीमतों के अन्दर और अन्तर आयेगा, लेकिन आज जो राजस्थान की वित्तीय स्थिति है उसके सब एक्यूमुलेटेड रीजन्स हैं, स्थिति से परिचित कराने की दृष्टि से उन पर भी कहूंगा और बजट के वक्त और ज्यादा इसके ऊपर स्पष्ट तस्वीर आपके सामने आयेगी। लेकिन यह मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से काम काज के बारे में कोई मतभेद की बात नहीं होती कि वह काम हाथ में लिये जायं, लेकिन उन काम काजों के अन्दर वित्तीय साधनों की कमी की वजह से ही हमारे सामने रुकावट रही है। माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान नहर का काम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। सिंचाई की दृष्टि से उसका काफी महत्व है। लेकिन सिंचाई की दृष्टि से जहां उसका महत्व है वहां सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं और यहां भी उसका उल्लेख किया गया है कि सीमा के पास पास उस नहर के निकलने की वजह से उसका महत्व डिफेन्स के लिहाज से भी है, सुरक्षा के लिहाज से भी है। तो जिन इलाकों के अन्दर आज नहीं के बराबर आबादी है वहां एक आबादी होती है, बसा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हुआ होता है तो बहुत फर्क पड जाता है। तो इसका महत्व एक स्टेट तक और प्रदेश तक सीमित मान कर चलना, मैं समझता हूं, ठीक बात नहीं है। कई बार यहां उदाहरण दिया जाता है कि राजस्थान नहर और पोंग डेम एक बड़ी योजना सिंचाई की है, उसी प्रकार नागार्जुन सागर और दूसरे नर्बदा वगैरह के और प्रोजेक्ट बड़े हैं तो राजस्थान नहर या इस योजना को अलग समझ कर क्यों चला जाय ? लेकिन दोनों के बीच बहुत बडा परिवर्तन है, बहुत बड़ा अन्तर है और वह यह है कि इस सारे क्षेत्र, जिस क्षेत्र के अन्दर पानी अगर आता है तो और जगह तो एडीशनल प्रोडक्शन होगा जो कुछ जमीन है उसके अन्दर, लेकिन राजस्थान के अन्दर एक टोटल प्रोडक्शन नया का नया होगा वहां पर जहां आज नहीं के बराबर पैदा होता है। दूसरे, जैसा मैंने निवेदन किया कि सीमा का क्षेत्र होने की वजह से इसका एक विशेष महत्व है। उस दृष्टि से हमने इस बात को कहा और पिछले वित्त मंत्री थे उन्होंने हमारे दृष्टिकोण से सहमति प्रगट भी की थी। यहां तक कि पालियामेन्ट में अपने बजट में एक वर्ष में राजस्थान कैनाल का खर्चा उन्होंने दिखाया था और एक दूसरे के डिस्प्यूट्स के ऊपर भी किस प्रकार की ऑथोरिटी का निर्माण किया जाय-उस पर भी चर्चा हुई थी। लेकिन बाद में जाकर निर्णय पलट दिया गया। माननीय उपाध्यक्षजी, यह एक गम्भीर बात है, अभी दो रोज पहले डॉ. के.एल राव यहां थे। उनसे मैंने कहा कि इन्डस्ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान को सौ करोड़ के ऊपर इस पानी को लेने के लिए भारत सरकार दे चुकी है और 1969 में शायद इस पानी के हम हकदार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारी परिस्थिति यह है कि जिस रफ्तार से आज काम चल रहा है, पौंग डेम के लिए भी आवश्यक धन बराबर उपलब्ध करवाया गया है तो भी पहले जो उम्मीद थी कि 1970-71 में पौंग डेम तैयार हो जायगा, लेकिन अब खयाल किया जाता है कि 1972-73 के अन्दर पोंग डेम पूरा हो। पौंग डेम के पूरा होने के लिए धनराशि क ज्यादा आवश्यकता होगी लेकिन उस पानी का उपयोग करने के लिए राजस्थान की नहर जब तक पूरी तौर से तैयार नहीं हो जाती है और जो 28 लाख एकड़ की राजस्थान की सिंचाई के लिए कल्पना की गई है तो उसके मुताबिक नहर और डिस्ट्रीब्यूटरी और दूसरी चीजें नहीं बन जाती हैं तो भी पानी तो हो गया और योजना पूरी हो गई तो भी जो परिणाम हम चाहते हैं वह नहीं निकलेंगे और यह राजस्थान के ऊपर एक वजन साबित होगी। डॉ. के. एल. राव से इस बात को विशेष रूप से कहा था कि जैसा हमने कहा है, हिमाचल प्रदेश के और पंजाब के कुछ जो इवेक्यूइज हैं, मतलब जो विस्थापित हो रहे हैं पानी की बाढ़ में आने की वजह से और दूसरी वजह से-हम जानते हैं कि वह परेशान हैं इसलिए राजस्थान में उनको बसाना चाहते हैं। हमने उनको कहा है कि तीन लाख 25 हजार एकड़ के अन्दर सत्तर-अस्सी हजार फैमिलीज के आसपास हम बसाना चाहते हैं। लेकिन वह सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि इस योजना के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो। इस वक्त तक जो धन उपलब्ध हुआ है अनूपगढ़ की शाखा तक हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद नौसेरा की शाखा है, उसके बाद हम आगे बढ़ें तो दंतौर की शाखा है और उसके बाद विसलपुर और जैसलमेर के इलाके हैं, वह अलग हैं। लेकिन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

फर्स्ट फेज जिसको हम कह कर चल रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। पिछले वर्ष पांच करोड़ रुपये इसके लिए स्वीकृत किये गये। इस वर्ष में यह राशि तीन करोड़ की हो गई। अगले वर्ष के भी जो आसार इस वक्त दीखते हैं, उसको देखते हुए तीन करोड़ 1968-69 की प्लान के अन्दर प्रावधान हो सकता है-ऐसी सम्भावना मालूम होती है। मैं ऐसा समझता हूं कि देश की अन्न की आवश्यकता को देखते हुए और उसके साथ साथ सीमा की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, मैं तो यहां तक इस सदन के जरिये निवेदन करना चाहूंगा कि जो इसके अन्दर दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि एक लिंक है और जिसके जरिये पावर जेनेरेट करने के लिए कार्यवाही चल रही है, जिसको पंजाब ज्यादा तेजी से चलाना चाहता है तो हमें ऐतराज नहीं है। वह चले लेकिन जहां तक भारत सरकार के देने का सवाल है, इस इर्रिगेशन की योजना, राजस्थान कैनाल को पौंग डेम के बजाय प्राथमिकता देनी चाहिये और जो धन ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध किया जा सकता है वह करवाया जाना चाहिए। (करतल ध्वनि) आज सौ करोड़, मैंने जैसा निवेदन किया, इन्डस्ट्रीटी के अन्दर उससे ज्यादा रकम दी जा चुकी है, सौ करोड़ के करीब पौंग डेम, राजस्थान फीडर और राजस्थान कैनाल और कोकटेड वर्क्स हैं उन पर सौ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, मतलब दो सौ करोड़ के करीब, आज राजस्थान पर सीधा सौ करोड़ इन्डस वाला मान लिया जाय तो दोनों के लिए खर्च हुआ है। तो इतनी धनराशि के खर्च होने के बाद इस प्रोजेक्ट के काम में शिथिलता आयेगी तो इस शिथिलता के दूरगामी परिणाम होंगे। उनको मद्दे....

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

नजर रखते हुए यह आवश्यक है कि इस प्रोजेक्ट को अखिल भारतीय स्तर का प्रोजेक्ट समझते हुए, मैं समझता हूं, जिस वक्त चौथी पंचवर्षीय योजना बने उससे पहले, जैसे कोई स्टील का प्लान्ट है, अगर वह पब्लिक सेक्टर में, सेन्ट्रल की रेस्पान्सिबिलिटी में हो सकता है- तो मैं ऐसा मानता हूं कि किसी स्टील के या कॉपर के या हिन्दुस्तान मशीन टूल फैक्ट्री है या दूसरी कोई फैक्ट्री है वह पब्लिक सेक्टर में हो सकता है-तो राजस्थान की कैनाल पब्लिक सेक्टर में हो-यह उचित होगा। उसके लिए मैं समझता हूं कि हम भी जोर दे रहे हैं और भारत सरकार उसकी जिम्मेदारी समझेगी-ऐसा मैं मान कर चलता हूं। जिस वक्त राजस्थान कैनाल की योजना पूरी हो जाती है तो हम आशा करके चलते हैं कि इस योजना से करीब सौ करोड़ के आस-पास का उत्पादन एक वर्ष के अन्दर होने लगेगा। कृषि का उत्पादन सौ करोड़ का और होना देश के अन्दर इससे बड़ी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आज हो नहीं सकती। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान नहर के सम्बन्ध में जो चर्चा करने की बात है मुझे खुशी है और मैं भी यह चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर उसके एलाटमेन्ट के बारे में कुछ चर्चा हुई भूमिहीनों को भूमि मिले। नीलामी से हो और किस प्रकार से हो-इस बारे में मैं यह नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान कैनाल को हम यह समझ कर चलते हैं और जहां इसके राष्ट्रीय स्तर पर की योजना समझने की बात

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कहते हैं तो इसको किसी पार्टी का सब्जेक्ट न समझ कर हमें यह समझना चाहिए कि यह सारे राजस्थान का विषय है कि किस प्रकार हमारे साधनों पर यह असर डालती है, किस प्रकार साधनों की दृष्टि से हम इस पर विचार कर सकते हैं और किस प्रकार धन प्राप्ति करने में भी हम सबकी एक आवाज हो। मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं होगा और हमारा यह प्रयत्न भी है और इसके फर्स्ट स्टेज के अन्दर हम इस बात को रख कर चल रहे हैं कि लिफ्ट के जरिये लूणकरणसर और बीकानेर की तरफ पानी ले जाने की कार्यवाही की जाय। उससे पीने का पानी उन क्षेत्रों को मिलेगा और उससे सवा लाख एकड़ के करीब सिंचाई होगी। उस सिंचाई से और पानी से उस इलाके के विकास में मदद मिलेगी। लेकिन उसके लिए करीब छः करोड़ के आसपास खर्च की आवश्यकता पड़ेगी तब जाकर उन कार्यक्रमों को हाथ में लेकर आगे बढ़ा जा सकता है।

जहां तक इस राजस्थान कैनाल से सम्बन्धित प्रश्न है, मैं समझता हूं कि शान्ति के साथ इन प्रश्नों पर विचार किया जा सकता है। इसकी नीलामी के बारे में जो प्रश्न चलता है-अभी जो डा. के एल. राव से हम लोगों ने बातचीत की है, इसका प्रावधान कितना होता है-यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। इसलिए जब तक अगले वर्ष के लिए इसके अन्दर कितना धन रखा जाएगा, उसका फैसला नहीं हो जाता है, तब तक के लिए और आगे की स्थिति का अध्ययन करने के बाद नीलामी और एलॉटमेन्ट के बारे में फाइनल निर्णय किया जाय, यह हमने विचार किया है कि अभी जो नीलामी की कार्यवाही की जा रही थी उसको स्थगित कर दिया गया है। जिससे इन चीजों के बारे में साथ साथ विचार करके निर्णय लिया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में और जो बहुत सी बातें आयीं उनमें बोर्डर की रोड्स के बारे में यह कहा गया कि बोर्डर रोड्स की प्रगति ठीक नहीं है। बोर्डर रोड्स का महत्व मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्यों के लक्ष्य में है और बार्डर रोड्स जल्दी से जल्दी तैयार और अच्छी तैयार हों, इस मामले में भी किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। इसमें कुछ अन्तर पड़ा है, इस स्थिति को स्वीकार करने से ना नहीं कहता। लेकिन यह अन्तर पड़ा इस वजह से कि शुरू के अन्दर जो इसके लिए धनराशि दी गई, वह धनराशि करीब करीब साढ़े तीन करोड़ के आसपास सैंक्शन को गयी और जो एक टैम्पो चल रहा था, जिससे हम सभी समझते थे कि इस काम को जल्दी पूरा कर सकते हैं उसमें टैण्डर्स वगैरह के आने में देरी हुई, उसके बाद जब साढ़े आठ करोड़ के लगभग भारत सरकार के जरिये धनराशि दे दी गयी है। अब काम काफी तेजी के साथ चल रहा है। इसके अलावा मैं यहां पर कुछ कहूं तो न उचित रहेगा और न उसको कहने की आवश्यकता है कि कितने मील सड़क बन चुकी है, और कितने पर काम चल रहा है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बार्डर रोड्स के बारे में हम सजग हैं और हम चाहते हैं कि इस कामकाज में जो बीच में शिथिलता आयी किन्तु अब ठीक तौर से तेजी के साथ काम चलने लगा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया, शराब बन्दी के बारे में, मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

राज्य सरकार ने इस वर्ष कुछ कदम उठाया है। वह सदन के माननीय सदस्यों के सामने है। उस वक्त भी हमने यह कहा था कि इस सम्बन्ध में हम और आगे क्या कर सकते हैं बजट के समय में आप लोगों को इस सम्बन्ध में भी और जानकारी दे पायेंगे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि शराब की बिक्री कम हो और लोगबाग इस चीज के अन्दर न पड़ें। इसके अन्दर सिद्धान्त में कोई मतभेद की बात नहीं है। दोनों तरफ के लोगबाग इस सिद्धान्त से सहमत हैं। इसके अलावा इसको क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में हमारी आर्थिक स्थिति को लक्ष्य में रखते हुए आगे की संभावनाओं को लक्ष्य में रखते हुए और जो कुछ सारी परिस्थितियां हैं इन पर विचार करके हम एक एक कदम इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर ट्रांसफर ऑफ पापुलेशन ऑफ बोर्डर एरियाज के अन्दर करने वाली बात कही गई है। मैं नम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, हमारे यहां पर इस ट्रांसफर ऑफ पापुलेशन को लेकर सिद्धान्त रूप में हम लेकर नहीं चल सकेंगे। हम यह मान कर चलते हैं, जो हमारे देश के अन्दर रहता है वह देश के प्रति वफादार है। कमियां हैं तो उनके बारे में कार्यवाही की जाएगी। लेकिन मूल में अविश्वास करके किसी सम्प्रदाय और जाति के खिलाफ होलसेल किसी के खिलाफ कार्यवाही करना, मैं समझता हूं, हमारे विधान की मंशा और उसके आधार के विपरीत होगा। इसलिए इस प्रकार बात न करके जो कि बात सामने आती है उसके बारे में लक्ष्य लेकर चलते रहे हैं। इस वक्त तत्काल मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, न उस हालत के बारे में मुझे पता है, जिसका जिक्र यहां पर किया कि कितने लोग पाकिस्तान बोर्डर के अन्दर कितनी दूर तक आये। और, कुछ घटनाओं की तरफ यहां ध्यान आकर्षित किया गया। इस वक्त बोर्डर पर बी.एस.एफ. के जरिये फोर्स लगी हुई है। लेकिन अन्दर उधर से इधर आयें तो राजस्थान पुलिस भी इस मामले में सतर्क रहती है और सारी इसके डिटेल्स में जाने के बाद ही मैं यह बात कह सकता हूं कि कहां क्या हुआ? और मैं समझता हूं जब डिमाण्ड के वक्त उत्तर होगा उस मौके पर जो गृहमन्त्री हैं वह ज्यादा प्रकाश इस पर डाल पायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, सीलिंग के बारे में भी, जमीन पर अधिकतम सीमा कानून लागू करने के बारे में जिक्र किया गया। मैं आपके द्वारा इस सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा इस सम्बन्ध में विचार हुआ है उसके अनुसार हम महीने भर के अन्दर इस बात का नोटीफिकेशन जारी करने वाले हैं कि जिस नोटीफिकेशन के सीलिंग में आनेवाली जमीन जो एक अमुक सीमा से ऊपर है, उसको 15 मई से, जिसको हम कहें स्टेट रिज्यूम, मतलब ले ली जाएगी। और 15 मई से कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और उसका नोटीफिकेशन एक महीने के अन्दर निकाल दिया जाएगा हमारा सीलिंग का जो कानून है उसमें कुछ दिक्कतें आयी हैं। उन दिक्कतों पर सरकार विचार कर रही है और विचार करके उसके सम्बन्ध में आगामी बैठक जब होगी, इस वेकेशन के बाद तो सदन को उसकी डिटेल्स बताने के बारे में हम यहां

Page No. 103

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
पर ज्यादा प्रकाश डाल पायेंगे । माननीय अध्यक्ष जी····

श्री गिरिराज प्रसाद (किशनपोल जयपुर): क्षमा करेंगे । क्या सरकार ने ऐसा भी निर्णय कर लिया है कि 15 मई से पहले सीलिंग के दायरे में आने वाली भूमि का यदि कहीं ट्रान्सफर हो गया है तो सरकार उसको रेगुलराइज करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: इसके बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है । वह विषय विचाराधीन है । इसके अन्दर अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है ।

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में एग्रेशन के वक्त में जो सोना इकट्ठा किया गया, उसके बारे में यह कहा गया कि उसका हिसाब पूरे तौर से नहीं है । तो मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं और जानकारी देना चाहता हूं कि उसके पूरे हिसाब की जांच कर ली गई है और रिजर्व बैंक के अन्दर जो कुछ जमा हुआ है और जो अलग अलग जगह इकट्ठा हुआ वह सारे का सारा, एक एक तोला, ठीक तौर पर जमा कर दिया गया है । यह सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं ।

यह, माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बैठक में नहीं बल्कि पहले सदन में एक बार इस बात का जिक्र किया गया था कि कुछ लोगों ने जो आर्म्स, आर्म्स की ट्रेजरी कहलाती हैं,–क्या, मालखाने में जमा थे, उनको कम कीमत पर और एक एक ने एक एक से ज्यादा आर्म्स और तीसरे जो प्रोहिबिटेड आर्म्स हैं, वह वहां से ले लिये थे । मैंने सदन में कहा था, इस मामले को विजीलेंस कमीशन को सौंप रहा हूं । विजीलेंस कमीशन की रिपोर्ट काफी डिस्ट्रिक्ट के लिए आ गयी है । कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रिपोर्ट आना बाकी है । जो रिपोर्ट उनको आयी है जो विजीलेंस कमीशन की उसके आधार पर जो जो ऑफिसर है, जिन जिन ऑफिसर्स के बारे में विजीलेंस कमीशन ने जो लिखा है, उनसे एक्सप्लेनेशन डिमाण्ड कर रहे हैं और साथ-साथ हमने उनसे जो आर्म्स उनके पास थे, उनको जमा कराने के बारे में जो लिखा उसके पीछे भी यह मंशा थी कि किसी ने लिया भी सही और लेकर के बेच दिया है तो बेचने वाले की मैलाफाइडी ज्यादा साबित होती है । इस मामले के अन्दर तो साइमल्टेनियसली इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर दी जाय । तो इस दृष्टि से कार्यवाही की जा रही है और अगर एक्सप्लेनेशन आने के बाद आगे कार्यवाही हो सकती है तो वह की जाएगी । इसका मैं विश्वास दिलाता हूं ।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी यहां पर जिक्र किया गया कि मद्रास, आसाम, और बंगाल के अन्दर जो राजस्थानी रहते हैं, उसके साथ साथ कुछ और जगहों में इन प्रदेशों के अन्दर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है । दरअसल बहुत ही दुख की बात है कि जहां हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को देश की प्रत्येक इंच भूमि पर समान अधिकार देता है, वहां कुछ प्रदेशों में, प्रदेशों के आधार पर, या भाषा के आधार पर यदि किसी पर जुल्म किया जाता है तो वह जुल्म उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि संविधान की मूलभूत भावना के खिलाफ है, वह जुल्म इस देश के अन्दर चाहे किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी जाति का हो,

(श्री महनलाल सुखाड़िया)

किसी प्रदेश का रहने वाला हो, भारतवर्ष में हर हिस्से में समान अधिकार से वह रह सकता है और आज किसी जगह कोई राजस्थानी है, इस वजह से उस पर जुल्म किया जाता है तो उस जुल्म को रोकना उस प्रदेश की सरकार का कर्तव्य हो जाता है। लेकिन जो संविधान ने अधिकार दिया है और जिस संविधान को पार्लियामेन्ट ने बनाया है, मैं समझता हूं कि भारत सरकार को यह जिम्मेदारी हो जाती है कि इस प्रकार की जुल्म ज्यादती हो जाती है, उसको वह रोके।

(4 म. प.)

अभी गोहाटी में जो कुछ हुआ, मद्रास में पिछले दिनों जो कुछ हुआ था, आसाम में पिछले दिनों जो कुछ हुआ था उसके सम्बन्ध में मैंने भारत के गृह मंत्री जी को लिख कर भेजा, उन प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर्स थे उनको लिख कर भेजा। गौहाटी वाली दुर्घटना तो दुर्भाग्य से 26 जनवरी को हुई जब कि सारा देश खुशियां मना रहा था। गौहाटी के बाजारों में इस प्रकार के ऐसे कांड हो रहे हैं, जब मुझे इसकी सूचना मिली तो मैंने उसी वक्त गृह मंत्री जी से बात की, उन्होंने भी बात की और उसके बाद कार्यवाही की गई। पर इस प्रकार की प्रवृत्ति होते रहना, मैं समझता हूं देश में विघटन की प्रवृत्ति है, एक दूसरे में आपस में भेद भाव बढ़ने की प्रवृत्ति है उसी प्रवृत्ति का परिणाम है। उस प्रवृत्ति को रोकना चाहिये ताकि यह भावना आगे नहीं बढ़े। चाहे राजस्थानी हो, चाहे गुजराती हो चाहे और किसी प्रान्त का रहने वाला हो, इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिये। राजस्थान इस बारे में सौभाग्यशाली है, हमारे इस प्रदेश में कई प्रदेशों के लोग रहते हैं लेकिन हमने इस भेदभाव को कभी दिमाग में नहीं रखा है। हम यह मान कर चले हैं कि राजस्थान सारे देश के सारे प्रान्तों के लोगों के लिये है, वे यहां उसी प्रकार रह सकते हैं जैसे यहां के लोग रहते हैं।

इस सम्बन्ध में मुझे इतना ही निवेदन करना है। माननीय अध्यक्षजी, आज यह जिक्र हो रहा था बिजली की कमी सिंचाई की कमी है. सिंचाई की कमी के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां सिंचाई के साधन बहुत कम हैं पर इसके साथ ही साथ यह निवेदन कर दूं कि राजस्थान के अन्दर कुओं और नहरों से 23-24 प्रतिशत कुल जमीन का जितना है, उसकी सिंचाई होती है। उस 23-24 प्रतिशत की सिंचाई होना, जहां इतना बड़ा रेगिस्तानी इलाका है वहां 23-24 प्रतिशत सिंचाई में आता है, इतना फीगर हमारे यहां होना बहुत ही निराशा की बात नहीं है। इससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि राजस्थान का निर्माण हुआ इससे पहले राजस्थान में नहरों से सिंचित जमीन कुओं से सिंचित जमीन 9 लाख एकड़ के करीब थी, उस 9 लाख एकड़ की बजाय इस साल 25 लाख एकड़ में सिंचाई होगी तो जो कुछ पिछले इतने वर्षों में काम हुए हैं उनसे 9 लाख एकड़ भूमि सिंचित होती थी, इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि पिछले 15-20 वर्षों में हम 25 लाख एकड़ के करीब पहुंच चुके हैं और जो काम चल रहे हैं उससे इसमें और प्रगति होगी।

काम काज होने की बात पर माननीय सदस्य कह रहे थे कि आई. पी. एस.

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आई. ए. एस. दिन में दो तीन कागज निकालते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जानकारी के आधार पर सही नहीं है। उन्होंने शायद कहीं देखा हो पर मेरी जानकारी है कि सब अधिकारी ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि सब एक्स्पर्ट हैं, सभी काफी करते हैं, पर कोई सारी क्लास के ऊपर यह कह कर चलें कि दो तीन कागज दिन भर में निकालने वाली क्लास है तो यह अन्याय होगा, उचित बात नहीं होगी। इसी तरह दूसरे अधिकारियों की बात है।

अभी एक माननीय सदस्य सीकर से आने वाले ने कहा कि मायनोरिटी के लोगों को सिवा चपरासी के नौकरी नहीं मिलती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आई. ए. एस., आई. पी. एस., आर. ए. एस., आर. जे. एस. में मायनोरिटी के लोग हैं। मेरे खयाल से जो जानकारी दी गई वह गलत है या जानबूझ कर गलत कहा, दोनों में से एक बात हो सकती है। पर उन लोगों को कोई अधिकार या मौका नहीं मिला हो ऐसी बात नहीं है।

भरतपुर, कोटा, धौलपुर में रेवाइन एरियाज के बारे में कहा गया, उनको रिक्लेम करने के लिये हम अपनी ओर से भारत सरकार को कई बार कह चुके हैं। यह रेवाइन के, डेजर्ट के रिक्लेमेशन का सवाल राजस्थान की जो वित्तीय स्थिति है, उसमें राजस्थान के लिये इस समस्या को हल कर सकना असंभव है। इसलिये भारत सरकार से लिखते थे कि मध्य प्रदेश के रेवाइन्स हों, चाहे यू. पी. के रेवाइन्स हों, चाहे राजस्थान के रेवाइन्स हों, इन रेवाइन्स के रिक्लेमेशन के सवाल को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले कर इस समस्या को हल करे। लेकिन बहुत अर्से से रेवाइन्स के बारे में हम भारत सरकार को लिखते रहे थे, चूंकि हमारे पास साधन नहीं थे इसलिये बीच में केबिनेट ने निश्चय किया कि कोई धन लगा कर रेवाइन्स को रिक्लेम करना चाहते हों तो करें। ज्यादा जमीन भी यदि हमें देनी पड़े तो वह देकर भी रिक्लेम करायें। रेवाइन्स में पोटेन्शियल है पर उस पर खर्चे की आवश्यकता है, उसको देखते हुए मैंने निवेदन किया कि यह कोई आसान बात नहीं है, इसलिये हमने यह निश्चय किया।

सिंचाई में भी प्रगति हुई है, बिजली में भी प्रगति हुई है, राणा प्रतापसागर में पॉवर जेनेरेट करना प्रारम्भ कर दिया है, सतपुड़ा से भी पॉवर मिलना शुरू हो गया है। दुर्भाग्य से इस साल भी गांधी सागर के केचमेंट में कमी होने के कारण जो हम आशा करते थे कि अधिक पॉवर का उत्पादन हो सके वहां कमी होना आज दृष्टिगोचर होता है, पूरे तौर से जितनी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति नहीं कर पायेंगे।

विरोधी दल के नेता ने अपने भाषण में कहा कि जो उद्योग लगाने के लिये लोगों ने, अलग अलग स्टेट्स ने सुविधाएं दी हैं, उसके सम्बन्ध में मैं उनकी जानकारी के लिये इतना ही कहना चाहता हूं कि वे हमारी जानकारी में हैं और हम भी जल्दी ही विचार करके निर्णय लेना चाहते हैं ताकि अलग अलग उद्योग स्थापित करने के लिये जो अलग अलग प्रदेश के कार्यवाही कर रहे हैं, हम भी हमारे यहां कर सकें।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

माही का पुल बने डूंगरपुर और बांसबाड़ा के बीच में यह अत्यन्त आवश्यक है। मैं यह विश्वास दिला कर चल सकता हूं कि चौथी योजना जल्दी ही बनने वाली है, उस योजना में माही के सवाल को लेकर पूरा करने की कोशिश करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह : 69 के पहले नहीं। धन्यवाद आप जल्दी ही दे रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन किया गया कि 58 साल की उम्र पर आई. ए. एस. ऑफिसर्स के बारे में मैंने कहा था कि चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स में डिस्कस करूंगा, होम मिनिस्टर को लिखूंगा। होम मिनिस्टर को मैंने लिख कर भेजा, उस पर उन्होंने सहमति प्रकट नहीं की है। चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंगें और और मसलों पर डिस्कशन करने के लिये हुई, उसमें सर्विसेज के बारे में डिस्कशन करने का मौका नहीं आया, मौका आयगा तब डिस्कशन करूंगा।

अभी यहां पर श्री अल्लाउद्दीन खिलजी के बारे में जिक्र किया गया था, उनके सम्बन्ध में मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूं कि विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट आने पर एक्सप्लेनेशन मांगा गया है और उनके एक्सप्लेनेशन को विजीलेंस कमीशन के पास भेज कर उस पर विजीलेंस कमीशन द्वारा फरदर एक्शन के बाद कदम उठाया जायगा।

बोर्डर पर जिन लोगों को लड़ाई के दौरान नुकसान हुआ, उनको जो राहत दी गई उसके सम्बन्ध में मैं आगे जानकारी दे सकूंगा, तत्काल जानकारी दे सकूं इस स्थिति में नहीं हूं, इतना ही कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्षजी, मिशिनरीज के बारे में यहां जिक्र किया गया, मुझे कुछ और लोगों ने भी बताया कि राजस्थान में गेहूं, आटा और दूसरी चीजें देकर लोग बागों को धर्म परिवर्तन करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। तो इस सम्बन्ध में हमने इस वक्त यह विचार किया है कि इसकी पूरी छानबीन कर के हम भारत सरकार के साथ इस सम्बन्ध में बात करें और कहें कि मिशनरीज अगर मदद करना चाहती हैं तो उसके लिये नॉन–ऑफिशियल्स की बोडीज ऐसी बनाई जा सकती हैं जिनमें सारे धर्मों के लोग हों, राजस्थान सरकार को देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी कमेटी को दे दिया जाय। ऐसी कमेटी बन जाती हैं तो माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाया है, उसकी पूर्ति हो जायगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को पारित करें।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मुख्य मंत्री जी ने अल्पमत के लोगों की प्रगति के बारे में अभी सदन में कहा है। मैं जानना चाहूंगा कि आई. ए. एस. और आर. ए. एस. में भाग लेने वाले कितने आदिवासी और हरिजन लोग लिए गए हैं और कितने स्थान उनके लिए हैं, कितनी प्रगति की है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : शिड्यूल्ड कास्ट वाले आई. ए. एस. और आई. पी. एस. में भी हैं।

श्री हीरा भाई : कितने पर्सेन्ट होने चाहिए और कितने हैं ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : यह पर्सेन्टेज आल-इंडिया सर्विसेज में होता है। आल-इंडिया में साढ़े बारह होता है। पहले आई. ए. एस. के बिस्तार से नियम समझ लो तो आसानी होगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री मूलचंद डागा ने जो निम्नलिखित धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसे स्वीकार किया जाय:–

"इस सत्र में समस्त विधान सभा सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यंत कृतज्ञ हैं।"

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया।

कार्य सलाहकार समिति का नवां प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति की बैठक आज दिनांक 29 जनवरी, 1968 को हुई। समिति अपने आठवें प्रतिवेदन में आंशिक परिवर्तन करते हुए सिफारिश करती है कि :

(1) अध्यादेशों से संबंधित विधेयकों पर विचार फिलहाल स्थगित रखा जाकर सदन की आगामी बैठकों में उन्हें विचारार्थ लिया जाय

तथा

(2) गैर सरकारी संकल्पों पर विचार बजाय 31 जनवरी, 1968 के कल दिनांक 30 जनवरी, 68 को किया जाय। संकल्पों की सूचना बुलेटिन भाग 2 द्वारा पृथक से दी जा चुकी है।

प्रश्न यह है कि इस प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

नवां प्रतिवेदन पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही 4.13 बजे दिनांक 30-1-68 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 146 की सूची देखिये)

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्कार केन्द्रों की जिलेवार सूची ।

क्र.सं. 1	जिले का नाम 2	केन्द्र 3
1.	जयपुर	जयपुर
2.	कोटा	कोटा
3.	अलवर	अलवर
4.	अजमेर	(1) अजमेर
		(2) अजमेर
		(3) अजमेर
		(4) नसीराबाद
		(5) ब्यावर
		(6) किशनगढ़
5.	सीकर	सीकर,
6.	भरतपुर	(1) भरतपुर
		(2) धौलपुर
		(3) डीग
7.	सवाई माधोपुर	करौली
8.	बूंदी	बूंदी
9.	पाली	पाली
10.	जोधपुर	(1) जोधपुर
		(2) जोधपुर
11.	बीकानेर	बीकानेर
12.	चूरू	सरदार शहर
13.	उदयपुर	उदयपुर
14.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
15.	बाड़मेर	बाड़मेर
16.	सिरोही	सिरोही
17.	गंगानगर	गंगानगर

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 147 की सूची देखिए)

सूची उन गांवों की जो फसल खरीफ सम्वत् 2024 के नष्ट होने के फलस्वरूप अभावग्रस्त घोषित किए गये:–

नाम जिला–झुन्झुनूं

नाम तहसील—खेतड़ी

क्र. सं.	गांव का नाम
1	2
1.	कांकडा
2.	सोइला
3.	रायली
4.	नूनिया
5.	भूरियावास
6.	ढाणी मालोठ
7.	श्योपुरा
8.	पुरीना
9.	निहालपुरा
10.	कुशालपुरा
11.	कुहाड़वास
12.	कलोठडा
13.	उदामोण्डी
14.	नीमास
15.	मानवास
16.	गूजरवास
17.	रायपुराहीर
18.	मालोठ
19.	बामनवास
20.	बृजपुरा
21.	लालामाण्डी
22.	जगतपुरा

तहसील—झुन्झुनूं—

1.	कोलाली
2.	गिरमी
3.	चन्दवा
4.	टोडरवास
5.	बिसाऊ
6.	बिदासर
7.	अलसीसर
8.	आसरामसिंहपुरा
9.	कालियासर
10.	बाजासर
11.	कादेसर
12.	भीरासर
13.	धूलवास
14.	पहाड़सर
15.	पिलानी खुर्द
16.	महनसर
17.	बिसनसर
18.	टांई
19.	बिरसर (बिरमी)
20.	पुरिया
21.	कबीरसर
22.	ढाणी चारण (बिरमी)
23.	हमीरवास (बिरमी)
24.	कमालसर
25.	मण्डावा
26.	भीजास
27.	कुहाडू
28.	खालासी
29.	भीमसर उर्फ पीपल का बास
30.	मुखवास
31.	चन्द्रपुरा तोलियासर
32.	महरादासी
33.	मलसीसर
34.	रामपुरा
35.	बासड़ी

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 160 की सूची देखिये)

सूची

आराजी नं. 1	रकबा 2
252	91) 3
290	11) 2
361	1311) 4
363	1711)
25011	15) 4
25111	31) 4
348	15) 2
359	841)
363) 1	1311) 3
कुल किता 9	कुल रकबा 17311) 2 बिस्वा

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 174 की सूची देखिये)

राजस्थान पुलिस

रिपोर्ट इत्तला अव्वल (प्रथम सूचना)

नियम 285

थाना--नाहरगढ़ जुर्म नम्बर (सुर्खी से)	जिला--कोटा 16 तारीख बवक्त व कुआ	संयुक्त राजस्थान 27-4-67 6 बजे सुबह
तारीख व वक्त जब इत्तला हुई रोज. आम	**जाय वकुआ और फासला और सिम्त थाने से मय नाम हल्का और कोई दूसरा हो**	**तारीख रवानगी थाने से**
रपट नं. 644 रोज. 27-4-67 12½ बजे दिन कायमी रपट नं. 675 रोज. 28-4-67 9½ बजे रात	मौजा पट्टी जानिब उत्तर 8 माइल	29-4-67

नाम व नम्बर हल्का थाना हल्के में वकुआ अन्दर साल नम्बर 9

नाम व सकूनत इत्तला कुनिन्दा	नाम व सकूनत मुलजिमान	मुख्तसिर हालत जुर्म मय दफा और माल अगर कोई गया हो	कार तफतीश जो अमल में लाई गई	नतीजा मुकदमा
श्री पन्ना लाल वल्द कजोड़ महर उम्र 28 साल चपरासी पट्टी सर्किल	(1) नरेन विश्वास वल्द राजेन्द्र विश्वास (2) अनिल विश्वास व. राजेन्द्र विश्वास (3) ओशीर सरकार व. चरन सरकार (4) विनोद गोयल व. मधु गोयल (5) कुमद विश्वास व. राजेन्द्र विश्वास (6) सुनील विश्वास बेटी	मुलजिमान ने एक राय होकर कानूनगो देवीशंकर व चपरासीयान तहसील को सरकारी कार्य में मारपीट मजाहमत कर रुकावट डाली जुर्म दफा 353 ता. हि.	अव्वल रपट रोज. आम में 27-4-67 को सुबह दर्ज हुई मौके पर तफतीश होकर आज मुक़. कायम किया गया देरी नहीं हुई	

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 161 की सूची देखिये)

तालिका

(रुपये लाखों में)

	देय राशि			चुकाई गई राशि		बाकी		विवरण
	मूलधन	ब्याज	योग	मूलधन	ब्याज	योग		
केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण--								
1966-67 ..	2009.61	1173.70	3183.31	2009.61	1173.70	3183.31	..	
1967-68 ..	2067.91	1110.62	3178.53	2066.31	1110.21	3176.52	2.01	यह राशि तारीख 31-1-68 को देय है जिसकी अदायगी के लिये महालेखाकार को स्वीकृति एक माह पूर्व ही दे दी गई है।
(31 जनवरी, 1968 तक)								
स्वायत्त निकायों से प्राप्त ऋण--								
1966-67 ..	29.01	46.31	75.32	29.01	46.31	75.32	..	
1967-68 ..	15.40	22.86	38.26	15.40	22.86	38.26	..	
(31 जनवरी, 1968 तक)								

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न् सं. 45 की सूची देखिये)

पंचायत समिति लाडनूं द्वारा ग्राम पंचायत चन्द्राई को दिनांक 9-12-65 से 31-5-67 तक दी गई धनराशि की सूची :—

क्र. सं.	विकास कार्य	कुल रकम जो दी गई
1.	स्कूल सार्वजनिक होज. ओडिट	2000)
2.	स्कल सार्वजनिक हो. लूकास	2000)
3.	स्कूल होज. चुंडासरिया	2000)
4.	सार्वजनिक होज. भांमियों का वास ओडिट	3000)
5.	सार्वजनिक होज. ओडिट से लूकास रास्ते पर	3000)
6.	सार्वजनिक होज. चन्द्राई	3000)
7.	सार्वजनिक होज. चूंडासरिया	3000)
8.	स्कूल होज. चन्द्राई	1000)
9.	स्कूल होज. मणू	1000)
10.	सांड शाला चन्द्राई	250)
11.	सांड शाला लूकास	250)
12.	ग्राम सेवक क्वाटर चन्द्राई	2700)
13.	चूंडासरिया कुआ गहरा करवाना	10000)
14.	लूकाल कुआ गहरा करवाना	1272) 24
15.	सार्वजनिक कूप चूंडासरिया	5000)

शुद्धि-पत्र

(दिनांक 29 जनवरी, 1968)

स्कम्भ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
2	शीर्षक	ा 12 ा ि वा	का 12 वां दिवस
,,	,,	संख्या–	संख्या 7
	6	समाज–कला मंत्री	समाज कल्याण मंत्री
3	4	राव रा	रावतराम
,,	7	श्री ना ा यर्णसिह मसू ा	श्री नारायर्णसिह मसूदा
,,	9	श्री द लतराम सारण	श्री दौलतराम सारण
,,	अन्तिम से 5	श्री रघु ाथ विश्नोई	श्री रघुनाय विश्नोई
4	12	श्री दौल राम सारण	श्री दौलतराम सारण
,,	अन्तिम से 11	श्री दौल राम सारण	श्री दौलतराम सारण
,,	,, 6	श्री दलतराम सारण	श्री दौलतराम सारण
5	3	श्री दलतराम सारण	,,
,,	अन्तिम से 15	श्री अयक्ष	श्री अध्यक्ष
,,	,, 3	अस	अर्से
7	,, 6	श्री गिरधारी लाल ० ास	श्री गिरधारीलाल व्यास
8	1	श्री रराम मदेरणा	श्री परसराम मदेरणा
,,	8	श्री गिरधर लाल व्यास	श्री गिरधारी लाल व्यास
,,	12	ा	का
8	13	श्री रलाल मीणा	श्री हरलाल मीणा
10	7	समें	इसमें
,,	9	सको	इसको
,,	अन्तिम से 10	ाम	ग्राम
,,	,, 8	ारा	द्वारा
11	9	म	में
17	5	श्री केशरी ि ह हाडा	श्री केसरीसिह हाडा
,,	14	श्र नारायर्णसिह मसू ा	श्री नारायर्णसिह मसूदा
,,	अन्तिम	श्री अद क्ष	श्री अध्यक्ष
20	अन्तिम से 6	अगर	×
22	2	श्री लक्ष्मण तानवाल	श्री लक्ष्मण तानीवाल
23	10	अ ीनों	अमीनों

1	2	3	4
24	अन्तिम से 3	फडरों	फीडरों
26	1	श्री गिरधारी ाल व्यास	श्री गिरधारी लाल व्यास
27	अन्तिम से 3	श्री गरधरी लाल व्यास	श्री गिरधारी लाल व्यास
,,	,, 2	श्र	श्री
28	10	श्री ि ग धारी लाल व्यास	श्री गिरधारी लाल व्यास
,,	अन्तिम से 2	श्री दैलतराम सारण	श्री दौलतराम सारण
29	,, 15	मतवा	मर्तबा
30	13	श्र मत लक्ष ा कुमारी चूण्डावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
,,	14	श्री रिर लाल व्यास	श्री गिरधारी लाल व्यास
,,	अन्तिम से 10	श्री दौत राम सारण	श्री दौलतराम सारण
,,	,, 5	श्रीमती लक्ष्म कुमारी	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी
31	7	श्री गिरधारी लाल व ा	श्री गिरधारी लाल व्यास
,,	अन्तिम से 4	श्री सतश द्र ग्रवा	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
32	10	श्रीमती लक्ष ा कुमारी	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी
,,	15	श्रीमती लदमी कुमारी चूण्डाव	श्रीमतीलक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
33	3	श्री गिरधरी लाल व्यास	श्री गिरधारी लाल व्यास
,,	अन्तिम से 2	श्री गि धरी लाल व्यास	श्री गिरधारी लाल व्यास
34	5	खरद	खरीद
,,	6	श्री काा ू राम आर्य	श्री कालूराम आर्य
36	अन्तिम से 14	वष	वर्ष
39	,, 12	श्री भरसिंह	श्री भैरोंसिंह
,,	,, 6	श्री प्रद्युम्न हिं	श्री प्रद्युम्न सिह
41	16	श्री शकरलाल	श्री शंकरलाल
50	6	है	है कि
54	अन्तिम से 12	पंचायत	पंचायत का
55	4	श्री जयनारायण दिया	श्री जयनारायण सालोदिया
57	2	न	ने
65	13	आधा	आधार
68	शीर्षक	अतरांकित	अतारांकित
71	6	श्री जनारायण सालोदिया	श्री जयनारायण सालोदिया
77	7	उस्थापन	उपस्थापन
78	2	(उपनिवेश मंत्री)	(उपनिवेशन मंत्री)
79	1	अध्यक्ष महोदय	अध्यक्ष महोदय में
80	अन्तिम से 13	अनियमित	अनियमितता

1	2	3	4
81	1	वगारू	बगरू
83	15	श्र	श्री
,,	अन्तिम से 9	श्री हृव शम	श्री सहदेव शर्मा
87	,, 13	श्र सवह शर्मा	श्री सहदेव शर्मा
,,	,, 2	श्री रिव शी	श्री हरिदेव जोशी
89	6	प्रौतीज	प्रौटीज
95	7	श्र सतशचन ग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
97	6	रूड	रूड
99	अन्तिम से 2	कि	को
107	4	बौभा	बोभा
,,	अन्तिम से 12	और	ओर
109	8	श्री केशरसिह ाडा	श्री केसरीसिंह हाडा
110	8	जरायपेशा	जरायमपेशा
113	अन्तिम से 17	रहै	रहे
,,	,, 1	नीं	नहीं
114	,, 11	श्री अयक्ष	श्री अध्यक्ष
117	,, 10	जायगा	जायगी
118	4	र	पर
150	अन्तिम से 8	जिनक	जिनके
155	,, 15	श्री रघनाथ विश्नोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
169	15	सर्व	सर्वे
,,	अन्तिम से 13	अरजी	आरजी
173	9	देना	देने
178	4	गिरजघर	गिरजाघर
188	शीर्षक	अग्रतर	अग्रेतर
193	13	उसा	उसी
,,	अन्तिम से 6	ग्राउन्ड्स	ग्रान्ट्स
194	,, 14	फाइनन्सि	फाइनेन्सिग
195	शीर्षक	9	29
,,	अन्तिम से 15	लग	लगे
197	शीर्षक	प्रस्ता	प्रस्ताव
,,	अन्तिम से 5	इन्डट्रीटी	इन्डस्ट्रीटी
198	7	हो	होगा
,,	8	क	की

1	2	3	4
199	अन्तिम से 7	कनेकटेड	कनेक्टेड
201	शीर्ष	(ी मोहनल ल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
202	10	तैयार	तैयार हों
„	12	मतभे	मतभेद
„	अन्तिम से 11	कहा	कहने
„	„ 7	बार्डर	बोर्डर
203	शीर्ष	(श्री महनलाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
„	अन्तिम से 15	पापुलैशन पाफ	पापुलेशन ऑफ
205	शीर्षक	2	29
„	9	श्री मोनलाल सुखाड़ि	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
206	शीर्षक	अ ीतर	अग्रेतर
207	शीर्ष	(श्री महालाल नुखडिय)	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
„	7	संविधा ा	संविधान
„	„	आर	और
„	8	का	को
207	9	जिम्ा दारी	जिम्मेदारी
207	10	जा ी	जाती
„	11	जा ी	जाती
„	16	ाग्त	भारत
„	18	दुर्घटाा ता	दुर्घटना तो
„	19	का	को
„	अन्तिम से 7	बढ़ने	बढ़ाने
„	„ 4	राजस्था ा	राजस्थानी
„	„ 2	हो ी	होनी
208	9	कमी	कमी की वजह से
„	16	हुती	होती
„	17	हाना	होना
210	अन्तिम से 10	भाष	भाषण
212	„ 3	श्री मोहनलाल सुबाड़ि ा	श्री मोहनलाल सुखाड़िया